



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

मनोरंजन क्षेत्र में निर्धारितियों का निर्धारण

संघ सरकार
राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर
2019 की प्रतिवेदन संख्या 1

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

**मनोरंजन क्षेत्र में
निर्धारितियों का निर्धारण**

**संघ सरकार
राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर
2019 की प्रतिवेदन संख्या 1**

_____ को लोक सभा/राज्य सभा के पटल पर प्रस्तुत किया गया

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
प्राक्कथन	i
कार्यकारी सार	iii-vii
सिफारिशों का सार	viii-x
अध्याय 1: प्रस्तावना	1-6
अध्याय 2: विभाग के अंतर्गत/बाह्य समन्वय प्रयास और कर आधार का विस्तार	7-25
अध्याय 3: आंतरिक नियंत्रण तथा अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों में अस्पष्टता	27-45
अध्याय 4: आयकर अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित अनुपालन मामले	47-83
परिशिष्ट	85-93
शब्दावली	95

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुतीकरण हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 2013-14 से 2016-17 में केंद्रीय सरकार के राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर के मनोरंजन क्षेत्र में निर्धारितियों के निर्धारण की निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम दिये गए हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं, जो 2013-14 से 2016-17 की अवधि के लिए परीक्षण आडिट के दौरान अगस्त 2017 से फरवरी 2018 और जुलाई 2018 से अगस्त 2018 तक दो चरणों में आयोजित किए गए थे।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए मानकों के अनुरूप की गई है।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर राजस्व विभाग - केंद्रीय बोर्ड प्रत्यक्ष कर से प्राप्त सहयोग के लिये लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करता है।

कार्यकारी सार

इस निष्पादन लेखापरीक्षा में 2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान मनोरंजन क्षेत्र के मुख्य उप-क्षेत्रों जैसे टेलीविजन, रेडियो, संगीत, कार्यक्रम प्रबन्धन, फिल्म, एनीमेशन और दृश्य प्रभाव, प्रसारण, खेल और मनोरंजन में पूरे किये गये निर्धारितियों के संवीक्षा निर्धारण, अपील और सुधार मामले सम्मिलित हैं। हमने मनोरंजन क्षेत्र में संभावित निर्धारितियों की पहचान करने के लिए और आय कर अपवंचन की जांच के लिए विभाग में और अन्य केंद्रीय/राज्य सरकार विभागों के साथ सहयोग के लिए आय कर विभाग (आईटीडी) के प्रयासों की प्रभावकारिता के निर्धारण के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा की। मनोरंजन क्षेत्र पर लागू मौजूदा प्रावधानों में कमी/अस्पष्टता की जांच करना और आयकर अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों का अनुसरण सुनिश्चित करने के लिए निर्धारण अधिकारी (एओ) की कुशलता और प्रभावकारिता का निर्धारण करना अन्य उद्देश्य थे।

हमने वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान आयकर विभाग द्वारा पूर्ण किए गए संवीक्षा निर्धारणों को शामिल किया। आयकर विभाग द्वारा इस अवधि में किए गए कुल 13,031 निर्धारणों में से, हमने इस निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान ₹ 47,979.44 करोड़ की आय के निर्धारण करने के साथ 6,516 निर्धारण अभिलेखों (लगभग 50 प्रतिशत) की जांच की। हमने ₹ 2,267.82 करोड़ के कर प्रभाव वाले प्रणालीगत एवं अनुपालन मुद्दों से संबंधित 726 उदाहरणों (लेखापरीक्षा किए गए नमूनों का लगभग 11 प्रतिशत) को देखा, जिसके कारण सरकार को राजस्व की हानि हुई। चूंकि हमने अपने नमूनों के अनुसार निर्धारण मामलों/अभिलेखों की एक सीमित संख्या को देखा है, मंत्रालय को न केवल नमूने के मामलों में बल्कि इसकी संपूर्णता में इसे सत्यापित करने की आवश्यकता है।

हमने अक्टूबर 2017 में एक प्रवेश सम्मेलन (एंटी कॉन्फ्रेंस) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के साथ की थी जिसमें हमने लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा जांच के मुख्य क्षेत्रों का विवरण दिया। हमने लेखापरीक्षा निष्कर्ष और लेखापरीक्षा सिफारिशों के साथ-साथ उनकी

प्रतिक्रियाओं पर विचार करने के लिए जून 2018 में सीबीडीटी के साथ विकास सम्मेलन (एक्जिट कॉन्फ्रेंस) भी की थी।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष का सार:

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बिजनैस कोड 906 [अन्य (मनोरंजन क्षेत्र)] के अंतर्गत संवीक्षा निर्धारणों के लिए चयनित मामलों की संख्या वि.व. 2013-14 से वि.व. 2016-17 के दौरान इस कोड के अंतर्गत मामलों के संवीक्षा निर्धारणों में किये गये बदलावों के अनुरूप नहीं थी। चूंकि मनोरंजन क्षेत्र के कई भाग जैसे खेल, कार्यक्रम प्रबन्धन, आर्टिस्ट्स, एनीमेशन, केबल कारोबार आदि को इस कोड के अंतर्गत इकट्ठा किया गया है, निर्धारितियों का खंड विशिष्ट शोधन संवीक्षा और निगरानी उद्देश्यों के अंतर्गत चयन हेतु संभव नहीं है।

(पैरा 2.1)

लेखापरीक्षा में ऐसे उदाहरण पाए गए जहां निर्धारिती की महत्वपूर्ण जानकारी आय कर विभाग (आईटीडी) के विभिन्न प्रभागों के बीच साझा नहीं की गई थी, जिसके कारण निर्धारण की गुणवत्ता प्रभावित हुई। यहां तक कि नकद लेन-देनों की जानकारी जोकि बेहिसाबी आय का मुख्य स्रोत हैं को ऐसे लेन-देनों के आगे के सत्यापन हेतु आईटीडी के अन्य प्रभागों को भी नहीं दी गई थी।

(पैरा 2.2.1 और 2.2.2)

समर्पित इकाईयों में फिल्म और टेलीविजन उद्योग के सभी निर्धारितियों का निर्धारण करने के लिए विशिष्ट फिल्म सर्कल/वार्ड बनाये जाने के बावजूद निर्दिष्ट सर्कल/वार्ड में उनका निर्धारण करने के लिए आईटीडी द्वारा पर्याप्त प्रयास नहीं किये गये थे, जिसके कारण लेन-देनों के प्रति-सत्यापन और राजस्व के संभावित रिसाव को रोकने के उद्देश्य पूरे नहीं हो सके।

(पैरा 2.2.3)

लेखापरीक्षा ने ऐसे दृष्टान्त देखे जहां पर आईटीडी ने अन्य केंद्रीय और राज्य सरकार विभागों से डाटा के एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए उपलब्ध स्रोतों का प्रयोग प्रभावी रूप से नहीं किया।

(पैरा 2.3)

यद्यपि सर्वेक्षण कर आधार को मजबूत करने के साथ-साथ अपवंचन के प्रति निवारण हेतु प्रभावी साधन हैं, परंतु वि.व. 2013-14 से वि.व. 2016-17 के अन्तर्गत कुछ राज्यों में इनको प्रयोग नहीं किया गया था।

(पैरा 2.4)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विदेशी लाइन निर्माता को किये गये निर्माण लागत भुगतान के संबंध में भारतीय फिल्म प्रोडक्सन हाऊस द्वारा किए गए दावे के रूप में व्यय का सत्यापन निर्धारण प्रक्रियाओं के दौरान बिल्कुल भी नहीं किया गया था। यह ऐसी त्रुटिपूर्ण निगरानी को दर्शाता है जिसमें कर देयता कम करने के लिए निर्धारितियों द्वारा व्यय के अनियमित दावे की संभावना रहती है।

(पैरा 3.1.1)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विदेशी सरकारों से इंडियन फिल्म प्रोडक्सन हाऊस द्वारा प्राप्त किये गये प्रोत्साहन/अनुदान के सत्यापन निर्धारण के दौरान नहीं किये गये थे जिसके कारण कम प्रोत्साहन/अनुदान को प्रकट कर लाभ के छिपाने की संभावना रही।

(पैरा 3.1.2)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मनोरंजन क्षेत्र की परस्पर सम्बन्धित पार्टियां विभिन्न लेखापद्धतियों का प्रयोग करती हैं जिसके कारण उनके द्वारा किए गए लेन देनों का उचित प्रतिसत्यापन प्रभावित हुआ।

(पैरा 3.2.1)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अति प्रवाह और फिल्म निर्माताओं द्वारा विभिन्न फिल्म अधिकारों से प्राप्त राजस्व के विवरण की जांच करने के लिए कोई निगरानी तंत्र नहीं है। इस प्रकार, निर्माताओं द्वारा आय के कम कथन की संभावना के कारण कर अपवंचन का जोखिम था।

(पैरा 3.2.2)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विदेशी लाइन निर्माताओं को किए गए भुगतानों के संबंध में कर रोकने के प्रावधानों को लागू करते समय एकरूपता का अभाव था, इसका कारण प्रशासनिक प्रभार या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के रूप में ऐसे भुगतानों के प्रतिपादन में स्पष्टता का अभाव था।

(पैरा 3.3)

तथ्यों और परिस्थितियों की प्रकृति समान होने के बावजूद निर्धारण अधिकारियों द्वारा कार्य पूर्व खर्च की अनुमति देने में एकरूपता नहीं थी जोकि समान मामलों में निर्धारण अधिकारियों द्वारा अपनाए गए भिन्न दृष्टिकोण का संकेत है।

(पैरा 3.4)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि संचार एवं प्रसारण के लिए कार्यक्रमों के निर्माण के प्रति भुगतान पर धारा 194 सी के तहत आयकर विभाग का प्रावधान है, लेकिन निर्माणाधीन फिल्मों के वितरण अधिकारों की खरीद के प्रति भुगतान के लिए ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। इस प्रकार, आय के बचने का जोखिम है क्योंकि निर्धारिती (निर्माता) के फार्म 26एस में भुगतान विवरण प्रतिबिंबित नहीं होता है।

(पैरा 3.5)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आईटीडी द्वारा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की फ्रेंचाइजी इंडियन प्रीमीयर लीग (आईपीएल) द्वारा अदा की गई फ्रेंचाइजी फीस को अनुमत करने में कोई एकरूपता नहीं थी, जिसके कारण मामले अभियोग अधीन है और विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा फ्रेंचाइजी फीस का अलग-अलग ढंग से विचार किया जाता है।

(पैरा 3.6)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि फार्म 52ए में प्राप्तकर्ता के पैर के समावेश हेतु मंत्रालय द्वारा सिफारिश की स्वीकृति (हमारी 2010-11 की पूर्वकालीन प्रतिवेदन सं. 36 में दी गई) के बावजूद, इस संबंध में आईटीडी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेखापरीक्षा में फार्म 52ए जिसमें फार्म 52ए के प्रस्तुतीकरण को नहीं देखा गया था; के संबंध में नियंत्रण कमियां भी देखी गईं और फार्म 52ए में फिल्म निर्माता द्वारा बताई गई निर्माण लागत के विवरण का निर्धारण के दौरान उचित रूप से सत्यापन नहीं किया गया था।

(पैरा 3.7)

लेखापरीक्षा के अन्तर्गत देखने में आया कि बदलावों के समान आधार के बावजूद पांच प्रतिशत से 20 प्रतिशत की रेंज की अलग-अलग प्रतिशतता को मानकर तदर्थ आधार पर निर्धारितियों की आय में निर्धारण अधिकारियों द्वारा खर्च जोड़े गये।

(पैरा 4.2)

लेखापरीक्षा ने ऐसे दृष्टान्त देखे जहाँ कि कटौती/व्यय/बट्टे खाते में डाले गये भत्ते और हानि/मैट के अग्रेशन आदि से संबंधित प्रावधानों का आईटीडी द्वारा उचित रूप से पालन नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में ऐसे मामले भी पाए गए जहां पर कि निर्धारण के दौरान कर की गणना में निर्धारण अधिकारियों ने त्रुटि की थी।

(पैरा 4.3 से 4.7)

सिफारिशों का सार

विभाग के अंतर्गत/बाह्य समन्वय प्रयास तथा कराधार विस्तार के संबंध में लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि

क. सीबीडीटी फिल्म कलाकारों तथा मनोरंजन उद्योग के उभरते हुए क्षेत्रों जैसे खेल, कार्यक्रम प्रबन्धन आदि को अच्छी निगरानी, बेहतर सतर्कता तथा विस्तृत संवीक्षा के लिए निर्धारिती की पहचान के लिए अलग कोड आबंटित करने पर विचार करे।

{पैरा 2.6(क)}

ख. आयकर विभाग गुणवत्तापूर्ण निर्धारणों के लिए विभाग के अंतर्गत आवश्यक जानकारी साझा करने तथा प्रति सत्यापन के लिए वर्तमान तंत्र को सशक्त करें।

{पैरा 2.6(ख)}

ग. सीबीडीटी निर्धारितियों द्वारा अपनी आयकर विवरणी में बताये गये राजस्व संग्रहण आंकड़ों के प्रति सत्यापन के लिए बाह्य एजेंसियों जैसे केंद्र/राज्य राजस्व विभाग/प्राधिकारियों से प्रभावी रूप से समन्वय करे।

{पैरा 2.6(ग)}

घ. सीबीडीटी यह सुनिश्चित करे कि फिल्म और टेलीविजन उद्योग से संबंधित मामले फिल्म सर्कल/वार्ड में निर्धारित किए जाएँ ताकि संबंधित लेन-देन को प्रति सत्यापित किया जा सके और राजस्व के रिसाव को रोका जा सके।

{पैरा 2.6(घ)}

आंतरिक नियंत्रण तथा अधिनियम/नियमावलियों के प्रावधानों में संदिग्धता के संबंध में।

लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि:

क. सीबीडीटी निम्न मामलों के सम्बन्ध में लेनदेन के व्यापक सत्यापन के लिए निर्धारण अधिकारियों को निर्देश जारी करे:

- i. भारतीय निर्माताओं द्वारा विदेशी लाईन निर्माताओं को निर्माण लागत की प्रतिपूर्ति
- ii. विदेशी सरकार द्वारा भारतीय निर्माताओं को अनुदान/प्रोत्साहन राशि की प्राप्ति
- iii. इस क्षेत्र की परस्पर सम्बन्धित पार्टियों द्वारा विभिन्न लेखाकरण पद्धतियों को अपनाने और अतिप्रवाह तथा विभिन्न फिल्म अधिकारों में फिल्म निर्माताओं द्वारा अर्जित राजस्व।

{पैरा 3.10 (क)}

ख. फॉर्म 52ए के प्रभावी उपयोग के संबंध में सीबीडीटी विचार करे कि:

- i. सभी फिल्म निर्माताओं से फॉर्म 52ए की प्राप्ति को सक्रिय रूप से अनुकरण करें।
- ii. मनोरंजन उद्योग के अन्य उभरते हुए उप-क्षेत्रों यथा: वृत्तचित्र निर्माता, कार्यक्रम प्रबन्धन फर्म/ कंपनियाँ आदि में संलग्न निर्धारितियों के लिए फॉर्म 52ए में प्रकटन की आवश्यकता का विस्तार।
- iii. निर्माताओं से भुगतान प्राप्त करने वाले आदाताओं के पैन्स सम्मिलित करने हेतु फॉर्म 52ए का प्रारूप बदलना।
- iv. विभिन्न फिल्म अधिकारों/अतिप्रवाह (अधिशेष प्राप्तियां) से फिल्म निर्माताओं द्वारा अर्जित प्राप्तिओं के ब्योरे को ग्रहण करना।
- v. फॉर्म 52ए के प्रारूप के अनुसार सभी आवश्यक विवरण प्रकटन किया जाना अनिवार्य करना

- vi. वित्त वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान की गई राशि का विवरण, तथा फॉर्म 52ए भरने की तिथि तक भुगतान के लिए देय राशि अलग से, प्रकटन करना आवश्यक करें ताकि जिन निर्धारितियों ने लेखाकरण का रोकड़/वाणिज्यिक आधार अपनाया हुआ है उनके संबंध में प्राप्तियों के प्रति सत्यापन में सुविधा हो सके।

{पैरा 3.10(ख)}

अनुपालन मुद्दों के संदर्भ में

लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि:

- क. सीबीडीटी यह सुनिश्चित करे कि तदर्थ वृद्धि पर पहुंचते समय निर्धारण आदेश स्व व्याख्यात्मक (सशब्द) हैं और इस प्रकार समान मामलों में तदर्थ वृद्धि में असमानता से भी बचा जाए।

{पैरा 4.9(क)}

- ख. सीबीडीटी यह सुनिश्चित करे कि निर्धारण अधिकारियों द्वारा कटौतियों/व्ययों/सेटऑफ तथा हानियों/मैट आदि के अग्रेषण के संबंध में आयकर अधिनियम में निर्धारित प्रावधानों/शर्तों का विधिवत् अनुपालन निर्धारण की गुणवत्ता सुधारने के लिए किया गया है।

{पैरा 4.9(ख)}

- ग. सीबीडीटी सभी निर्धारण अधिकारियों के लिए यह अनिवार्य करे कि निर्धारण के सभी स्तरों पर अपने निर्धारण मॉड्यूल के माध्यम से स्वतः कर मांग उत्पन्न करने एवं कर और ब्याज की संगणना में बार-बार होने वाली तथा बची जा सकने वाली गलतियों को रोकने के लिए अन्तर्निहित जांच बिंदू तथा प्रमाणन बनाए।

{पैरा 4.9(ग)}

अध्याय 1: प्रस्तावना

1.1 प्रस्तावना

मनोरंजन क्षेत्र में टेलीविजन, रेडियो, संगीत, कार्यक्रम प्रबन्धन, फिल्म, एनीमेशन और दृश्य प्रभाव प्रसारण, खेल और मनोरंजन आदि जैसे विभिन्न खंड सम्मिलित हैं। भारत में तीव्र गति से वृद्धि कर रहे क्षेत्रों में से एक के रूप में इस क्षेत्र में विगत पांच वर्षों में काफी विकास देखा है।

1.2 क्षेत्र का महत्व

भारत में 2014 में 168 मिलीयन घरेलू टीवी थे, जो कि इसे विश्व में टेलीविजन का सबसे बड़ा बाजार बनाता है। 2019 तक यह संख्या 175 मिलीयन केबल और उपग्रह उपभोक्ता संख्या सहित 196 मिलीयन घरेलू टीवी तक पहुंच जाएगी जोकि घरों में टीवी की 90 प्रतिशत पहुंच को दर्शाता है। टेलीविजन उद्योग का आकार 2015 में लगभग 542 बिलियन भारतीय रुपये (आईएनआर) से बढ़कर 2020 तक 1,098 तक पहुंच जाएगा। एनीमेशन और दृश्य प्रभाव भारत में बढ़ने वाला नया क्षेत्र है जोकि देशी और विदेशी दोनों बाजारों में अवसर प्रदान करता है। भारत में प्रसारण खण्ड में लगभग 800 सेटलाईट टेलीविजन चैनल और 242 एफएम चैनल हैं। फिल्म खण्ड में भारत फिल्म निर्माण में प्रथम स्थान पर बना हुआ है और 2015 में 1,827 डिजीटल फिल्मों का निर्माण किया गया। भारतीय फिल्म उद्योग के 2014¹ में 126.4 बिलियन (आईएनआर) से बढ़कर 2019 तक 204 बिलियन आईएनआर तक पहुंचने की संभावना है। भारत में संगठित कार्यक्रम प्रबन्धन उद्योग 2011-12 में आईएनआर 28 बिलियन से वार्षिक 15 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में आईएनआर 43 बिलियन तक हो गया। भारतीय खेल, 'खेलो इंडिया' के रूप में सरकार द्वारा की गई चौतरफा विकास पहल और विभिन्न लीग द्वारा टूर्नामेंट आयोजित कर निजी क्षेत्र में विकास के कारण विस्तृत परिवर्तन से गुजरा है। 2016 में खेल संरचना बाजार का संभावित मूल्य आईएनआर 800 बिलियन था। इसके अतिरिक्त, वर्ष दर वर्ष के आधार

1 स्रोत: अचिवमेंट रिपोर्ट (मीडिया एण्ड एंटरटेनमेंट), सूचना और प्रसारण मंत्रालय

पर लगभग 12.5 प्रतिशत की दर से भारत में खेल प्रायोजन बाजार 2015 में आईएनआर 52 बिलियन² तक पहुंच गया है।

1.3 हमने विषय को क्यों चुना

निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु इस विषय के चयन हेतु आधार इस प्रकार थे:

- चूंकि यह क्षेत्र तीव्र गति से बढ़ रहा है, और जैसाकि पहले भी इंगित किया गया है कि यह सरकार के राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत है, हमने अनुभव किया कि इस क्षेत्र पर ध्यान दिया जाना और यह देखना आवश्यक था कि इस क्षेत्र के कारोबार से एकत्र आयकर विधिवत रूप से लगाया गया है।
- वर्ष 2010-11 में, हमने 'फिल्म और टेलीविजन उद्योग' से संबंधित निर्धारितियों के कराधान की निष्पादन लेखापरीक्षा की थी जिसमें हमने केबल, फिल्म और टेलीविजन उद्योग पर ध्यान केंद्रित किया था, अतः हमने मनोरंजन क्षेत्र के सभी भागों को सम्मिलित करने और कार्यक्षेत्र को विस्तृत करने और व्यापक लेखापरीक्षा करने का निर्णय लिया।
- वर्ष 2016-17 के दौरान इस कार्यालय में अप्रत्यक्ष कर विंग (सेवा कर) में मनोरंजन क्षेत्र पर निष्पादन लेखापरीक्षा की गई जिसमें हमने यह बताया कि केंद्रीय बोर्ड उत्पाद और सीमा शुल्क (सीबीईसी) द्वारा पहले से उपलब्ध अधिकतम डाटा के प्रयोग और कर आधार को विस्तृत करने के लिए संभावित निर्धारितियों की पहचान करने के लिए तृतीय पक्ष डाटा के प्रयोग की पद्धति को विकसित करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार, हमने प्रत्यक्ष कर में इन पहलुओं को सम्मिलित करने का निर्णय लिया।

1.4 निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा करने के उद्देश्य अग्रलिखित थे:

- क. संभावित निर्धारितियों की पहचान करने के लिए और मनोरंजन क्षेत्र में कर आधार विस्तृत करने के लिए और आयकर बचाव की जांच के

2 स्रोत: ई वाई रिपोर्ट ऑन इण्डियन इवेंट इनडस्ट्री और केपीएमजी-सीआईआई रिपोर्ट

लिए विभाग में और अन्य केंद्रीय/राज्य सरकार विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के विभाग के प्रयासों की प्रभावकारिता का अध्ययन करना;

ख. यह सुनिश्चित करना कि क्या प्रणाली, आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाएं पर्याप्त हैं और मनोरंजन क्षेत्र के निर्धारितियों का प्रभावी निर्धारण सुनिश्चित करते हैं और मनोरंजन क्षेत्र पर लाए गए मौजूदा प्रावधानों में कमी/अस्पष्टता की जांच करना;

ग. मनोरंजन क्षेत्र के संबंध में आय कर अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने में निर्धारण अधिकारी (एओज़) की कुशलता और प्रभावकारिता का निर्धारण करना।

1.5 विधिक प्रारूप

मनोरंजन क्षेत्र के कारोबार से जुड़े निर्धारितियों को आयकर अधिनियम के सभी प्रावधानों द्वारा शासित किया जाता है जो कि सामान्यतः निर्धारितियों के अलग-अलग वर्ग जैसे कंपनी, फर्म, ट्रस्ट, व्यक्ति आदि पर लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त आयकर अधिनियम/नियमावली मनोरंजन क्षेत्र के निर्धारितियों को विशिष्ट कर प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। यह भारत के नागरिक होने के नाते, लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतकार और अभिनेता के मामले में विदेशी स्रोत से व्यावसायिक आय के संबंध में यह छूट प्रदान करता है। यह फीचर फिल्म के निर्माण पर व्यय के और फीचर फिल्म के वितरण अधिकारों की प्राप्ति पर भी छूट प्रदान करता है।

सीबीडीटी के प्रासंगिक नवीनतम न्यायिक निर्णय और परिपत्रों के साथ मनोरंजन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निर्धारितियों के कर निर्धारण के संबंध में विधिक प्रावधान परिशिष्ट-1 में दिये गये हैं।

1.6 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और नमूना-चयन

लेखापरीक्षा में मनोरंजन क्षेत्र जैसे टेलीविजन, रेडियो, संगीत, कार्यक्रम प्रबन्धन, फिल्म, एनीमेशन और दृश्य प्रभाव, प्रसारण, खेल और मनोरंजन आदि के मुख्य उप क्षेत्र से संबंधित निर्धारितियों के निर्धारण मामले सम्मिलित किये गये हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा 2013-14 से 2016-17 की अवधि के

दौरान पूरे किए गए संवीक्षा निर्धारण, अपील और संशोधन के मामलों को सम्मिलित करता है। जहाँ कहीं आवश्यक था, चयनित निर्धारितियों के संबंध में विगत निर्धारण वर्ष के निर्धारण अभिलेखों की भी जांच की गई।

महानिदेशक आयकर (प्रणाली), नई दिल्ली ने वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान पूरे किये गये संवीक्षा निर्धारण के संबंध में केबल टीवी प्रोडक्शन (कोड 901), फिल्म वितरण (कोड 902), फिल्म लेबोरेट्रीज (कोड 903), मोशन पिक्चर निर्माण (कोड 904), टेलीविजन, अन्य (कोड 906) और विज्ञापन एजेंसियों (कोड 701) से संबंधित कमिश्नरी-वार समेकित डाटा प्रस्तुत किया। कमिश्नरियों के अंतर्गत कमिश्नरियों और इकाईयों³ का चयन डीजीआईटी (प्रणाली) से प्राप्त समेकित डाटा और विभिन्न क्षेत्राधिकारों के विशिष्ट प्रादेशिक स्तर पर उपलब्ध सूचना के जोखिम विश्लेषण पर आधारित था। हमने निर्धारण मामलों के चयन हेतु चार राज्यों⁴ में बनाये गये समर्पित फिल्म सर्कल/वार्ड का आवश्यक रूप से चयन किया। 21 राज्यों (परिशिष्ट-2) में पीसीआईटी/सीआईटी के अंतर्गत चयनित निर्धारण इकाईयों में, मनोरंजन के सभी भागों के कुल 6,691 निर्धारण मामले चयनित निर्धारण इकाईयों द्वारा अनुरक्षित 'मांग और संग्रहण पंजिकाओं' में उपलब्ध सूचना के आधार पर लेखापरीक्षा में जांच के लिए पहचाने गये थे। इसके अतिरिक्त हमने अन्तर संबन्धित पार्टी लेन-देन की सटीकता के प्रति सत्यापन के 24 मामलों का विश्लेषण किया।

1.7 लेखापरीक्षा कार्यपद्धति

क. 25 अक्टूबर 2017 को एक प्रवेश सम्मेलन सीबीडीटी के साथ की गई थी जिसमें हमने लेखापरीक्षा के उद्देश्य, लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र और निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य क्षेत्रों का विवरण दिया।

3 प्रत्येक चयनित पीसीआईटी/सीआईटी हेतु 100 प्रतिशत कॉर्पोरेट सर्कल और 25 प्रतिशत गैर-कॉर्पोरेट सर्कल मुंबई कार्यालय को छोड़कर क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा चयनित किये गये थे और जोखिम मानदंड और संसाधन उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक चयनित पीसीआईटी/सीआईटी हेतु 50 प्रतिशत कॉर्पोरेट सर्कल, 25 प्रतिशत केंद्रीय सर्कल और 10 प्रतिशत गैर-कॉर्पोरेट सर्कल मुंबई कार्यालय द्वारा चयनित किये गये।

4 आंध्र प्रदेश और तेलंगाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडू

- ख. निर्धारण को प्रभावी रूप से करने के विभाग के प्रयासों का अध्ययन करने के लिए अन्य स्रोतों से भी मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े निर्धारितियों से संबंधित डाटा और सूचना मांगे गये।
- ग. लेखापरीक्षा जांच के परिणाम टिप्पणियों हेतु संबंधित एओ को सूचित कर दिये गये थे और लेखापरीक्षा आपत्तियों (अगस्त 2017 से फरवरी 2018 की अवधि के दौरान सूचित) वाली प्रारूप समीक्षा प्रतिवेदन आईटीडी की टिप्पणियों हेतु क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा संबंधित सीसीआईटी/ सीआईटी को जारी की गई थी।
- घ. हमने टिप्पणियों हेतु 07 मई 2018 को सीबीडीटी को प्रारूप निष्पादन ले.प. प्रतिवेदन जारी की। 04 जून 2018 को सीबीडीटी की प्रतिक्रिया की प्राप्ति के पश्चात हमने ले.प. निष्कर्ष और ले.प. सिफारिशों के साथ-साथ सीबीडीटी की टिप्पणियों पर विचार करने के लिए 20 जून 2018 को सीबीडीटी के साथ निकास सम्मेलन किया।
- ङ. निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए अभिलेखों के गैर प्रस्तुतीकरण की उच्च प्रतिशतता और कुछ पीसीआईटी/सीसीआईटी प्रभारों में अभिलेखों के गैर प्रस्तुतीकरण की बहुत अधिक प्रतिशतता को ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षा दो चरणों में की गयी थी। लेखापरीक्षा के लिए इस निष्पादन के दौरान चिन्हित 6,691 मामलों के लिए अभिलेख मांगे गये थे, जिसमें कि 175 मामले (परिशिष्ट-3) आयकर विभाग से प्राप्त नहीं हुए थे।
- च. हमने प्रतिवेदन में ले.प. टिप्पणियों के साथ सीबीडीटी की टिप्पणियों को यथायोग्य सम्मिलित किया।

1.8 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

आईटीडी द्वारा इस अवधि में किए गए कुल 13,031 निर्धारणों में से, हमने इस निष्पादन लेखापरीक्षा के अन्तर्गत ₹ 47,979.44 करोड़ की निर्धारित आय के साथ 6,516 निर्धारण अभिलेखों (लगभग 50 प्रतिशत) की जांच की। हमने ₹ 2,267.82 करोड़ के सम्मिलित कर प्रभाव वाले प्रणालीगत और अनुपालन

विषय के 726 उदाहरण देखे चूँकि 50 प्रतिशत नमूनों की जांच में ₹ 2,267.82 करोड़ की चूक का पता चला है। अतः आईटीडी को शेष 6,515 मामलों की आंतरिक लेखापरीक्षा करने की आवश्यकता है। आईटीडी को इसमें चूकों के पर्याप्त अनुपात और चिन्हित प्रणालीगत त्रुटियों को ठीक करने तथा आयोग के कार्य के रूप में कहाँ चूक हुईं वाले कारणों को पहचानने की भी आवश्यकता है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर बाद के अध्यायों में चर्चा की गई है।

अध्याय 2: विभाग के अंतर्गत/बाह्य समन्वय प्रयास और कर आधार का विस्तार

2.1 विभिन्न कोड के अंतर्गत मनोरंजन क्षेत्र से संबंधित निर्धारितियों के कर आधार


विभिन्न कारोबार को विशिष्ट कोड का आबंटन उचित निगरानी, संग्रहण और प्रासंगिक सूचना को साझा करने के साथ-साथ निर्धारण के दौरान क्षेत्र-विशिष्ट मामलों को विशेषज्ञता से संभालने के लिए आवश्यक है।

आईटीडी ने मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े निर्धारितियों को छः श्रेणियों⁵ के अंतर्गत कोड आबंटित किये। छः श्रेणियों में से, पांच श्रेणियाँ फिल्म और टेलीविजन सेक्टर को दी गई है जबकि एक श्रेणी 'अन्य'⁶ को दी गई है। आईटीडी की वेबसाइट में उपलब्ध निर्धारितियों के कोड वार डाटा ने दर्शाया कि वि.व. 2013-14 के दौरान, मनोरंजन क्षेत्र में निर्धारितियों का केवल 13 प्रतिशत ही फिल्म और टेलीविजन क्षेत्र की आबंटित पांच श्रेणियों के अंतर्गत आता था जबकि निर्धारितियों का 87 प्रतिशत जो कि एक महत्वपूर्ण अनुपात है मनोरंजन क्षेत्र की 'अन्य' श्रेणी के अंतर्गत आता था। छः श्रेणियों के अंतर्गत इस क्षेत्र से संबंधित कर दाताओं की संख्या नीचे दिये चार्ट में दर्शाई गई है:

5

0901	मनोरंजन उद्योग [केबल टीवी]
0902	मनोरंजन उद्योग [फिल्म वितरण]
0903	मनोरंजन उद्योग [फिल्म लेबोरेट्रीज]
0904	मनोरंजन उद्योग [मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स]
0905	मनोरंजन उद्योग [टेलीविजन चैनल्स]
0906	मनोरंजन उद्योग [अन्य]

6 यह कोड खेल, फिल्म, कार्यक्रम प्रबन्धन, केबल बिजनेस, एनीमेशन आदि से संबंधित निर्धारितियों को सम्मिलित करता है।



स्रोत: आईटीआर आंकड़े, आयकर विभाग

विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत संवीक्षा मामलों के वैज्ञानिक चयन निर्धारण के विचार से विशेषकर कोड 906 के लिए, हमने मनोरंजन क्षेत्र के लिए 2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान पूरे किये गये संवीक्षा निर्धारण और संवीक्षा निर्धारण में की गई वृद्धि के संबंध में डाटा⁷ का विश्लेषण किया। मनोरंजन के विभिन्न कोड के अंतर्गत संवीक्षा निर्धारणों की संख्या और संवीक्षा निर्धारण में की गई वृद्धि के विवरण नीचे तालिका में दर्शाये गये हैं:

तालिका 2.1: 2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान मनोरंजन क्षेत्र के विभिन्न कोड के अंतर्गत पूरे किये गये संवीक्षा निर्धारण और संवीक्षा निर्धारण में की गई वृद्धि की संख्या


(₹ करोड़ में)

बिजनेस कोड	संवीक्षा निर्धारण की सं. (वि.व. 2013-14)	संवीक्षा निर्धारणों में की गई वृद्धियां (वि.व. 2013-14)	संवीक्षा निर्धारण की सं. (वि.व. 2014-15)	संवीक्षा निर्धारणों में की गई वृद्धियां (वि.व. 2014-15)	संवीक्षा निर्धारण की सं. (वि.व. 2015-16)	संवीक्षा निर्धारणों में की गई वृद्धियां (वि.व. 2015-16)	संवीक्षा निर्धारण की सं. (वि.व. 2016-17)	संवीक्षा निर्धारणों में की गई वृद्धियां (वि.व. 2016-17)
901	64	48.98	96	94.09	120	58.29	159	179.83
902	111	259.49	193	397.79	223	595.75	214	348.49
903	11	25.72	15	13.22	13	36.51	19	0.26
904	174	142.69	238	180.40	332	598.68	316	197.00
905	98	951.93	159	1,519.57	203	1,869.49	239	1,751.77
906	771	2,863.42	1,657	6,284.00	1,815	9,757.85	1,995	10,306.31
कुल	1,229	4,292.23	2,358	8,489.07	2,706	12,916.57	2,942	12,783.66

स्रोत: डीजीआईटी (सिस्टम्स) से प्राप्त डाटा

7 डीजीआईटी (प्रणाली) से प्राप्त डाटा

कोड 906 (अन्य मनोरंजन क्षेत्र) में संवीक्षा निर्धारणों के दौरान की गई वृद्धियाँ मनोरंजन क्षेत्र में की गई कुल वृद्धियों के अनुपात में वि.व. 2013-14 में 66.71 प्रतिशत⁸ से वि.व. 2016-17 में 80.62 प्रतिशत⁹ तक बढ़ोतरी हुई। मनोरंजन क्षेत्र के मामलों में कुल संवीक्षा निर्धारणों के अनुपात के रूप में संवीक्षा निर्धारणों के लिए चयनित मामलों की संख्या में यद्यपि वि.व; 2013-14 में 62.74 प्रतिशत¹⁰ से वि.व. 2016-17 में 67.82 प्रतिशत¹¹ तक बढ़ोतरी हुई। इस क्षेत्र में कुल वृद्धियों की प्रतिशतता के रूप में प्रत्येक कोड में की गई वृद्धि के साथ-साथ मनोरंजन क्षेत्र में संवीक्षा निर्धारणों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में प्रत्येक कोड के लिए संवीक्षा निर्धारणों की संख्या का वर्णन प्रत्येक वि.व. (वि.व. 2013-14 से वि.व. 2016-17) के लिए नीचे चार्ट में दर्शाया गया है:



उपरोक्त से यह देखा गया है कि कोड 906 (अन्य) के अंतर्गत किये गये संवीक्षा निर्धारणों में वृद्धियों में महत्वपूर्ण विस्तार (80 प्रतिशत तक) से यह प्रदर्शित होता है कि इस कोड के अंतर्गत आने वाले निर्धारित मनोरंजन क्षेत्र में राजस्व उत्तपत्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। यद्यपि, इस कोड के अंतर्गत

8 ₹ 4,292.23 करोड़ की कुल वृद्धियों में से ₹ 2,863.42 करोड़ का योग

9 ₹ 10,306.31 करोड़ की कुल वृद्धियों में से ₹ 12,783.66 करोड़ का योग

10 1,229 में से 771

11 2,942 में से 1,995

संवीक्षा निर्धारणों के लिए चयनित मामलों की संख्या वि.व. 2013-14 से वि.व. 2016-17 के दौरान इस कोड के अंतर्गत मामलों के संवीक्षा निर्धारणों में की गई वृद्धि के अनुरूप नहीं थी।

भागों जैसे खेल, कार्यक्रम प्रबन्धन, कलाकार, एनीमेशन, केबल कारोबार आदि की संख्या के रूप में कोड 906 में एकत्रित किया गया है, निर्धारितियों की विशिष्ट शोधन संवीक्षा और निगरानी उद्देश्यों के अंतर्गत चयन हेतु संभव नहीं हैं। इस प्रकार, कोड 906 के अंतर्गत श्रेणियां पहचानने की आवश्यकता है और इसके बाद संवीक्षा चयन के लिए जोखिम के वैज्ञानिक चयन और प्रभावी मूल्यांकन को सुगम करने के लिए उभरते हुए भागों जैसे खेल, कार्यक्रम प्रबन्धन, कलाकार आदि के अंतर्गत निर्धारितियों को विशिष्ट कोड आबंटन हेतु इसे दर्शाते हैं।

2.2 विभाग के अंतर्गत सहयोग

आईटीडी में निर्धारण इकाईयों को इस प्रकार से संरचित किया गया है कि प्रत्यक्ष करों के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को प्रशासित किया जा सके। यद्यपि अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों जैसे 143(3), 147, 263 आदि के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत नियमित निर्धारण/पुनःनिर्धारण निगमित/गैर-निगमित निर्धारण सर्कल और वार्ड में की गई, खंड 153ए, 153सी आदि के अंतर्गत जांच और जब्ती संबंधित निर्धारण को केंद्रीय सर्कल में अंतिम रूप दिया है। स्रोत पर दी गई छूट (टीडीएस) और अंतर्राष्ट्रीय कराधान प्रावधानों के अंतर्गत क्रमशः नामित एओ (टीडीएस) और एओ (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) द्वारा निर्धारण पूरे किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, संबंधित अभिलेख के बीच प्रभावी सहयोग के उद्देश्य और फिल्म/टीवी उद्योग के व्यक्तियों के निर्धारणों के संबंध में सूचना के प्रभावी प्रति सत्यापन के उद्देश्य हेतु, आईटीडी ने समर्पित फिल्म/मीडिया निर्धारण इकाईयाँ तैयार की हैं। आईटीडी के विभिन्न अनुभागों के बीच सहयोग और सूचना को साझा करना राजस्व के संभावित रिसाव को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विभाग के सहयोग के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों का आगामी पैराग्राफ में वर्णन किया गया है।

2.2.1 सूचना को साझा करना और उपयोग करना

₹ 201.96 करोड़ के कर प्रभाव सहित कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में 11 मामलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारितियों के संबंध में सूचना निर्धारण पूरा करने के समय पर आईटीडी के विभिन्न प्रभारों के बीच साझा नहीं किया गया था, जिससे निर्धारण की गुणवत्ता प्रभावित हुई। दो निदर्शी मामले नीचे दिये गये हैं (बॉक्स 2.1 देखें)।

बॉक्स 2.1: सूचना को साझा करने और उपयोग करने का दृष्टांत

(क) प्रभार: पीसीआईटी-10, मुंबई

निर्धारिती: मै. जेएमडी टेलीफिल्मस इंडस्ट्रीज लिमि.

निर्धारण वर्ष: 2014-15 और 2015-16

निर्धारिती के वि.व. 2014-15 और 2015-16 हेतु संवीक्षा निर्धारण क्रमशः ₹ 1.26 करोड़ और ₹ 1.78 करोड़ की आय पर दिसंबर 2016 में पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि “पैनी स्टॉक कंपनियों द्वारा फर्जी एलटीसीजी” पर पीडीआईटी (जांच), कोलकाता की जांच रिपोर्ट दिनांक 27 अप्रैल 2015 के पत्र द्वारा डीजीआईटी (जांच) को भेजा गया था जिसमें कि पैनी स्टॉक कंपनियों और उनकी कार्य प्रणाली के विवरण का वर्णन किया गया था और संबंधित डीजीएसआईटी से संबंधित सीएसआईटी द्वारा एओ को रिपोर्ट प्रसारित करने का अनुरोध किया था। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने पाया कि कोलकाता जांच रिपोर्ट के अनुसार निर्धारिती (मै. जेएमडी टेलीफिल्मस इंडस्ट्रीज लिमि.) पैनी स्टॉक कंपनियों में से एक था। यद्यपि, दिसंबर 2016 में संवीक्षा निर्धारण पूरा करते समय, नि.अ. ने पीडीआईटी (जांच), कोलकाता की सूचना का कोई संज्ञान नहीं लिया जाने से यह पता चलता है कि या तो सूचना सीसीआईटी द्वारा नि.अ. के साथ साझा नहीं की थी या नि.अ. ने साझा की गई सूचना पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। इस प्रकार, आईटीडी की कोलकाता इकाई द्वारा साझा की गई सूचना को मुंबई कार्यालय के निर्धारण प्रभार द्वारा प्रभावी रूप से उपयोग नहीं किया गया था जिससे संवीक्षा निर्धारण की गुणवत्ता प्रभावित हुई।

(ख) प्रभार: पीसीआईटी-11, मुंबई

निर्धारिती: मै. स्टैलर इंटरैक्टिव मिडिया प्रा. लिमि. (एसआईएमपीएल)

निर्धारण वर्ष: 2013-14

अधिनियम की धारा 68 के अनुसार, जहां किसी विगत वर्ष के लिए अनुरक्षित, किसी निर्धारिती की बही में कोई राशि क्रेडिट की जाती है और उसके बारे में निर्धारिती ने इसकी प्रकृति और स्रोत का कोई विवरण नहीं दिया है या नि.अ. के विचार में निर्धारिती द्वारा दिया गया विवरण संतोषजनक नहीं है, विगत वर्ष की निर्धारिती की आय के रूप में आय कर से ऐसी क्रेडिट की गई राशि प्रभारित की जा सकती है।

निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण ₹ 27.73 लाख की आय पर मार्च 2016 में पूरा किया गया था। निर्धारण पद्धतियों के अनुसार एओ ने मै. सहारा यूनिवर्सल माइनिंग कार्पोरेशन लि. (एसयूएमसीएल) की पहचान, वास्तविकता और क्रेडिट पात्रता को जांच करने के लिए 10 मार्च, 2016 को डीसीआईटी, सर्कल 8(2), कोलकाता को पत्र भेजा था, क्योंकि निर्धारिती को मै. एसयूएमसीएल, कोलकाता से ₹ 579.29 करोड़ के प्रीमियम सहित शेयर आवेदन राशि प्राप्त हुई थी। लेखापरीक्षा द्वारा स्थानीय जांच से पता चला कि डीसीआईटी(8) कोलकाता ने एओ के साथ आवश्यक सूचना साझा नहीं की थी, जिसके परिणामस्वरूप उसने 30 मार्च 2016 को निर्धारिती की आय में ₹ 579.28 करोड़ की अनुद्घोषित राशि को जोड़े बिना निर्धारण पूरा कर दिया था। इसमें सम्मिलित पर्याप्त राशि को देखते हुए एओ तृतीय पक्ष डाटा स्रोत, अर्थात् संवीक्षा निर्धारण पूरा करने के दौरान कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के पास उपलब्ध डाटा, के माध्यम से लेन देन की वास्तविकता को सत्यापित कर सकता था। इस प्रकार दोनों एओ निर्धारिती की संवीक्षा पूरी होने से पहले सत्यापन को सुनिश्चित करने में विफल रहे। यदि आयकर विभाग के दो निर्धारण प्रभारों के बीच सूचना साझा की गई होती तो ₹ 579.28 करोड़ की अनुद्घोषित राशि को निर्धारिती की आय में जोड़ दिया जाता और ₹ 187.95 करोड़ का कर आता। यह इस तथ्य का सूचक है कि आयकर विभाग के विभिन्न प्रभारों के बीच सूचना साझा करना प्रभावपूर्ण नहीं था, इसमें राजस्व रिसाव की गुंजाइश थी।

(ग) प्रभार: पीसीआईटी-25, मुम्बई
निर्धारिती: समीर बैजनाथ जोशी
निर्धारण वर्ष: 2011-12

अधिनियम की धारा 50 बी में स्लंप सेल के मामले में पूंजीगत लाभों की गणना के साथ सौदा किया गया है जिसमें पिछले वर्ष में प्रभारित होने वाली स्लंप सेल में उत्पन्न कोई भी लाभ आयकर के लिए लागू होगा क्योंकि लंबी अवधि के पूंजीगत सम्पत्तियों के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ पिछले वर्ष की आय माना जाएगा जिसमें स्थानान्तरण हुआ है।

निर्धारिती ने ₹ 33.51 लाख की कुल आय घोषित करते हुए सितम्बर 2011 में नि.व. 2011-12 के लिए अपनी आयकर विवरणी प्रस्तुत की और अधिनियम की धारा 143(1) के तहत उक्त को संक्षिप्त निर्धारण से आंका गया था। अन्य निर्धारिती को लेखापरीक्षा संवीक्षा, जैसे मै. रिसेप्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (आरईपीएल)¹² ने बताया कि समीर ने अपने व्यापार उपक्रमों “चंदन सिनेमा” और “चंदन सिनेमा कैंटीन” को दिनांक 7 फरवरी 2011 के समझौते के अनुसार ₹ 38.84 करोड़ के सहमत मूल्य पर आरईपीएल को स्लंप सेल के आधार पर बेच दिया। उपर्युक्त व्यवसाय उपक्रमों के बदले मै. आर ईपीएल ने निर्धारिती को ₹ 38.84 करोड़ की इक्विटी शेयर जारी किए। चूंकि, उपरोक्त हस्तांतरण स्लंप सेल के आधार पर किया गया था, धारा 50बी के प्रावधानों के अनुसार समीर जोशी, हस्तांतरणकर्ता के हाथ में पूंजीगत लाभ पर कर लगाने की आवश्यकता थी। यद्यपि, सितम्बर 2011 में फाईल की गई निर्धारिती की रिटर्न के अनुसार उपरोक्त लेन-देन के संबंध में कोई पूंजीगत लाभ का प्रस्ताव नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा नि.व. 2011-12 के लिए समीर बी. जोशी की आईटीआर से यह भी देखा गया कि ₹ 10.65 करोड़ राशि तक उसकी पूंजी में वृद्धि हुई थी तथापि पूंजी/निवेश में वृद्धि का स्रोत आईटीआर में उपलब्ध विवरण से प्राप्त नहीं किया जा सका।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने पाया कि आरईपीएल¹³ के नि.अ. ने उपरोक्त लेन-देन के संबंध में 13 जून 2014 को मुम्बई सर्कल 25(3) के बजाय सर्कल 21(2) के नि.अ. को सूचित किया था और समीर बी. जोशी के

12 नि.व. 2011-12 आईटीओ 11(1)(3), मुम्बई (अब आईटीओ 16(1)(3), मुम्बई) जिसके निर्धारण प्रभार में निर्धारित किया गया था।

13 आईटीओ 11(1)(3), मुम्बई (अब आईटीओ 16(1)(3), मुम्बई)

मामले में सत्यापित करने के लिए कहा, यद्यपि सर्कल 21(2), मुम्बई के नि.अ. ने कोई कार्यवाही नहीं की यह कहते हुए कि यह मामला उसके प्रभार से संबंधित नहीं है। इस प्रकार, सर्कल 21(2) के नि.अ. ने ना तो कोई कार्यवाही की और ना ही राजस्व की सुरक्षा के लिए इसे सर्कल 25(3) के नि.अ. को भेजा। यदि सूचना वास्तविक निर्धारण प्रभार सर्कल 25(3) को भेजी गई होती, तो यह मामला संवीक्षा निर्धारण के लिए चयनित किया गया होता और उपरोक्त लेन-देन कर के दायरे में लाया जा सकता था। यह आईटीडी की विभिन्न इकाईयों के बीच समन्वय की कमी को दर्शाता है। नि.व. 2011-12 के लिए यह मामला समय बाधित हो गया है जिसके कारण ब्याज को छोड़कर ₹ 11.95 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

2.2.2 नकद संव्यवहारों की जांच

काले धन पर श्वेत पत्र¹⁴ से पता चला कि नकद हमेशा काले धन का सहायक रहा है क्योंकि नकद में किए गए संव्यवहार कोई लेखापरीक्षा ट्रेल नहीं छोड़ते। काले धन के सृजन एवं उपयोग के संबंध में नकद के प्राथमिक महत्व को देखते हुए कानूनी प्रतिबंधों एवं विनियमों के द्वारा जो अर्थव्यवस्था में काले धन के सृजन एवं प्रवाह को रोक सकती है, कार्य करने की आवश्यकता है

अधिनियम की धारा 40ए(3) के अनुसार जहां निर्धारिती कोई व्यय करता है, जिसके संबंध में बैंक में आहरित आदाता खाता चैक या आदाता खाता बैंक ड्राफ्ट के अतिरिक्त एक दिन में किसी व्यक्ति को किए गए भुगतान या भुगतानों का औसत बीस हजार रूपए से अधिक है तो ऐसे व्यय के संबंध में किसी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नमूना हेतु चयनित मामलों की जांच के दौरान तीन राज्यों¹⁵ में पांच मामलों में हमने देखा कि संबंधित पार्टियों के मध्य नकद संव्यवहार किए गए थे। तथापि, एओ ने संबंधित पार्टियों से ब्यौरें प्राप्त करने और क्षेत्राधिकारी एओ को सूचना भेजने हेतु कोई प्रयास नहीं किए थे। दो मामले नीचे दिए गए हैं (बॉक्स 2.2 देखें)।

14 वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, सीबीडीटी (मई 2012) द्वारा जारी

15 आंध्र प्रदेश व तेलंगाना, महाराष्ट्र और तमिलनाडु

बॉक्स 2.2: नकद संव्यवहारों की जांच के दृष्टांत

(क) प्रभार: पीसीआईटी-6, हैदराबाद

निर्धारिती: के. वेणुगोपाल (मै. केवी फिल्मस का मालिक)

निर्धारण वर्ष: 2012-13

निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण ₹ 1.29 करोड़ की आय पर मार्च 2015 में पूरा हुआ था। लेखापरीक्षा ने निर्धारिती के बही लेखे से देखा कि निर्धारिती को विभिन्न फिल्मों के अधिकारों की बिक्री के लिए नकद में ₹ 2.92 करोड़ की राशि मिली थी यद्यपि खरीददारों के ब्यौरे अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि एओ ने खरीददारों के क्षेत्राधिकारी एओ को सूचना भेजने के लिए फिल्म अधिकार खरीदने वालों के ब्यौरे प्राप्त नहीं किए थे जिनसे निर्धारिती ने नकद भुगतान प्राप्त किए थे। एओ द्वारा सूचना प्राप्त न करने और क्षेत्राधिकारी एओ के साथ साझा न करने से नकद संव्यवहारों की जांच में रुकावट आई और अधिनियम की धारा 40ए(3) के अंतर्गत खरीददार के विरुद्ध उक्त का अस्वीकरण नहीं हुआ।

आयकर विभाग ने उत्तर दिया (जनवरी 2018) कि चूँकि निर्धारिती के मामले में कोई विशेष उल्लंघन नहीं था फिर भी निर्धारिती से ब्यौरे प्राप्त करने के लिए और उसे क्षेत्राधिकारी एओ को भेजने के लिए प्रयास किए जाएंगे। आयकर विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुदघोषित आय का मुख्य स्रोत होने के कारण नकद संव्यवहारों की विशिष्ट संवीक्षा निर्धारण के लिए अवश्य जांच की जानी चाहिए और संभावित राजस्व रिसाव रोकने के लिए नकद भुगतान करने वाले व्यक्तियों के ब्यौरे संबंधित एओ के साथ साझा करने की आवश्यकता है।

(ख) प्रभार: पीसीआईटी-10, चेन्नई

निर्धारिती: मै. तिरुपति ब्रदर्स फिल्म मिडिया

निर्धारण वर्ष: 2013-14

लेखापरीक्षा ने निर्धारिती के निर्धारण अभिलेखों से देखा कि, निर्धारिती ने स्वीकार किया था कि उसने वि.व. 2012-13 के दौरान मै. स्टूडियो ग्रीन से ₹ 2.45 करोड़ नकद प्राप्त किए थे। लेखापरीक्षा नि.व. 2013-14 के लिए मै. स्टूडियो ग्रीन के निर्धारण अभिलेखों की प्रति जांच की और पाया कि एओ

(मै. स्टूडियो ग्रीन का निर्धारण करने वाला) ने व्ययों की राशि को वापस नहीं जोड़ा था जिसके लिए अधिनियम की धारा 40ए(3) का उल्लंघन करते हुए मै. स्टूडियो ग्रीन द्वारा मै. तिरुपति ब्रदर्स फिल्म मीडिया को नकद भुगतान किया गया था। यदि नकद संव्यवहारों की सूचना निर्धारिती अर्थात् मै. तिरुपति ब्रदर्स फिल्म मीडिया के एओ द्वारा मै. स्टूडियो ग्रीन का निर्धारण करने वाले क्षेत्राधिकारी एओ के साथ साझा की गई होती तो संभावित राजस्व रिसाव को रोकने हेतु ऐसे संव्यवहारों की लीक (ट्रैल) का पता चल जाता।

2.2.3 समर्पित फिल्म सर्कल/वार्डों के सृजन की प्रभावकारिता

निर्धारणों पर पूर्ण नियंत्रण और फिल्म उद्योग से संबंधित निर्धारितियों के निर्धारणों में अधिक समन्वय एवं प्रभावी प्रबन्धन के मद्देनजर मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में समर्पित फिल्म सर्कल बनाए गए हैं क्योंकि वहां अधिकतर फिल्मों का निर्माण किया जाता है।

उपरोक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण था कि फिल्म तथा टेलीविजन उद्योग से संबंधित सभी मामलों का निर्धारण फिल्म सर्कल में किया जाए। तथापि, मुंबई में डीजीआईटी (प्रणाली), नई दिल्ली से प्राप्त संवीक्षा डाटा से यह देखा गया कि वि.व. 2013-14 से 2016-17 तक फिल्म तथा टेलीविजन खंड (व्यवसाय कोड 901 से 905) के 240 निर्धारितियों का निर्धारण अन्य प्रभारों अर्थात् फिल्म सर्कलों/वार्डों के अलावा, में किया गया था। सीएजी की 2010-11 की रिपोर्ट सं. 36¹⁶ में भी ऐसा ही मामला उठाया गया था जिसमें यह सूचना दी गई थी कि 140 निर्धारितियों का निर्धारण फिल्म सर्कल से बाहर किया गया था और सीसीआईटी-1, मुंबई ने फिल्म तथा टेलीविजन उद्योग से संबंधित सभी मामलों को फिल्म सर्कल में हस्तांतरित करने के लिए मुंबई में सभी सीसीआईटी को अनुदेश जारी किए थे (अप्रैल 2010)। तथापि, अब भी अन्य प्रभारों में 240 मामलों का निर्धारण पाया गया था। इसी प्रकार बेंगलुरु में फिल्म तथा टेलीविजन खंड से संबंधित 62 निर्धारितियों का निर्धारण फिल्म सर्कलों¹⁷ से बाहर किया गया था। अतः अंतर-संबंधित परियोजनाओं और निर्धारितियों के तथ्यों एवं आकड़ों की प्रति-

16 "फिल्म तथा टेलीविजन उद्योग में संक्षिप्त निर्धारितियों का कराधार" पर प्रतिवेदन

17 डीसीआईटी 2(3)(1), बेंगलुरु, आईटीओ 2(3)(5), बेंगलुरु-दोनों पीसीआईटी-2, बेंगलुरु के अंतर्गत

जांच द्वारा राजस्व हानि के जोखिम को कम करने के मद्देनजर फिल्म तथा टेलीविजन उद्योग के मामलों के निर्धारण का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ था।

2.3 अन्य राज्यों/केंद्र सरकार के विभागों में समन्वय

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 131(1) के अनुसार इस अधिनियम के उद्देश्यों हेतु एओ के पास समान शक्तियां होंगी जैसाकि सिविल प्रक्रिया कोड 1908 के तहत न्यायालय को दी गई हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ “खाता बही एवं अन्य दस्तावेजों की प्रस्तुति हेतु बाध्य करना” भी सम्मिलित है। इसके अलावा, सीबीडीटी¹⁸ द्वारा निर्धारित कार्यालय पद्धति की आयकर विभाग की नियमपुस्तक द्वारा निर्धारितियों पर अत्यावश्यक सूचना, मौजूदा के साथ-साथ संभावित दोनों प्राप्त करने हेतु आयकर प्राधिकारियों को सक्षम बनाने के लिए अन्य सरकारी विभागों तथा एजेंसियों जैसे प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय सीमा एवं उत्पाद शुल्क विभाग, केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, बिक्री कर एवं व्यापार कर विभागों, राज्य उत्पाद शुल्क विभागों, जिला प्रशासन तथा आर्थिक अपराधों और पुलिस प्राधिकारियों से डील करने वाली सरकारी एजेंसियों के साथ संपर्क स्थापित करने की जिम्मेदारी आयकर विभाग को सौंपी गई है। लेखापरीक्षा ने पाया कि अन्य विभागों के पास उपलब्ध निर्धारिती की सूचना का एओ द्वारा निर्धारण पूर्ण करते समय प्रभाविकता से उपयोग नहीं किया गया जिससे राजस्व रिसाव की गुंजाइश रह जाती है। इस संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अगले पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

2.3.1 राज्य सरकारों के साथ समन्वय

आयकर विभाग द्वारा निर्माताओं से लेकर फिल्म की टिकटों की बिक्री पर प्रदर्शकों के स्तर तक की श्रृंखला के माध्यम से प्रस्तावित आय की जांच के लिए मनोरंजन कर, अब वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में सम्मिलित, प्राप्त एवं उपयोग किया जा सकता था जिसे राज्य सरकारों द्वारा संग्रहित किया जाता था। अतः मनोरंजन कर के उद्देश्य हेतु दर्शाई गई प्राप्तियों, के संबंध में निर्धारितियों की बहियों में दर्शाई गई वास्तविक प्राप्तियों की प्रति जांच हेतु बॉक्स ऑफिस संग्रहण का चयन किया जा सकता था।

18 आयकर विभाग एमओपी का पैरा 9 - अध्याय 4 - संस्करण-III; संस्करण II के अध्याय 9 के तहत पैरा 34.2.2

2.3.1.1 हमने आय कर अधिनियम के अनुसार निर्धारितियों द्वारा जमा किए गए मनोरंजन कर तथा प्रस्तुत आय की दोहरी जांच के लिए महालेखाकर के माध्यम से दिल्ली राज्य के मनोरंजन कर डाटा की सूचना मांगी। हमने 30 निर्धारितियों के संदर्भ में संग्रहित मनोरंजन कर के ब्यौरे प्राप्त किए। हमने दो निर्धारितियों अर्थात मै. मूवी टाइम्स सिनेप्लेक्स प्रा. लि. तथा मै. एम 2 के एंटेरेटेनमेंट प्रा. लि. के संदर्भ में आयकर अधिनियम के अनुसार निर्धारितियों द्वारा जमा मनोरंजन कर तथा प्रस्तुत आय की नमूना जांच और दोहरी जांच की। इस संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है।

दिल्ली में, बेची गई टिकटों के ब्यौरे फार्म '7'¹⁹ में फिल्म के प्रत्येक प्रदर्शन के लिए अलग से तैयार किए जाते हैं जिसमें टिकटों की बिक्री से प्राप्त सकल राशि तथा संग्रहित मनोरंजन कर और अधिभार की राशि दर्शाई जाती है। लेखापरीक्षा ने दिल्ली में दो निर्धारण मामलों में देखा कि फार्म '7' में दर्शाए गए संग्रहण के संदर्भ में निर्धारितियों द्वारा दिए गए राजस्व संग्रहण आकड़ों की जांच न करने के परिणामस्वरूप ₹ 67.99 करोड़ की कम मांग रखी गई। मामलों को नीचे दर्शाया गया है (बॉक्स 2.3 देखें)।

बॉक्स 2.3: अन्य केंद्र/राज्य विभागों के साथ समन्वय के निदर्शी मामलों के दृष्टांत

(क) प्रभार: पीसीआईटी-6, दिल्ली

निर्धारिती: मै. मूवी टाइम्स सिनेप्लैक्स प्रा. लि.

निर्धारण वर्ष: 2011-12 से 2014-15

दिल्ली में दो मल्टीप्लेक्स सिनेमा चलाने का व्यवसाय करने वाले निर्धारिती ने टिकटों की बिक्री से नि.व. 2011-12 से 2014-15 के अपने लाभ एवं हानि लेखा में ₹ 127.95 करोड़ (मनोरंजन कर छोड़कर) की आय प्रस्तुत की थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने मनोरंजन कर विभाग, दिल्ली द्वारा दी गई सूचना से देखा कि निर्धारिती ने उपरोक्त अवधि के दौरान दो सिनेमा घर के प्रति ₹ 46.01 करोड़ का मनोरंजन कर जमा किया था। चूँकि, टिकटों की बिक्री पर लागू 20 प्रतिशत मनोरंजन कर पर विचार करते हुए सिनेमा घर

19 दिल्ली मनोरंजन एवं बैटिंग कर नियमावली, 1997 के नियम 14 के अनुसार

द्वारा सृजित तदनुरूपी आय ₹ 230.06 करोड़ गिनी गई। अतः ₹ 102.11 करोड़ (₹ 230.06 करोड़ - ₹ 127.95 करोड़) की कम आय की सूचना दी गई थी जिसमें ब्याज सहित ₹ 43.93 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है। आयकर विभाग ने मार्च 2018 में अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी थी।

(ख) प्रभार: पीसीआईटी-6, दिल्ली

निर्धारिती: मै. एम2के एंटरटेनमेंट प्रा. लि.

निर्धारण वर्ष: 2011-12 से 2014-15

दिल्ली में दो मल्टीप्लेक्स सिनेमा चलाने का व्यवसाय करने वाले निर्धारिती ने टिकटों की बिक्री से नि.व. 2011-12 से 2014-15 के अपने लाभ एवं हानि लेखा में ₹ 39.72 करोड़ (मनोरंजन कर छोड़कर) की आय प्रस्तुत की थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने मनोरंजन कर विभाग, दिल्ली द्वारा दी गई सूचना से देखा कि निर्धारिती ने उपरोक्त अवधि के दौरान दो सिनेमा घर के प्रति ₹ 19.36 करोड़ का मनोरंजन कर जमा किया था। चूँकि, टिकटों की बिक्री पर लागू 20 प्रतिशत मनोरंजन कर पर विचार करते हुए सिनेमा घर द्वारा सृजित तदनुरूपी आय ₹ 96.80 करोड़ गिनी गई। अतः ₹ 57.08 करोड़ (₹ 96.80 करोड़ - ₹ 39.72 करोड़) की कम आय की सूचना दी गई थी जिसमें ब्याज सहित ₹ 24.06 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है।

आयकर विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2018) कि निर्धारिती ने मनोरंजन कर विभाग को प्रस्तुत किए गए इसके अभिलेखों एवं निष्पादन प्रतिवेदनों की जांच की थी, यद्यपि यह संग्रहित एवं जमा कराए गए मनोरंजन कर के किसी आंकड़ों का पता नहीं लगा सका जैसे कि लेखापरीक्षा ने दर्शाए हैं और आंकड़े लेने में कोई गलती हुई होगी। यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एओ ने निर्धारिती के बयान पर विश्वास किया और निर्धारिती द्वारा अपनी आयकर रिटर्न (आईटीआर) में दर्शाई गई आय के प्रति सत्यापन हेतु राज्य विभाग के पास निर्धारिती द्वारा जमा कराए गए मनोरंजन कर की जांच नहीं की।

2.3.1.2 महाराष्ट्र में प्रत्येक थियेटर मालिक को मुम्बई मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1923 के अंतर्गत फार्म बी में साप्ताहिक रिटर्न भरनी थी। इस साप्ताहिक रिटर्न में राजस्व संग्रहण के फिल्मवार ब्यौरे तथा भुगतान किया गया मनोरंजन कर शामिल था। अतः राज्य सरकार के मनोरंजन कर विभाग के पास फिल्म के प्रदर्शन से प्राप्त राजस्व के बारे में मौलिक सूचना उपलब्ध थी।

लेखापरीक्षा ने महाराष्ट्र (प्रधान सीआईटी-16, मुंबई प्रभार) में 12 मामलों²⁰ की नमूना जांच में देखा कि एओ ने किसी भी मामले में राजस्व संग्रहण की फार्म बी में दर्शाए गए वास्तविक संग्रहण के साथ जांच करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

उपर दर्शाए गए मामलों से पता चलता है कि आयकर विभाग ने अन्य विभागों से संपर्क नहीं किया और इसने निर्धारितियों की उद्घोषणाओं को बिना किसी प्रति जांच के स्वीकार किया था।

2.3.1.3 कर्नाटक में, मनोरंजन का व्यवसाय चलाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कर्नाटक मनोरंजन कर अधिनियम 1958 की धारा 4ई के साथ पढ़े गए नियम 17ए के अनुसार फार्म XXIII में मासिक रिटर्न दाखिल करना था। मासिक रिटर्न में प्रवेश टिकटों के भुगतान के विवरण और सभी सम्मानार्थ टिकटों और पासों और मनोरंजन कर के भुगतान के विवरण शामिल थे।

कर्नाटक, पीसीआईटी-1, बेंगलुरु प्रभार में, लेखापरीक्षा ने देखा कि एक निर्धारिती, बेंगलुरु लेज़र प्रा. लिमि. ने वि.व. 2012-13 (नि.व. 2013-14 के प्रसंग में) के अन्तर्गत कर्नाटक मनोरंजन कर अधिनियम, 1958 के फार्म XXIII में मनोरंजन के कारोबार से ₹ 3.75 करोड़ (मनोरंजन कर का शुद्ध) पर कुल संग्रह प्रस्तुत किया था। यद्यपि, उक्त वि.व. हेतु लाभ और हानि लेखे में आय के रूप में केवल ₹ 2.78 करोड़ ही निर्धारिती ने प्रस्तुत किये थे और इस कारण ₹ 0.42 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 0.97 करोड़ तक आय का कम

20 (1) राजीव मल्होत्रा (2) मै. स्वानस्टन मल्टीप्लेक्स सिनेमा प्रा.लिमिटेड (3) मै. क्वालिटी सिने लैब्स प्रा. लिमिटेड (4) मै. दि बंगाल प्रोपर्टीज प्रा. लिमिटेड (5) मै. फिदा फिल्मस एंड होटल्स कंपनी प्रा. लिमिटेड (6) मै. श्रृंगार फिल्मस (7) चंपकलाल प्राणलाल जवेरी (8) राहुल मधुसूदन हास्कर (9) मै. रक्षा एंटरटेनमेंट प्रा. लिमिटेड (10) मै. राजश्री पिक्चर्स प्रा. लिमिटेड (11) मै. मारुति इंटरनेशनल और (12) मै. मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड।

निर्धारण किया गया। फार्म XXIII में निर्धारिती द्वारा घोषित वास्तविक संग्रह कि राशि और लाभ और हानि लेखे में दी गई राशि का प्रति सत्यापन न करने के कारण ₹ 0.42 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 0.97 करोड़ आय का कम निर्धारण किया गया। आयकर विभाग ने आपत्ति को स्वीकार किया और उपचारात्मक कार्यवाही शुरू करने को सहमत हुआ (सितंबर 2018)।

2.3.2 केंद्र सरकार के विभागों के साथ समन्वय

सरकार का राजस्व बढ़ाने और संभावित निर्धारितियों की पहचान करने के लिए, बाह्य स्रोतों जैसे अन्य केंद्र सरकार एजेंसियों के डाटा, से प्राप्त सूचना का आयकर विभाग द्वारा उपयोग नहीं किया जा सका। लेखापरीक्षा ने ऐसे मामले देखे जिनमें आयकर विभाग ने निर्धारणों को पूर्ण करते समय केंद्र सरकार की एजेंसियों से समन्वय नहीं किया जिससे राजस्व रिसाव की गुंजाईस रह गई। इस संदर्भ में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

2.3.2.1 कॉपीराइट रजिस्ट्रार के साथ समन्वय

कॉपीराइट (संशोधित) अधिनियम, 2012²¹ की धारा 33 से 35 के अनुसार कॉपीराइट सोसायटी को पांच वर्षों की अवधि के बाद नए सिरे से कॉपीराइट रजिस्ट्रार के पास स्वयं को पंजीकृत कराना है। इसके अतिरिक्त, नवीकरण कॉपीराइट के मालिकों के रूप में कार्यों के लेखको की उनकी क्षमता में या रॉयल्टी प्राप्त करने के अधिकार हेतु साझा की जा रही कॉपीराइट सॉसायटी के निरंतर सामूहिक नियंत्रण में होगा।

महाराष्ट्र, पीसीआईटी-16, मुंबई प्रभार में नि.व. 2013-14 और 2014-15 के लिए निर्धारिती, मै. इंडियन परफॉर्मिंग राइट सॉसायटी लि. का निर्धारण मार्च 2016 और दिसम्बर 2016 में क्रमशः ₹ 21.63 लाख और ₹ 19.81 लाख की आय पर संवीक्षा के पश्चात पूरा हुआ। किसी संगीत संबंधी कार्य के रचनाकार या मालिक होने के नाते अपने सदस्यों की तरफ से रॉयल्टी संग्रहण करने में लगा निर्धारिती निवल आय को इसके सदस्यों को देय के रूप में घोषित कर रहा था और उक्त का उपयोग कर से छूट के रूप में किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती ने नया पंजीकरण नहीं कराया था, इससे

21 कॉपीराइट अधिनियम वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा बनाया गया है।

कॉपीराइट (संशोधित) अधिनियम, 2012 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। इसलिए, नि.व. 2013-14 तथा 2014-15 में क्रमशः ₹ 38.28 करोड़ और ₹ 39.67 करोड़ की रॉयल्टी आय को निर्धारिती के हाथ में आय के रूप में मानना और कर लगाना आवश्यक था।

यदि आयकर विभाग ने कॉपीराइट रजिस्ट्रार से समन्य किया होता और मामले पर कार्रवाई की होती तो निर्धारिती द्वारा लिए गए अनुचित लाभ को रोका जा सकता था और राजकोषीय हानि से बचा जा सकता था।

2.3.2.2 केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के साथ समन्वय

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि यद्यपि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा फिल्मों का प्रमाणीकरण किया जा रहा है और चार राज्यों में विशिष्ट फिल्म सर्कल तथा फिल्म वार्ड मौजूद हैं फिर भी आयकर विभाग ने प्रमाणित फिल्मों के सीबीएफसी डाटा की तुलना में प्राप्त फार्म 52ए²² की जांच के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की थी। ऐसी प्रति जांच के अभाव में आयकर विभाग निर्धारिती द्वारा फाइल करने हेतु अपेक्षित फार्म 52ए की संख्या सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं है। अगले अध्याय (पैरा 3.7.4) में हमने दर्शाया है कि फिल्म निर्माताओं ने 152 फिल्मों के लिए फार्म 52ए प्रस्तुत नहीं किए थे जिससे निर्धारिती द्वारा दावा किए गए व्ययों के संबंध में एओ द्वारा प्रभावपूर्ण जांच प्रभावित हुई। आयकर विभाग को निर्धारितियों से फार्म 52ए की प्राप्ति की उचित निगरानी के लिए सीबीएफसी की सूचना का उपयोग करने हेतु तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।

2.4 कराधार के सुदृढ़ीकरण/विस्तार में सर्वेक्षण की भूमिका

आयकर अधिनियम की धारा 133ए तथा 133बी निर्धारिती के वित्तीय संव्यवहारों से संबंधित सूचना एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण करने हेतु आयकर विभाग को शक्तियां प्रदान करती है। सर्वेक्षण आयकर विभाग को नए निर्धारितियों की पहचान करने, विवरणी दाखिल करना बन्द करने वालों (स्टॉप फाइलर्स) तथा कर अपवंचन का पता लगाने में सक्षम बनाते हैं।

22 सिनेमा फिल्म का निर्माण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से ₹ 50,000 से अधिक के सभी भुगतानों के विवरण देते हुए फार्म 52ए में क्षेत्राधिकारी निर्धारण अधिकारी को विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

मनोरंजन क्षेत्र में वि.व. 2013-14 से 2016-17 के दौरान किए गए नियमित सर्वेक्षणों (चयनित यूनिटों में) से संबंधित सूचना आयकर विभाग से मांगी गई थी। यह देखा गया कि छः राज्यों²³ में 25 सर्वेक्षण किए गए थे जिसमें ₹ 262.17 करोड़ के अनुवृद्धि/प्रकटन किए गए थे। तथापि, वि.व. 2013-14 से 2016-17 के अन्तर्गत मनोरंजन क्षेत्र में 13 राज्यों²⁴ में कोई सर्वेक्षण नहीं किए गए थे। गुजरात राज्य में किए गए सर्वेक्षण से संबंधित कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। अतः, कराधार सुदृढीकरण के साथ-साथ अपवंचन के प्रति निवारण हेतु प्रभावी तंत्र होने के बावजूद आयकर विभाग ने सर्वेक्षणों का वि.व 2013-14 से 2016-17 के दौरान 14 राज्यों में पूर्णतया उपयोग नहीं किया था।

2.5 निष्कर्ष

- कारोबार कोड 906 (अन्य) मनोरंजन क्षेत्र में 87 प्रतिशत निर्धारितियों का लेखा करता है और इस कोड के अंतर्गत आने वाले निर्धारिती इस क्षेत्र में राजस्व उत्पन्न करने का महत्वपूर्ण स्रोत है। कोड 906 के तहत श्रेणियों की पहचान करने की आवश्यकता है और वैज्ञानिक चयन को सरल बनाने तथा संवीक्षा चयन हेतु जोखिम में प्रभावी मूल्यांकन के लिए उभरते क्षेत्रों जैसे खेल, कार्यक्रम प्रबन्धन, कलाकार आदि के अंतर्गत निर्धारितियों को विशेष कोड के आबंटन हेतु इसके निरूपण की आवश्यकता है।
- निर्धारिती की उपयोगी सूचना आयकर विभाग के विभिन्न प्रभागों के मध्य साझा नहीं की गई थी जिससे निर्धारण की गुणवत्ता प्रभावित हुई। आयकर विभाग ने राज्य तथा केंद्र सरकार के विभागों से उनके पास उपलब्ध डाटा के संग्रहण एवं विश्लेषण के लिए प्रभावपूर्ण ढंग से समन्वय भी नहीं किया।
- यद्यपि, समर्पित यूनिटों में फिल्म तथा टेलीविजन उद्योग के सभी निर्धारितियों के निर्धारण हेतु विशेष फिल्म सर्कल/वार्ड बनाए गए थे, फिर भी आयकर विभाग ने नामित सर्कलों/वार्डों में उनका निर्धारण

23 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु

24 बिहार, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, एनईआर, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल

करने हेतु पर्याप्त प्रयास नहीं किए थे जिससे संबंधित संव्यवहारों की प्रति जांच तथा राजस्व के संभावित रिसाव की रोकथाम का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

- कराधार के सुदृढीकरण के साथ-साथ अपवंचन के प्रति निवारण हेतु प्रभावी तंत्र होने के बावजूद वि.व. 2013-14 से वि.व. 2016-17 के दौरान सर्वेक्षणों का पर्याप्त रूप से उपयोग नहीं किया गया था।

2.6 सिफारिशें

लेखापरीक्षा सिफारिश करता है कि:

- क. सीबीडीटी विस्तृत संवीक्षा हेतु निर्धारितियों की बेहतर निगरानी, बेहतर सतर्कता तथा पहचान सुनिश्चित करने के लिए फिल्म कलाकार तथा मनोरंजन उद्योग में उभरते क्षेत्रों जैसे खेल, कार्यक्रम प्रबन्धन आदि को अलग कोड आबंटित करें।

सीबीडीटी ने उत्तर दिया (जून 2018) कि कारोबार की प्रकृति दर्शाते हुए कोड पुनः बनाए गए हैं और नि.व. 2018-19 हेतु अधिसूचित रिटर्न फार्म में संशोधित किए गए हैं तथा संशोधित कोड के अनुसार “संस्कृति एवं खेल” से संबंधित कॉलम में मनोरंजन उद्योग के विभिन्न नए और उभरते क्षेत्र शामिल किए गए हैं। सीबीडीटी ने रचनाकार, जो सभी क्षेत्रों में कलाकारों को सम्मिलित करता है, को छोड़ते हुए पृथक कलाकारों को कोड पहले ही आबंटित किया हुआ है (नि.व. 2018-19 हेतु नए आईटीआर फार्म में) अतः अब फिल्म के कलाकारों के लिए किसी अलग कोड की आवश्यकता नहीं है।

इस संदर्भ में यह बताया गया है कि मनोरंजन क्षेत्र के उभरते क्षेत्र कार्यक्रम प्रबन्धन को नि.व. 2018-19 हेतु अधिसूचित रिटर्न फार्म में अलग कोड आबंटित नहीं किया गया है। फिल्म कलाकारों को कोड आबंटन के संबंध में लेखापरीक्षा का मत है कि उच्च जोखिम निर्धारिती होने के कारण फिल्म कलाकारों को विस्तृत संवीक्षा हेतु ऐसे निर्धारितियों की बेहतर निगरानी, बेहतर सतर्कता तथा पहचान हेतु पृथक कोड आबंटित किए जाए।

ख. आयकर विभाग निर्धारणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विभाग में उपयोगी सूचना को साझा करने तथा प्रति जांच हेतु मौजूदा तंत्र को सुदृढ़ करें।

सीबीडीटी ने उत्तर दिया (जून 2018) कि तंत्रको बेहतर बनाने/सुधार हेतु सुझाव नोट कर लिया है।

ग. सीबीडीटी निर्धारितियों द्वारा उनकी आयकर विवरणी में दर्शाए गए राजस्व संग्रहण के आंकड़ों की प्रति जांच के लिए बाह्य एजेंसियों जैसे केंद्र/राज्य के राजस्व विभागों/प्राधिकरणों से प्रभावपूर्ण ढंग से समन्वय स्थापित करें।

सीबीडीटी ने उत्तर दिया (जून 2018) कि राज्य/केंद्र सरकार में अन्य संभावित भागीदारों के साथ डाटा विनिमय बेहतर बनाने/सुधार करने के लिए सुझाव नोट कर लिया है।

घ. सीबीडीटी सुनिश्चित करें कि फिल्म तथा टेलीविजन उद्योग से संबंधित मामलों का निर्धारण फिल्म सर्कलों/वार्डों में किया जाए ताकि संबंधित संव्यवहारों की प्रति जांच की जा सके तथा राजस्व रिसाव रोका जा सके।

सीबीडीटी ने उत्तर दिया (जून 2018) कि फिल्म तथा मनोरंजन क्षेत्र के मामलों के केंद्रीकृत पद्धति से एक ही स्थान पर निर्धारण के लिए मुख्य स्टेशनों जैसे मुंबई, चेन्नई तथा हैदराबाद में पहले ही पृथक फिल्म सर्कलों का निर्माण किया गया है और सीबीडीटी की तरफ से इस मामले पर आगे कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

यह उत्तर लेखापरीक्षा सिफारिश का समाधान नहीं करता क्योंकि फिल्म सर्कलों/वार्डों से बाहर निर्धारण होने वाले निर्धारितियों की संख्या में लेखापरीक्षा अवधि के दौरान वास्तव में 140 (2010-11 के सीएजी के प्रतिवेदन 36 में दर्शाया गया) से 240 तक वृद्धि हुई थी। सीबीडीटी सुनिश्चित करे कि फिल्म और टेलीविजन उद्योग से संबंधित मामलों का निर्धारण पहले से निर्मित फिल्म सर्कलों/वार्डों में किया जाता है ताकि संबंधित संव्यवहारों की प्रति जांच की जा सके और राजस्व रिसाव रोका जा सके।

अध्याय 3: आंतरिक नियंत्रण तथा अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों में अस्पष्टता

निष्पादन लेखापरीक्षा में पता लगाने की परिकल्पना की गई कि क्या प्रभावपूर्ण निर्धारणों को सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियाँ, आंतरिक नियंत्रण तथा पद्धतियाँ पर्याप्त एवं सुदृढ थीं ताकि निर्धारितियों द्वारा आय की कम सूचना या व्ययों को बढ़ाकर बताने के कारण राजस्व हानि को रोका जा सके। उद्देश्य निर्धारणों की गुणवत्ता में कमियों के साथ-साथ मौजूदा प्रावधानों में कमियों और अस्पष्टता की जांच करना भी था जो आय और व्यय की सूचना में हेर-फेर करने वाले निर्धारितियों के उपयोग के लिए एक अंतराल पैदा करेगा। वर्तमान अध्याय मनोरंजन क्षेत्र से संबंधित निर्धारितियों से निपटने में आयकर विभाग द्वारा प्रणालीगत मुद्दों और आंतरिक नियंत्रण/निगरानी तंत्र के मामलों का वर्णन करता है।

3.1 विदेश में शूट की गई फिल्मों के संबंध में लेन-देनों की जांच

विदेशी स्थानों पर फीचर फिल्म पूरा करने हेतु, भारतीय निर्माणशाला (प्रोडक्शन हाउस), विदेशी लाइन निर्माता कंपनियों (लाइन निर्माता अर्थात: देशीय कंपनियों जो उस विशेष देश में पंजीकृत हैं) की सेवाएं किराए पर लेते हैं। विदेशी लाइन निर्माताओं द्वारा किए गए पूर्व और/या पश्च निर्माण व्यय की प्रतिपूर्ति निर्धारित (भारतीय निर्माणशाला) द्वारा उनके बीच किए गए करार के आधार पर की जाती है और लाइन निर्माता को प्रतिपूर्ति किए गए सभी व्ययों का निर्धारित द्वारा इसके लाभ एवं हानि लेखा द्वारा व्यय के रूप में दावा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, अधिकतर देशों जैसे युनाइटेड किंगडम (यूके), इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस आदि में उनके संबंधित देशों में पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु फिल्म निर्माणशालाओं के लिए संबंधित सरकारों द्वारा प्रोत्साहन योजना चलाई जाती है।

अधिनियम की धारा 90 के तहत हस्ताक्षरित कर संधियों में 'सूचना के आदान-प्रदान' का तंत्र शामिल है जिसके आधार पर एओ विदेशी लाइन निर्माताओं को भारतीय फिल्म निर्माताओं द्वारा निर्माण लागत की क्षतिपूर्ति

और अधिनियम की धारा 90 के तहत विदेशी सरकार से अनुदान/ प्रोत्साहन की मात्रा की जांच के लिए विदेशी क्षेत्राधिकार से अनुरोध कर सकते हैं।

3.1.1 निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, महाराष्ट्र की 208 निर्माणशालाओं में से, हमने जांच के लिए 28 निर्माणशालाओं/कम्पनियों की पहचान की, जो मुख्यतः फिल्मों के निर्माण में लगी हुई थी। 28 निर्माणशालाओं/ कम्पनियों में से, हमने चार निर्माण कम्पनियों²⁵ के रिकॉर्डों की नमूना जांच की, जिनकी फिल्मों की शूट लेखापरीक्षा में शामिल अवधि के दौरान विदेशों में की गई थी। चार में से, तीन निर्माण कम्पनियों ने विदेशी लाइन उत्पादकों को काम पर रखा/लगाया था। इस संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों की आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

तीन निर्माणशालाओं²⁶ से संबंधित चार संवीक्षा निर्धारण मामलों में, निर्धारिती ने 2010-11 से 2013-14 की अवधि के दौरान ₹ 223.78 करोड़ की निर्माण लागत का दावा किया और विदेशी लाइन निर्माताओं को क्षतिपूर्ति की अनुमति दी गई थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि एओ ने किसी भी जांच के बिना विदेशी लाइन निर्माताओं को प्रतिपूर्ति की गई निर्माण लागत के प्रति निर्धारितियों द्वारा किए गए दावे की अनुमति दी। किसी भी मामले में, एओ ने अधिनियम की धारा 90 में सूचना के विनिमय के लिए तंत्र के अन्तर्गत विदेशी लाइन निर्माताओं द्वारा लिये गये व्यय के ब्यौरे नहीं मांगे थे।

इस प्रकार, आईटीडी ने विदेशी लाइन निर्माताओं द्वारा की गई निर्माण लागत के कारण व्यय के ब्यौरे और घरेलू निर्माताओं अर्थात् निर्धारिती द्वारा किये गये दावे को पूर्ण रूप से सत्यापित नहीं किया। इसलिए, संभावना है कि निर्धारिती को अत्यधिक/अनियमित व्यय की अनुमति दी जा सकती है।

3.1.2 आईटी नियमावली के नियम 9ए के पहले परन्तुक के अनुसार फीचर फिल्म के प्रोडक्शन की लागत उस सरकार द्वारा बनाई गई किसी योजना के अन्तर्गत फिल्म निर्माता द्वारा प्राप्त अनुदान द्वारा कम की जाएगी जहां

25 पीसीआईटी-16, मुम्बई में मै. यशराज फिल्मस प्रा. लि., मै. सन्नी साउंडस प्रा. लि. और मै. एक्सल इंटरटेनमेंट प्रा. लि. और पीसीआईटी (सेन्ट्रल)-2, मुम्बई में मै. रेड चिलीज इंटरटेनमेंट प्रा. लि.

26 मै. यशराज फिल्मस प्रा. लि., (नि.व. 2011-12 एवं नि.व. 2013-14) मै. सन्नी साउंडस प्रा. लि. (नि.व. 2014-15) और मै. रेड चिलीज इंटरटेनमेंट प्रा. लि. (नि.व. 2012-13)

अनुदान की इस राशि को निर्धारिती की कुल आय की गणना में नहीं जोड़ा गया है।

हमने चार निर्माता कंपनियों की चार संविक्षा निर्धारण मामलों में देखा कि दो मामलों²⁷ में, निर्धारिती ने विदेशों से ₹ 16.69 करोड़ की प्रोत्साहन/अनुदान के प्रकटन में फिल्म की निर्माण लागत को कम कर दिया था जबकि अन्य दो मामलों²⁸ में, निर्धारिती ने फिल्म की निर्माण लागत का दावा करते समय किसी प्रोत्साहन/अनुदान को नहीं दिखाया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि, दोनों परिस्थितियों में, एओ ने निर्धारिती के प्रस्तीकरण को स्वीकार किया और संवीक्षाधीन निर्धारण को पूरा करते समय विदेशों से प्राप्त प्रोत्साहन/अनुदान के ब्यौरे को बिना सत्यापित किये व्यय को अनुमत किया था। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि उन नियमों और शर्तों जिनके अन्तर्गत विदेशों से प्रोत्साहन/अनुदान प्राप्त हुआ था, को दिखाने के लिए रिकार्डों में कुछ भी नहीं था। एओ ने विदेशों से प्राप्त प्रोत्साहन/अनुदान की मात्रा और शर्तों के संबंध में अधिनियम की धारा 90 के अन्तर्गत 'सूचना विनियम' के तंत्र का उपयोग नहीं किया था।

इस प्रकार, एओ को निर्धारणों को पूर्ण करते समय विदेशों से प्राप्त प्रोत्साहन/अनुदान की सत्यता का पता नहीं चल रहा था और वह निर्धारिती द्वारा किये गये प्रकटन पर पूर्ण रूप से भरोसा कर रहा था। सत्यापन की अनुपस्थिति में, निर्धारिती द्वारा विदेशों से प्राप्त प्रोत्साहन/अनुदान की राशि को दबाने की संभावना तथा निर्धारिती द्वारा निर्माण लागत के कारण अनियमित व्यय का दावा किया जा सकता है, जो की सरकार के राजस्व के हित को जोखिम में डालता है।

मनोरंजन क्षेत्र²⁹ पर सेवा कर की उगाही और संग्रहण पर हमारी निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, भी भारतीय निर्माणशाला और विदेशी कंपनियों के बीच संव्यवहार की गैर-सत्यता के मामले को उजागर करता है और यह सुझाव दिया जाता है कि सेवा कर उदग्रहित किया गया है या नहीं, यह सत्यापित

27 मै. यशराज फिल्मस प्रा. लि. (नि.व. 2013-14) और मै. सन्नी साउंडस प्रा. लि. (नि.व. 2014-15)

28 मै. रेड चीलीज इंटरटेनमेंट प्रा. लि. (नि.व. 2012-13) और एक्सल इंटरटेनमेंट प्रा. लि. (नि.व. 2012-13)

29 सीएजी की 2017 की प्रतिवेदन सं. 31

करने के लिए सभी पक्षों के बीच संव्यवहार के पूर्ण चक्र की जांच की आवश्यकता है।

3.2 परस्पर सम्बन्धित पार्टियों के लेन-देन और फिल्म निर्माताओं द्वारा अर्जित राजस्व का सत्यापन

फिल्म उद्योग में फिल्म निर्माण, निर्माताओं और समवर्गी सेवा प्रदाताओं के तकनीकी और वाणिज्यिक संस्थान शामिल होते हैं। फिल्म निर्माण में विभिन्न पार्टियों के सहयोग को ध्यान में रखते हुए, यह महत्वपूर्ण है कि किसी निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना कर अपवंचन से बचने के लिए दूसरी पार्टी (संबंधित पार्टी) के साथ दूसरे निर्धारिती द्वारा किये गये लेन-देन की सूचना की सटीकता प्रति-सत्यापन के लिए उपयोग की जाती है। इसके अतिरिक्त, जब फिल्म उद्योग की परस्पर सम्बन्धित पार्टियों द्वारा दूसरे लेखांकन तरीके अपनाये जाते हैं, जब लेन-देन का विस्तृत सत्यापन राजस्व के ब्याज को सुरक्षित करना अपेक्षित हो जाता है।

3.2.1 एक निर्धारिती मै. जैमिनी इंडस्ट्रीज एंड इमेजिंग लिमि. (पीसीआईडी-10, चेन्नई) के मामले में हमने पाया जहां पर कि अधिक छूट परस्पर संबंधित पार्टियों द्वारा अपनाए गये दूसरे लेखांकन तरीके के कारण अनुमत की गई थी। मामले का विवरण नीचे दिया गया है (बॉक्स 3.1 देखें)

बॉक्स 3.1: परस्पर सम्बन्धित पार्टियों के लेन-देनों का विवरण

प्रभार: पीसीआईडी-10, चेन्नई

निर्धारिती: मै. जैमिनी इंडस्ट्रीज एण्ड इमेजिंग लि.

निर्धारण वर्ष: 2008-09 से 2014-15

अधिनियम की धारा 10(2ए) प्रावधान करती है कि यदि एक व्यक्ति किसी एक फर्म में सहभागी होता है उसी रूप में इसका पृथक निर्धारण किया जाता है, तो फर्म की कुल आय में पिछले वर्ष की कुल आय की संगणना में उसके अंशदान सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

निर्धारिती की संवीक्षा निर्धारण क्रमशः ₹ (-)4.39 करोड़, ₹ 1.58 करोड़, ₹ 4.16 करोड़, ₹ 29.71 करोड़, ₹ 14.19 करोड़, ₹ 38.89 करोड़ और ₹ (-)0.60 करोड़ की आय पर क्रमशः नि.व. 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए जनवरी 2010,

दिसंबर 2011, मार्च 2013, मार्च 2014, मार्च 2015, मार्च 2016 और दिसंबर 2016 में पूरे किये गए थे। लेखापरीक्षा में देखा गया कि नि.व. 2008-09 से 2014-15 के लिए मै. आनंद सिने सर्विस फिल्म से प्राप्त लाभ के शेयर के प्रति ₹ 195.50 करोड़ की छूट का निर्धारिती ने दावा किया जिसे धारा 10(2ए) के तहत अनुमत किया गया। यद्यपि, नि.व. 2008-09 से 2014-15 के लिए, मै. आनंद सिने सर्विस ने ₹ 26.44 करोड़ का कुल लाभ दर्शाया था जिसमें से केवल ₹ 25.37 करोड़ निर्धारिती कंपनी के लाभ के शेयर से संबंधित था। इस सन्दर्भ में, निर्धारिती कंपनी के खातों की टिप्पणी से देखा गया कि फर्म से प्राप्त लाभ का शेयर प्रोद्घवन आधार पर माना गया था जबकि फर्म ने लेखाकरण की नकदी प्रणाली का अनुपालन किया था। क्योंकि धारा 10(2ए) के तहत छूट के पीछे उद्देश्य दोहरे कराधान से बचना था, निर्धारिती द्वारा अपने लाभ और हानि खाते में जो लाभ जमा किया गया था इसके अतिरिक्त फर्म का लाभ धारा 10(2ए) के तहत छूट के लिए उपयुक्त नहीं था और निर्धारिती पर कर लगाने के लिए आवश्यक था। इस प्रकार, ₹ 169.93 करोड़ (₹ 195.50 करोड़ - ₹ 25.57 करोड़) से धारा 10(2ए) के अन्तर्गत अधिक छूट अनुमत की गयी, परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 74.52 करोड़ का कम कर उदग्रहण हुआ।

महाराष्ट्र में, हमने देखा कि वि.व. 2016-17 के दौरान महाराष्ट्र फिल्म सर्कल में 376 मामलों का निर्धारण किया गया था और 2013-14 से 2016-17 के दौरान महाराष्ट्र में चार केंद्रीय निर्धारण प्रभागों में 170 मामलों का निर्धारण किया गया था। कुल 546 मामलों में से वैयक्तिक/एचयूएफ जो नकद³⁰ आधारित लेखाकरण का पालन कर रहे थे, से संबंधित 243 मामले तथा कंपनियों/फर्मों, जो लेखाकरण की वाणिज्यिक³¹ प्रणाली का पालन कर रहे थे, से संबंधित 303 मामले थे। लेखाकरण पद्धति अपनाने में अंतर के कारण परस्पर संबंधित पार्टियों द्वारा उनके मध्य किए गए संव्यवहारों की प्रति-जांच कठिन कार्य बन जाता है। फिल्म उद्योग के परस्पर सम्बन्धित पक्षों के लिए मामलों में उच्च जोखिम की सहभागिता को ध्यान में रखते हुए, यह

30 नकद आधारित लेखाकरण के अंतर्गत राजस्व एवं व्यय हेतु संव्यवहार केवल तब स्वीकार किए जाते हैं जब तदनुसार नकद प्राप्त या भुगतान किया जाता है।

31 वाणिज्यिक लेखाकरण प्रणाली के तहत संव्यवहार तब स्वीकार किए जाते हैं जब वे हुए हों।

सुनिश्चित करने के लिए कि निर्धारितियों के द्वारा कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया जा रहा है, आयकर विभाग को अत्यधिक सावधानी के साथ ऐसे मामलों को देखने की आवश्यकता है।

3.2.2 फिल्म उद्योग में, निर्माता प्रमुख व्यक्ति होता है जो अपने द्वारा निर्मित फिल्म के विभिन्न अधिकारों (वितरण अधिकार, उपग्रह अधिकार, संगीत अधिकार, प्रत्याभूति राजस्व आदि) की बिक्री से लाभ कमाता है। निर्माता की आय प्रमुख रूप से वितरण से होती है। निर्माता व्यापक रूप में वितरण अधिकारों को तीन तरीकों से बेचता है- (i) न्यूनतम गारंटी आधार (ii) पूर्णतया पट्टे पर देना तथा (iii) अग्रिम तथा कमीशन भाग पट्टा जो अतिप्रवाह से संबंधित है। इनमें से तीसरी व्यवस्था के अन्तर्गत, यदि फिल्म की आय निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो तो अधिशेष आय ('अतिप्रवाह' कही जाने वाली) को उनके बीच करार में निर्दिष्ट अनुपात के अनुसार वितरक तथा निर्माता द्वारा बांटा जाता है।

महाराष्ट्र में, 28 निर्माणशालाओं में से, हमारे द्वारा तीन निर्माणशालाओं³² के अभिलेखों की नमूना जांच की गई जहां निर्धारितियों द्वारा फिल्म अधिकार के बिक्री से सकल राशि प्रस्तुत की गई थी, यद्यपि निर्धारितियों द्वारा कोई ब्यौरे नहीं दिये गए थे, कि क्या प्रस्तुत की गई आय न्यूनतम गारंटी की राशि थी या राजस्व के अतिप्रवाह से थी अथवा क्या आय अतिप्रवाह में सम्मिलित थी। एक मामला नीचे दर्शाया गया है (बॉक्स 3.2 देखें)

बॉक्स 3.2: राजस्व के अतिप्रवाह के निगरानी का द्रष्टांत

प्रभार: पीसीआईटी-16, मुम्बई

निर्धारिती: मै. धर्मा प्रोडक्शन प्रा. लि. (डीपीपीएल)

निर्धारण वर्ष: 2011-12 से 2014-15

निर्धारिती ने करार की सामान्य शर्तें जिसके अंतर्गत उसे आय प्राप्त करनी पड़ी थी बताई थी। अतिप्रवाह से प्राप्त वास्तविक राशि का कोई द्विभाजन दस्तावेजों में नहीं था। इसके परिणामस्वरूप अतिप्रवाह से प्राप्त राशि को

32 मै. धर्मा प्रोडक्शन प्रा. लि., पीसीआईटी-16 मुम्बई (नि.व. 2011-12 से 2014-15), मै. सनी साउंडस प्रा. लि., पीसीआईटी-16 मुम्बई (नि.व. 2014-15), मै. बालाजी मोशन पिक्चर्स लि., पीसीआईटी (सेन्ट्रल)-2, मुम्बई (नि.व. 2011-12 से 2015-16)

सुनिश्चित नहीं किया जा सका। हमने उसी प्रभार में यह भी देखा कि अन्य निर्धारिती³³ ने फिल्म के विभिन्न अधिकारों की बिक्री करके अर्जित आय का विवरण दिया था तथा पृथक रूप से राजस्व के अतिप्रवाह से प्राप्त भाग का विवरण भी दिया था। यद्यपि, एओ ने मै. डीपीपीएल के मामले में प्राप्त अतिप्रवाह के विषय में पूछताछ नहीं की।

आयकर अधिनियम/नियमावली में, अतिप्रवाह के साथ-साथ फिल्म के विभिन्न अधिकारों से अर्जित राजस्व के विवरण को प्रस्तुत करने हेतु निर्माता के लिए कोई विशिष्ट फॉर्म निर्धारित नहीं किया गया है; यद्यपि अधिनियम में एक विशिष्ट प्रावधान (धारा 285बी) है जो इसे फिल्म के निर्माण की लागत के व्ययों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए निर्माताओं के लिए अनिवार्य बनाती है। अतः क्या निर्माता ने फिल्म से हुई सही आय प्रस्तुत की है अथवा आय का अतिप्रवाह फिल्म के विभिन्न अधिकारों से अर्जित आय के पूर्ण प्रकटन को अनिवार्य बनाने वाले तंत्र के अभाव की वजह से सुनिश्चित करने योग्य नहीं है।

3.3 विदेशी लाइन निर्माता को अदा की गई निर्माण लागत के प्रशोधन में भिन्नता

अधिनियम की धारा 9(i)(vii) दर्शाती है कि किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत से बाहर रहता है या भारत से बाहर कोई आय कमाने या अर्जित करने के उद्देश्य हेतु देय तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के साधन द्वारा आय भारत में प्रोदभूत या अर्जित मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 9(i)(vii) की व्याख्या 2 के अनुसार, 'तकनीकी सेवाओं के लिए फीस' का अर्थ है कोई प्रबंधन, तकनीकी या परामर्श सेवा प्राप्त करने के लिए कोई राशि (एक मुश्त राशि सहित)।

महाराष्ट्र में, नि.व. 2012-13 के लिए मै. एन्डेमोल साउथ अफ्रिका (मालिक) लि. (ईएसएएल) के मामले में, अन्तर्राष्ट्रीय करधान के एओ³⁴ ने यह निष्कर्ष दिया था कि भारतीय निर्माता³⁵ द्वारा भुगतान की गई ₹ 9.60 करोड़ की

33 नि.व. 2011-12 से 2014-15 तक के दौरान संवीक्षा तरीके से निर्धारित मै. यशराज फिल्मस प्रा. लि.

34 डीसीआईटी (आईटी)-2 (2) (1), मुंबई

35 मै. एंडमोल इंडिया प्रा. लि.

लाइन निर्माता फीस कॉपीराइट के लिए तकनीकी सेवाओं तथा निर्माण के लिए प्रदान की गई प्रबंधकीय सेवाओं की प्रकृति की थी, प्रशासनिक प्रभारों की प्रकृति की नहीं। इस आधार पर एओ ने यह कहते हुए निर्धारिती के प्रतिपूर्ति दावे को अस्वीकृत किया था कि ईएसएएल को भुगतान करते समय भारतीय निर्माता द्वारा @ 10 प्रतिशत पर कर की छूट देना उचित था। तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी तथा फीस के रूप में लाइन निर्माता को ऐसे भुगतान पर विचार करते हुए विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) द्वारा भी इस मत को स्वीकार किया गया था।

अन्य तीन मामलों³⁶ में हमने पाया कि भारतीय निर्माता ने विदेशी निर्माता को फिल्म की निर्माण लागत के प्रति ₹ 223.76 करोड़ का भुगतान किया जिसमें तकनीकी सेवा शुल्क भी सम्मिलित था, तथापि, भारतीय निर्माताओं द्वारा कोई कर रोका नहीं गया। आयकर विभाग ने भी ₹ 223.76 करोड़ के व्यय को अननुमत नहीं किया जो यह दर्शाता है कि आयकर विभाग के विभिन्न निर्धारण प्रभारों में अनुरूपता की कमी थी, यद्यपि भुगतानों की प्रकृति अर्थात् सभी मामलों में लाइन निर्माता शुल्क समान था।

मै. रेड चिल्लिज एन्टरटेनमेंट प्रा. लि. के मामले में आयकर विभाग ने आपत्ति को अस्वीकार करते हुए कहा (अप्रैल 2018) कि निर्धारिती द्वारा मै. विनफोर्ड प्रोडक्शन लि. (विदेशी लाइन निर्माता) को किए गए भुगतान पर टीडीएस की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह भुगतान मै. विनफोर्ड प्रोडक्शन लि. (विदेशी निर्माता) द्वारा किए गए व्यय और दी गई सेवाओं के लिए किया गया था तथा इसे तकनीकी सेवाओं के रूप में व्यवहारित नहीं किया जा सकता।

विदेशी लाइन निर्माता को निर्माण लागत भुगतान के लिए किए गए व्ययों को मानने में विभाग द्वारा अपनाए गए असंगत दृष्टिकोण पर प्रकाश डालने हेतु लेखापरीक्षा आपत्तियां की गईं। एक मामले में (डीसीसीसी 4(2) मुंबई के अंतर्गत मै. ऐंडमोल साउथ अफ्रिका (मालिक) लि.) के भुगतान को तकनीकी सेवाओं के रूप में माना गया था जबकि अन्य तीन मामलों में व्यय के रूप में

36 (i) मै. सनी साउंड्स प्रा. लि., (पीसीआईटी-16, मुंबई) (ii) मै. यशराज फिल्मस प्रा. लि. (पीसीआईटी-16, मुंबई) और (iii) मै. रेड चिल्लिज एन्टरटेनमेंट प्रा. लि. (पीसीआईटी (मध्य)-2, मुंबई)

माना गया था। विभाग द्वारा इसे असंगत मानने के लिए कोई औचित्य नहीं दिया गया।

3.4 माल सूची और पूर्व-प्रचालन व्यय को बट्टे खाते में डालने के व्यवहार का सत्यापन

तमिलनाडु में हमने पाया कि एओ ने सीआईटी-10, चैन्नई प्रभार में नि.व. 2014-15 के लिए मै. पेंटा मीडिया ग्राफिक्स लिमि. के मामले में ₹ 8.01 करोड़ की राशि 'फिल्म अधिकारों और फिल्मों की प्रगति की मालसूची को बट्टे खाते में डालना' अननुमत की थी, जबकि मै. जी.वी. फिल्मस लि. के एक अन्य मामले में नि.व. 2013-14 के लिए समान प्रभार में 'फिल्म अधिकार और अर्धनिर्मित निर्माण बट्टे खाते में डालना' के संबंध में ₹ 142 करोड़ अननुमत नहीं किए गए थे। इस प्रकार, इस तथ्य के बावजूद कि दोनों निर्धारिती एक ही सर्कल में आंके गए थे, एओ द्वारा फिल्म अधिकारों की सूची बट्टे खाते में डालने की अनुमतता में एकरूपता नहीं अपनाई गई।

हमने यह भी पाया कि पीसीआईटी-5, बैंगलुरु के प्रभार में, एओ ने एक मामले में³⁷ ₹ 2.93 करोड़ के पूर्व-प्रचालन प्रभार को अननुमत किया और यह निष्कर्ष निकाला कि उक्त राशि को 10 वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जाना चाहिए क्योंकि व्यावसायिक कार्यकलाप अगले वित्त वर्ष में आरंभ हुए थे। इस अननुमता को अपील (जुलाई 2016) ने भी कायम रखा। तथापि, एक अन्य मामले में³⁸ समान केंद्रीय रेंज के अंतर्गत एक अन्य एओ द्वारा ₹ 78.23 लाख के पूर्व-प्रचालन व्यय का दावा अनुमत किया गया। इस प्रकार, तथ्य और परिस्थितियों की प्रकृति समान होने के बावजूद भी, एक ही एओ ने अलग-अलग व्यवहार प्रदान किए।

3.5 निर्माणाधीन फिल्मों के वितरण अधिकारों की खरीद पर स्रोत पर कर की कटौती के प्रावधान का अभाव

महाराष्ट्र, पीसीआईटी-16, मुम्बई प्रभार में, लेखापरीक्षा ने मै. साइजर्जी पिक्चर्स प्रा. लि. के मामले में यह देखा कि निर्धारिती ने वि.व. 2009-10

37 मै. जीएमआर स्पोर्ट्स प्रा. लि.

38 मै. रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स (प्रा.) लि.

(नि.व. 2010-11) में निर्माणाधीन फिल्मों अर्थात् 'रक्तचरित्र 1' एवं 'रक्तचरित्र 2' के प्रति ₹ 2.50 करोड़ का अग्रिम प्राप्त किया था, तथापि भुगतानकर्ता द्वारा स्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी जिसके फलस्वरूप इसे निर्धारिती के फॉर्म 26एस³⁹ में परिलक्षित नहीं किया जा सका। फिल्म वि.व. 2010-11 (नि.व. 2011-12) के दौरान प्रदर्शित हुई थी। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि निर्धारिती ने नि.व. 2011-12 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल नहीं की थी तथा नि.व. 2011-12 के लिए निर्धारण ₹ 1.65 करोड़ की आय पर अधिनियम की धारा 144 के अनुसार बेहतर निर्णय के तहत पूर्ण किया गया था। निर्धारण पूर्ण करते समय, एओ ने कराधान के लिए उन प्राप्तियों पर विचार किया था जिन्हें फॉर्म 26एस में परिलक्षित किया जा रहा था तथा निर्धारिती द्वारा प्राप्त ₹ 2.50 करोड़ की राशि कर उद्ग्रहण से वंचित थी। यदि ₹ 2.50 करोड़ की अग्रिम राशि पर स्रोत पर कर की कटौती की गई होती तो इसे फॉर्म 26एस के माध्यम से एओ के संज्ञान में आता और कर के दायरे में लाया जा सकता। इस चूक के फलस्वरूप ₹ 83.04 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ था।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि मोशन पिक्चर्स के निर्माण में संलग्न दो निर्धारितियों⁴⁰ ने विभिन्न पार्टियों से निर्माणाधीन फिल्मों के प्रति अग्रिम प्राप्त किया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ फिल्मों का वितरण भी सम्मिलित था। यद्यपि कर की कटौती स्रोत पर निर्धारिती को भुगतान करते समय आंशिक राशि पर केवल एक पार्टी द्वारा की गई थी। यह स्थिति (स्रोत पर कर की कटौती/गैर कटौती) निर्माणाधीन फिल्मों के वितरण अधिकारो पर टीडीएस प्रावधान के अभाव की वजह से उत्पन्न हुई थी। ऐसी स्थिति में, आयकर विभाग के लिए वितरको से निर्माताओं द्वारा प्राप्त आय का पता लगाना कठिन हो जाता है क्योंकि यह निर्माताओं के विवेक पर है कि वह आय के रूप में अग्रिम प्रस्तुत करें या नहीं।

यद्यपि धारा 194सी के तहत स्पष्टीकरण (iv)(ख) 'संचार एवं प्रसारण कार्य के लिए कार्यक्रमों के निर्माण' के लिए प्रावधान बनाए गए थे, जिसमें यह

39 फॉर्म 26एस एक समेकित कर विवरण है जिसमें पैन के साथ जुड़ी सूचना से संबंधित सभी कर हैं।

40 मै. मेड्डॉक फिल्म प्रा. लि. तथा मै. राजकुमार हिरानी फिल्म प्रा. लि. (दोनों पीसीआईटी-16, मुम्बई में)

वर्णित किया गया है कि धारा 194सी के प्रयोजन हेतु “कार्य” में ‘ऐसे संचार एवं प्रसारण कार्यक्रमों के निर्माण सहित संचार एवं प्रसारण’ सम्मिलित होंगे, तथापि धारा 194सी के तहत स्रोत पर कर कटौती के प्रयोजन हेतु ‘कार्य’ की परिधि में फिल्म का वितरण/निर्माण सम्मिलित नहीं था।

3.6 फ्रेंचाइजी फीस के ऋण परिशोधन पर प्रावधान का अभाव

लेखापरीक्षा ने दो राज्यों में पांच इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) फ्रेंचाइजीज⁴¹ के संवीक्षा निर्धारण मामलों की नमूना जांच से यह देखा कि उन्होंने वर्ष 2008 में 10 वर्षों की अवधि के लिए भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) से आईपीएल फ्रेंचाइजी अधिकार खरीदे थे तथा उन्हें अधिकार रखने के लिए बीसीसीआई को फ्रेंचाइजी फीस की एकसमान वार्षिक किश्त का भुगतान करना पड़ा था। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि तीन फ्रेंचाइजी कम्पनियां (आईएसपीएल, केआरएसपीएल तथा जीएमआरएसपीएल) राजस्व व्यय के रूप में ऐसी किश्त का दावा कर रही थी जबकि दो फ्रेंचाइजी कम्पनियों (जेआईसीपीएल तथा आरसीएसपीएल) ने किश्तों में फ्रेंचाइजी फीस का भुगतान करके भी सम्पूर्ण बोली राशि को पूंजीकृत किया था तथा @ 25 प्रतिशत पर इसके मूल्यहास का दावा कर रही थी। आयकर विभाग ने इसे अमूर्त संपत्ति के रूप में माना था तथा भुगतान की गई किश्तों की राशि पर @ 25 प्रतिशत मूल्यहास को स्वीकृति दी। सीआईटी(ए), मुम्बई ने आईएसपीएल के मामले में आयकर विभाग का पक्ष लिया है। यद्यपि, उच्च अपीलीय प्राधिकारियों ने इस संबंध में विभिन्न मत अपनाए हैं जबकि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) मुम्बई ने प्रकृति में राजस्व के रूप में फ्रेंचाइजी फीस की किश्त को माना था तथा जीएमआरएसपीएल के मामले में आईटीएटी बेंगलूर ने सम्पूर्ण बोली राशि (वास्तविक रूप से भुगतान की गई वार्षिक किश्तों की बजाय) को पूंजीकृत करने का आदेश दिया था तथा इस पर @ 25 प्रतिशत मूल्यहास स्वीकृत किया था।

41 (i) पीसीआईटी (मध्य)-1, मुंबई में मै. जयपुर आईपीएल क्रिकेट प्रा. लि. (जेआईसीपीएल) (ii) पीसीआईटी (मध्य)-2, मुंबई में मै. नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (केआरएसपीएल), (iii) पीसीआईटी (मध्य)-3, मुंबई में मै. इंडियाविन स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (आईएसपीएल), (iv) पीसीआईटी-5, बेंगलूरु में मै. रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स (पी) लिमिटेड (आरसीएसपीएल) और (v) पीसीआईटी (केंद्रीय), बेंगलूरु में मै. जीएमआर स्पोर्ट्स प्रा. लिमिटेड (जीएमआरएसपीएल)

अतः इस व्यय को विभिन्न अपीलीय स्तरों पर भिन्न प्रकार से माना गया था तथा ऐसे व्ययों से निपटने के लिए अधिनियम में विशिष्ट प्रावधान के अभाव के कारण मामलों पर मुकदमेबाजी हुई।

3.7 फार्म 52ए की निगरानी तथा उपयोग के लिए तंत्र का अभाव

फिल्म निर्माताओं द्वारा व्यय की वृद्धि की जांच करने तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु भुगतान कर्ताओं के विषय में सूचना प्राप्त करने में विभाग को सक्षम बनाने हेतु धारा 285बी प्रारम्भ⁴² की गई। इस धारा के अन्तर्गत, सिनेमा फिल्म का निर्माण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को निर्माण पूर्ण होने की तिथि से 30 दिन अथवा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिन जो भी पहले हो, के अन्दर निर्माण पूर्ण होने तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष अथवा इसके भाग के लिए निर्माण में उसके द्वारा संलग्न व्यक्तियों को उससे द्वारा किए गए अथवा उससे बकाया औसतन ₹ 50,000 से अधिक के सभी भुगतानों का विवरण देने वाले फार्म 52ए में एक ब्यौरा न्यायाधिकरण निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक है। चूक के मामले में, धारा 272ए(2)(सी) के तहत शास्ति @ ₹ 100 प्रति दिन उदग्राह्य है।

‘फिल्म तथा टेलीविजन उद्योग में संलग्न निर्धारितियों के कराधान’ पर हमारे निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन⁴³ में लेखापरीक्षा द्वारा क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा विचार करने हेतु निम्नलिखित सिफारिशें की गई थी:

- 1) फार्म 52ए की प्राप्ति की उचित रूप से निगरानी की जाए;
- 2) यदि आयकर विवरणी भरने से पूर्व फॉर्म प्राप्त न हुआ हो तो फिल्मों पर व्यय को अस्वीकृत करने के लिए अधिनियम में उपयुक्त प्रावधान बनाया जाए;
- 3) उन व्यक्तियों जिनको भुगतान किया जा रहा है, का पैना शामिल करने के लिए फॉर्म में संशोधन किया जाए।

42 जुलाई 1976 में जारी परिपत्र सं. 204 के माध्यम से सीबीडीटी द्वारा स्पष्टीकृत रूप में

43 2010-11 की प्रतिवेदन (प्रत्यक्ष कर) संख्या 36 का पैरा 3.37

लेखापरीक्षा द्वारा प्रथम दो सिफारिशों के परामर्श पर ध्यान देने के लिए सीबीडीटी सहमत हो गया था (फरवरी 2011) तथा उसने तीसरी सिफारिश को स्वीकार किया था (फरवरी 2011)।

3.7.1 पचास हजार रुपये से अधिक के सभी भुगतानों के ब्यौरे वाला फॉर्म 52ए केवल सिनेमा फिल्मों के निर्माताओं के लिए लागू किया गया है तथा इसे वृत्तचित्रों, कार्यक्रम प्रबन्धन आदि जो फिल्म निर्माण के समान हैं, जैसे मनोरंजन क्षेत्र के अन्य खण्डों में सम्मिलित निर्धारितियों तक नहीं बढ़ाया गया है तथा इन खण्डों में व्यय की काफी राशि लगाई गई है। फिल्म क्षेत्र के अलावा अन्य मनोरंजन क्षेत्रों में सम्मिलित निर्धारितियों के संबंध में एक योग्य प्रावधान के अभाव में, निर्धारण कार्रवाईयों के दौरान एओ द्वारा इन क्षेत्रों में निर्धारितियों द्वारा दावा किए गए व्ययों का प्रभावी सत्यापन नहीं किया जा रहा था।

3.7.2 निर्माताओं के मामले में, उनके निर्धारणों को फॉर्म 52ए में निहित भुगतान ब्यौरे का सत्यापन किए बिना पूर्ण किया जा रहा था, जिससे यह तंत्र अप्रभावी हुआ। हमने दो राज्यों⁴⁴ में दो निर्धारण मामलों में यह पाया कि फॉर्म 52ए में दर्शाए गए भुगतानों तथा लाभ एवं हानि खाते में संगणित राशियों के ब्यौरे बेमेल थे। फॉर्म 52ए में दर्शाए गए भुगतान लाभ एवं हानि खाते में दर्शाए ब्यौरे से कम थे तथा निर्धारणों को लाभ तथा हानि खाते में स्वीकृत व्यय की अधिक राशियों के आधार पर पूर्ण किया गया था। एक मामले की व्याख्या नीचे की गई है (बॉक्स 3.3 देखें)।

बॉक्स 3.3: फॉर्म 52ए की तुलना में लाभ तथा हानि खाते के अनुसार भुगतान में पाई गई भिन्नता के दृष्टांत

प्रभार: सीआईटी-6, हैदराबाद

निर्धारिती: वीरा वेंकटा दनाय्या दसरी

निर्धारण वर्ष: 2013-14

निर्धारिती का निर्धारण ₹ 4.24 करोड़ की आय पर मार्च 2016 में पूर्ण हुआ। निर्धारिती ने नि.व. 2013-14 से संबंधित वि.व. 2012-13 के दौरान

44 कर्नाटक (पीसीआईटी-2, बैंगलूरु में श्री सीथाभरवेश्वरा प्रोडक्शन) तथा आंध्र प्रदेश एवं तेलंगना (श्री डी.वी.वी. दनाय्या)

दो फिल्मों अर्थात् 'नायक' तथा 'कैमरामैन गेंगेथो रामबाबू' प्रस्तुत की थी तथा इन फिल्मों के प्रति निर्माण व्ययों का दावा किया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती ने लाभ तथा हानि खाते में निर्माण व्ययों के रूप में ₹ 4.59 करोड़ का दावा किया था जबकि फॉर्म 52ए में निर्धारिती द्वारा दर्शाया गया भुगतान केवल ₹ 2.87 करोड़ था। इस प्रकार, फॉर्म 52ए तथा लाभ एवं हानि खाते के बीच ₹ 1.72 करोड़ की भिन्नता थी। यद्यपि, एओ ने निर्धारण पूर्ण करते समय निर्धारिती द्वारा दावा किए गए निर्माण व्ययों के साथ फॉर्म 52ए में प्रस्तुत सूचना को सहसंबंधित नहीं किया।

आयकर विभाग ने उत्तर दिया (जनवरी 2018) कि फॉर्म 52ए में फार्म जमा करने की तिथि तक किए गए उक्त ₹ 50,000 से अधिक के भुगतान दर्शाए थे जबकि फॉर्म 52ए जमा करने के पश्चात किए गए भुगतानों को इसमें परिलक्षित नहीं किया गया था। इसके अलावा, लाभ तथा हानि खाते और फॉर्म 52ए में से घटाए गए व्यय तुलनीय नहीं थे क्योंकि दोनों भिन्न समयावधियों से सम्बंधित हो सकते थे। महज इसलिए कि व्यय को फॉर्म 52ए में परिलक्षित नहीं किया गया था, इसे अस्वीकृत नहीं किया जा सकता था।

आयकर विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि फॉर्म 52ए के कॉलम में फॉर्म 52ए जमा करने की तिथि तक भुगतान की गई तथा बकाया दोनों राशियां सम्मिलित होती हैं। इसके अलावा, निर्धारितियों की खाता बही के अनुसार केवल वि.व. 2012-13 के दौरान भुगतान किए गए थे तथा सभी प्राप्तकर्ता कॉर्पोरेट सत्व थे जो लेखाकरण की वाणिज्यक प्रणाली का अनुसरण करते हैं। अतः आयकर विभाग का यह तर्क कि लाभ तथा हानि खाते तथा फॉर्म 52ए से घटाए गए व्यय तुलनीय नहीं थे, सही नहीं था।

3.7.3 वर्तमान प्रारूप में फॉर्म 52ए में भुगतानकर्ता का पैन अपेक्षित नहीं है। भुगतानकर्ता के पैन के अभाव में, उस व्यक्ति जिसको भुगतान किया गया है, का पता लगाना तथा सव्यवहार की सत्यता को प्रमाणित करना कठिन होगा। उन व्यक्तियों जिसको निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया है, के पैन के समावेश तथा मंत्रालय द्वारा इसकी स्वीकृति के संबंध में 'फिल्म तथा टेलीविजन उद्योग में संलग्न निर्धारितियों का कराधान' पर प्रतिवेदन में की

गई सिफारिश के बावजूद, आयकर विभाग ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है। इस प्रकार, प्राप्तकर्ता के विषय में सूचना प्राप्त करने के लिए फॉर्म 52ए का प्रयोजन विफल हुआ है।

3.7.4 हमने 10 राज्यों में 77 निर्माताओं के मामलों में यह पाया कि उन्होंने सम्बंधित फिल्म के प्रति उल्लिखित अवधि के दौरान 152 फिल्मों में निर्मित तथा प्रदर्शित की थी। लागू फॉर्म 52ए (i) दस राज्यों में 140 फिल्मों के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था; तथा (ii) तीन राज्यों में 12 फिल्मों के लिए निर्धारित समय के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया गया था जैसाकि नीचे तालिका में दर्शाया गया है। यद्यपि, आयकर विभाग द्वारा लागू शास्ति का उदग्रहण नहीं किया गया था।

तालिका 3.1: फॉर्म 52ए प्रस्तुत न करना/विलम्ब से प्रस्तुत करना

राज्य	निर्माताओं की संख्या	प्रदर्शित की गई फिल्मों की संख्या	प्रस्तुत न किए गए फॉर्म 52ए की संख्या	विलम्ब से प्रस्तुत किए गए फॉर्म 52ए की संख्या
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	5	8	1	7
असम	1	1	1	0
कर्नाटक	7	19	17	2
केरल	23	33	30	3
महाराष्ट्र	9	29	29	0
पंजाब	1	1	1	0
राजस्थान	3	3	3	0
तमिलनाडु	24	52	52	0
उत्तर प्रदेश	1	1	1	0
पश्चिम बंगाल	3	5	5	0
कुल	77	152	140	12

3.8 डीजीआईटी (प्रणाली) द्वारा प्रदत्त डाटा तथा निर्धारण प्रभार डाटा में बेमेलता

हमने चार राज्यों जहां विशिष्ट फिल्म सर्कल तथा फिल्म वार्डस विद्यमान है, में वि.व. 2013-14 से वि.व 2016-17 की समयावधि हेतु 'मांग एवं संग्रहण रजिस्टर' (डीएंडसीआर) के अनुसार संवीक्षा डाटा की तुलना में डीजीआईटी (प्रणाली), नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त डाटा के विश्लेषण से यह देखा कि संवीक्षा

मामलों की वास्तविक संख्या डीजीआईटी (प्रणाली), नई दिल्ली की सूची में दर्शाए गए मामलों की संख्या से अधिक थी। उदाहरणार्थ, डीएंडसीआर की तुलना में डीजीआईटी (प्रणाली) में मामलों की संख्या उक्त समयावधि के दौरान सर्कल 16(1), मुम्बई तथा सर्कल 20(1), चेन्नई में क्रमशः 373 तथा 284 तक अधिक थी।

वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान अंतिम रूप दिए गए संवीक्षा मामलों की सम्पूर्ण संख्या में भिन्नता 02 से 141 के बीच है (परिशिष्ट-4)। डीजीआईटी (प्रणाली) द्वारा प्रदत्त डाटा में बेमेलता आयकर विभाग में संग्रहित क्षेत्र-वार डाटा की अविश्वसनीयता दर्शाती है।

3.9 निष्कर्ष

- विदेशी लाइन निर्माताओं को किए गए निर्माण लागत भुगतान के कारण भारतीय निर्माणशालाओं द्वारा दावा किए गए व्ययों के सत्यापन के संबंध में खराब निगरानी तंत्र की वजह से निर्धारिती द्वारा व्ययों के अनियमित दावे की संभावना है।
- भारतीय निर्माणशालाओं द्वारा विदेशी सरकारों से प्राप्त प्रोत्साहन/अनुदान के सत्यापन के सदर्भ में अभावपूर्ण निगरानी तंत्र के कारण कम प्रोत्साहन/अनुदान दर्शाकर लाभ को कम करके दिखाने की गुंजाइश है।
- इस क्षेत्र की परस्पर सम्बन्धित पार्टियां विभिन्न लेखाकरण पद्धतियों का अनुसरण कर रही हैं। जिससे आय के अस्थगन/बचने की गुंजाइश है।
- अधिनियम में मौजूदा प्रावधान के अनुसार, अतिप्रवाह तथा विभिन्न फिल्म अधिकारों से अर्जित राजस्व का ब्यौरा प्रस्तुत करना निर्माता के लिए अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार, निर्माताओं द्वारा आय को कम बताने की संभावना के कारण कर के अपवंचन का जोखिम है।
- विदेशी लाइन निर्माताओं को भुगतान के संबंध में कर काटने के प्रावधानों को लागू करने में समानता नहीं थी क्योंकि इस प्रकार के

भुगतानों के निरूपण में स्पष्टता नहीं थी जैसे प्रशासनिक प्रभार अथवा तकनीकी सेवाओं हेतु शुल्क।

- निर्धारण अधिकारियों के द्वारा पूर्व प्रचालन खर्चों की अनुमति देने में समानता नहीं थी, तथ्यों और परिस्थितियों की प्रकृति समान होने के बावजूद समान मामलों में निर्धारण अधिकारियों द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण असंगति को दर्शाता है।
- यद्यपि संचार और प्रसारण हेतु कार्यक्रमों के निर्माण के संबंध में भुगतान पर धारा 194सी के तहत कर पर कटौती का प्रावधान है, निर्माण के तहत फिल्मों के वितरण अधिकार को खरीदने के संबंध में भुगतान हेतु ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं था। इस प्रकार, भुगतान का विवरण निर्धारती (निर्माता) के फॉर्म 26 ए एस में परिलक्षित नहीं होता है। जिससे आय का बचने का जोखिम है।
- बीसीसीआई को आईपीएल फ्रेंचाइजी द्वारा भुगतान की गई फ्रेंचाइजी फीस की स्वीकृति में एकरूपता तथा सुसंगतता सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम/नियमों में विशिष्ट प्रावधान नहीं है। इसके परिणामस्वरूप मामले पर मुकद्दमेबाजी हुई क्योंकि विभिन्न अपीलीय प्राधिकारी ऐसी फ्रेंचाइजी फीस को भिन्न तरीके से मान रहे हैं।
- फॉर्म 52ए की प्रस्तुति की निगरानी नहीं की गई तथा फॉर्म 52ए में फिल्म निर्माता द्वारा दर्शाई गई निर्माण लागत के ब्यौरे को निर्धारण के दौरान उचित रूप से सत्यापित नहीं किया गया है जिसके फलस्वरूप निगरानी तंत्र निष्प्रभावी रहा। वर्तमान प्रारूप में फॉर्म 52ए संबंधित पार्टी सव्यंवारों के दोहरे सत्यापन के लिए भुगतानकर्ता का पता लगाने के लिए इसे कठिन बताते हुए भुगतानकर्ता का पैसा नहीं मांगता।

3.10 सिफारिशें

लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि:

- क. सीबीडीटी लेनदेनों के व्यापक सत्यापन के लिए निर्धारण अधिकारियों को निम्न मामलों के संदर्भ में निर्देश जारी करे:
- विदेशी लाइन निर्माताओं को भारतीय निर्माताओं द्वारा निर्माण लागत की प्रतिपूर्ति
 - विदेशी सरकार से भारतीय निर्माताओं द्वारा अनुदान/प्रोत्साहनों के भाग की प्राप्ति
 - इस क्षेत्र की परस्पर सम्बन्धित पार्टियों द्वारा विभिन्न लेखांकन विधियों को अपनाना और फिल्म निर्माताओं द्वारा अतिप्रवाह और विभिन्न फिल्म अधिकारों से अर्जित राजस्व
- ख. फॉर्म 52ए के प्रभावी उपयोग के संबंध में, सीबीडीटी निम्नलिखित पर विचार करें:
- सभी फिल्म निर्माताओं से फॉर्म 52ए की प्राप्ति अग्रसक्रिय रूप से करने हेतु
 - मनोरंजन उद्योग के अन्य सम्मिलित उप-क्षेत्रों अर्थात् वृत्तचित्र निर्माता, कार्यक्रम प्रबन्धन फर्मों/कम्पनियों आदि में संलग्न निर्धारितियों के लिए फॉर्म 52ए द्वारा प्रदर्शित आवश्यकता को बढ़ाने पर
 - फिल्म निर्माताओं से भुगतान प्राप्त करने वाले आदाताओं का पैन सम्मिलित करने के लिए फॉर्म 52ए का प्रारूप बदलने पर
 - विभिन्न फिल्म अधिकारों/ अतिप्रवाह (अधिशेष प्राप्तियाँ) से फिल्म निर्माताओं द्वारा अर्जित प्राप्तियों के विवरण का अभिग्रहण करना
 - फॉर्म 52ए के प्रारूप के अनुसार मांगे गए सभी ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए इसे अनिवार्य बनाने पर

- vi. उन निर्धारितियों के संदर्भ में जो लेखाकरण के नकद/वाणिज्यक आधार का अनुसरण कर रहे हैं, प्राप्तियों के दोहरे सत्यापन को सुविधाजनक बनाने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तव में भुगतान की गई राशियों तथा फॉर्म 52ए भरने की तिथि तक भुगतान हेतु बकाया राशियों के ब्यौरो को पृथक रूप से प्रस्तुत करने के लिए इसे आवश्यक बनाने पर।

सीबीडीटी ने उत्तर दिया (जून 2018) कि फॉर्म 52ए के प्रारूप की लेखापरीक्षा द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार जांच की जाएगी और उसे संशोधित किया जाएगा।

अध्याय 4: आयकर अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित अनुपालन मामले

4.1 प्रस्तावना

मनोरंजन क्षेत्र के संबंध में निर्धारण अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुप्रयोग, आय के अपवंचन, व्ययों तथा कटौतियों की अनियमित स्वीकृति, अनियमित दावे/हानियों के समायोजन/अग्रोषण, लाभ/कर की गलत संगणना तथा अन्य मामलों से संबंधित चूकें पाईं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 1,922.93 करोड़ के कर प्रभाव वाले 592 मामलों में अधिनियम के प्रावधानों का सही से अनुपालन नहीं किया गया था। निर्धारण में देखी गई चूके तथा तदनुसार कर प्रभाव नीचे तालिका में दी गई हैं तथा इस संबंध में विस्तृत लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई है।

चूकों का प्रकार	मामलों की संख्या	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
वृद्धि करने में औचित्य का अभाव	208	-
आय अपवंचन निर्धारण	83	643.39
व्ययों तथा कटौतियों की गलत/अनियमित स्वीकृति	179	826.75
अनियमित दावे/हानियों के समायोजन/अग्रोषण	31	80.81
धारा 115 जेबी के तहत खाता लाभ तथा धारा 115 जेए के तहत मेट जमा की संगणना में चूक	25	91.38
कर की संगणना तथा अन्य मामलों में चूक	66	280.60
कुल	592	1,922.93

4.2 वृद्धि करने में औचित्य का अभाव

तदर्थ आधार पर निर्धारिती की आय में वृद्धियां करते समय एओज अस्वीकृति के संबंध में अलग-अलग दृष्टिकोण अपना रहे थे, यद्यपि वृद्धियों के आधार

समान थे। हमने पांच राज्यों⁴⁵ में 208 निर्धारण मामले देखे जहां निर्धारण आदेशों में तदर्थ आधार पर निर्धारितियों की आय में वृद्धि करने में एकरूपता नहीं थी। ये वृद्धियां मुख्य रूप से 'वाउचरो की कमी', अप्रमाणित व्ययों, तृतीय पक्ष वाउचरों की अनुपस्थिति आदि जैसे भिन्न कारकों के तहत तदर्थ आधार पर पांच प्रतिशत से 20 प्रतिशत के बीच प्रतिशतता आधार पर की गई थी। हालांकि, विभेदक व्यवहार के लिए एओज द्वारा निर्धारण आदेशों में कोई विशिष्ट औचित्य अथवा वृद्धियों का आधार दर्ज नहीं किया गया भले ही वृद्धि की वजह समान थी। महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्यों के संदर्भ में दृष्टान्तों पर चर्चा नीचे की गई है (बॉक्स 4.1 देखें)

बॉक्स 4.1: वृद्धि करने में औचित्य के अभाव के दृष्टान्त

(क) हमने महाराष्ट्र में फिल्म सर्कल (एसीआईटी-16(1), मुम्बई) में 129 मामलों में यह देखा कि ₹ 13.75 करोड़ तक वृद्धियां तदर्थ आधार पर की गई थी जहां (i) दो निर्धारण मामलों में कुल व्यय के केवल 1 प्रतिशत तक वृद्धि की गई थी, (ii) एक निर्धारण मामले में कुल व्यय का 2.5 प्रतिशत वृद्धि की गई थी; (iii) चार निर्धारण मामलों में ₹ 1 लाख से ₹ 1.50 लाख तक एकमुश्त वृद्धि की गई थी; जबकि शेष 122 मामलों में, एओज द्वारा की गई वृद्धियों में भिन्नता थी, जो कि 5 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच थी।

(ख) हमने कर्नाटक में 55 निर्धारण मामलों में यह देखा कि ₹ 9.86 करोड़ तक वृद्धियां तदर्थ आधार पर की गई थी। ये वृद्धियां मुख्य रूप से 5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत के बीच प्रतिशतता आधार पर की गई थी। 28 मामलों में, वृद्धियां केवल राशियों के अनुसार की गई थी। निर्धारण आदेशों में एओज द्वारा वृद्धियों का कोई विशिष्ट औचित्य अथवा आधार अभिलेखित नहीं किया गया था।

इसने यह दर्शाया कि एओ द्वारा तदर्थ वृद्धियां करने में इस तथ्य के बावजूद कोई संगतता नहीं थी कि वृद्धियों की वजह एक थी तथा कुछ मामलों में एओज भी एक थे। मुख्य रूप से एकसमान मामलों में वृद्धियों की भिन्न प्रतिशत पर तार्किक रूप से पहुंचने के लिए उनके निर्धारण आदेशों में एओज

45 महाराष्ट्र (129 मामले), कर्नाटक (55 मामले), आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना (15 मामले), उत्तर प्रदेश (5 मामले), मध्य प्रदेश (4 मामले)

द्वारा कोई मौखिक आदेश नहीं दिए गए थे। इसके अलावा, जहां महत्वपूर्ण व्यय किए गए थे, वहां तदर्थ वृद्धि का अनुपात निर्धारिती द्वारा दावा किए गए कम व्यय के पांच प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच तदर्थ वृद्धि की तुलना में एक प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत था। इस प्रकार, एओ द्वारा किए गए निर्धारण अपर्याप्त थे तथा की गई वृद्धियां व्यक्तिपरक तथा एकपक्षीय थीं।

4.3 निर्धारण से बचने वाली आय

अधिनियम की धारा 28 से 59 किसी व्यवसाय, पेशे, पूंजीगत लाभ और स्रोत से हुई आय की गणना किस प्रकार हो, इसका वर्णन करती है। आय के इन स्रोतों के प्रति अनुमत कटौतियों को अननुमत करना और अधिनियम में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए निर्धारिती की आय में वापिस जोड़ना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 83 मामलों में, निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप आय की गणना नहीं की गई थी, जिसमें ₹ 643.39 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है जैसाकि आगामी पैराग्राफों में वर्णित किया गया है।

4.3.1 अनुदघोषित जमा कर में शामिल नहीं किया गया

अधिनियम की धारा 68 के अनुसार, जहां निर्धारिती की बहियों में कोई राशि जमा पाई गई तथा एओ ने उसकी प्रकृति और स्रोत के संबंध में कोई औचित्य नहीं पाया या निर्धारिती द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण एओ के मत के अनुसार संतोषजनक नहीं था, ऐसी जमा की गई राशि को निर्धारिती की उस वर्ष की आय मानकर आयकर लगाया जा सकता है।

छ: राज्यों⁴⁶ में 18 मामलों में हमने पाया कि आयकर विभाग ने अधिनियम 68 के अंतर्गत वृद्धियां नहीं की यद्यपि निर्धारितियों की बहियों में जमा की गई राशि का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 305.31 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ। चार मामलों का सौदाहरण वर्णन निम्नलिखित है (देखें बॉक्स 4.2)

46 आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना, असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिसा और तमिलनाडु

बॉक्स 4.2: कर में शामिल नहीं किए गए अस्पष्टीकृत जमा के दृष्टांत

(क) प्रभार: पीसीआईटी-16, मुंबई

निर्धारिती: मै. एम. आई. मराठी मीडिया लि.

निर्धारण वर्ष: 2013-14

संवीक्षा निर्धारण ₹ 6.56 करोड़ की हानि के साथ फरवरी 2016 में पूर्ण किया गया। नि.व. 2013-14 में निर्धारिती ने मै. प्रॉस्पर्टी एगो इंडिया लिमिटेड (पीएआईएल) से प्राप्त ब्याज मुक्त अंतर-कॉरपोरेट जमा के रूप में ₹ 88.24 करोड़ की राशि जमा की। तथापि, पीएआईएल की तुलन पत्र में निर्धारिती को दिए गए ऐसे किसी जमा को नहीं दर्शाया गया। अतः निर्धारिती की बहियों में अस्पष्टीकृत जमा प्रकट हुआ तथा इसे धारा 68 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारिती की आय में जोड़ा जाना चाहिए था। इस चूक के कारण ब्याज सहित ₹ 38.65 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ।

(ख) प्रभार: पीसीआईटी-10, चैन्नई

निर्धारिती: मै. जेमिनी इंडस्ट्रिज एंड इमेजिंग लि.

निर्धारण वर्ष: 2012-13

संवीक्षा निर्धारण ₹ 14.19 करोड़ की आय के साथ मार्च 2015 में पूर्ण किया गया। वि.व. 2011-12 में निर्धारिती ने ₹ 100 के अंकित मूल्य के साथ 36,00,010 शेयर जारी किए तथा तीन व्यक्तियों को ₹ 900 प्रति शेयर के मूल्य पर प्रीमियम जारी किए जैसा नीचे दर्शाया गया है:

क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	31/03/2011 तक शेयरों की सं.	2011-12 में जारी शेयर	31/03/2012 तक शेयरों की संख्या
1	ए. रविशंकर प्रसाद	9,25,000	24,69,295	33,94,295
2	ए. मनोहर प्रसाद	29,09,794	5,04,705	34,14,499
3	पी. किरण	-	6,26,010	6,26,010
	कुल	38,34,794	36,00,010	74,34,804

यद्यपि, लेखापरीक्षा ने ए.मनोहर प्रसाद के अभिलेखों से पाया कि 31 मार्च 2012 (₹ 100 x 34,14,499 शेयर) तक निर्धारिती कंपनी में उसका वास्तविक निवेश केवल ₹ 34.15 करोड़ था जो दर्शाता है कि उसको आवंटित शेयरों के लिए उसके द्वारा किसी भी प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया। तथापि, ₹ 45.42 करोड़ का एक प्रीमियम निर्धारिती को मनोहर प्रसाद से

प्राप्त हुआ दर्शाया गया था। इसी प्रकार, ए. रविशंकर प्रसाद के अभिलेखों से, लेखापरीक्षा में देखा गया कि निर्धारिती कंपनी में उनके द्वारा इस प्रकार का कोई निवेश नहीं किया गया था। तथापि, ₹ 246.93 करोड़ का एक निवेश प्रीमियम सहित (₹ 1000 x 24,69,295 शेयर) उसके नाम पर दर्शाया गया था।

तदनुसार, निर्धारिती के खातों में दर्शायी गई ₹ 292.35 करोड़ (₹ 45.42 करोड़ + ₹ 246.93 करोड़) के प्रीमियम और अंकित मूल्य अधिनियम की धारा 68 के तहत अस्पष्टीकृत नकद जमा प्रकृति के थे और निर्धारिती की आय में जोड़े जाने चाहिए थे। चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 118.11 करोड़ तक के कर का कम उदग्रहण हुआ।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में देखा गया कि ₹ 233.77 करोड़ मूल्यराशि के शेयर प्रीमियम के प्रारंभिक जमा का उपरोक्त उल्लिखित शेयर धारकों द्वारा भुगतान नहीं किया गया था। अतः निर्धारिती द्वारा वर्ष 2011-12 के तुलन पत्र में दर्शाया गया ₹ 233.77 करोड़ की शेयर प्रीमियम राशि अधिनियम की धारा 68 के तहत अस्पष्ट नकद जमा के रूप में मानी जानी आवश्यक थी। चूक के परिणामस्वरूप ब्याज को सम्मिलित करते हुए ₹ 103.15 करोड़ तक का कर का कम उदग्रहण हुआ।

(ग) प्रभार: पीसीआईटी-1, हैदराबाद

निर्धारिती: मै. अर्का लेशर एण्ड मीडिया एन्टरटेमेंट प्रा.लि.

निर्धारण वर्ष: 2013-14

संवीक्षा निर्धारण ₹ 19.39 करोड़ की हानि पर मार्च 2016 में पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि निर्धारिती ने अपने लेखा-बही में (31 मार्च 2013 तक) मै. अग्रो गोल्ड फार्म एस्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एजीएफईआईपीएल) और मै. ड्रीम लैण्ड वेन्चरस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (डीएलवीआईपीएल) से प्राप्त प्रीमियम शेयर के रूप में क्रमशः ₹ 15.22 करोड़ और ₹ 14.99 करोड़ की राशि दर्शायी थी। तथापि, एजीएफईआईपीएल के लेखा-बही में निर्धारिती कंपनी में निवेश को 'शून्य' दर्शाया गया था, जबकि, डीएलवीआईपीएल के लेखा-बही के अनुसार, इसने निर्धारिती के खातों में दर्शाये गए ₹ 14.99 करोड़ के संबंध में केवल ₹ 8.40 करोड़ का निवेश किया

था। इस प्रकार, शेयरों में निवेश की गई राशि के संबंध में दो आवंटित कंपनियों के लेखों के लिए, निर्धारिती के लेखों में ₹ 21.81 करोड़ का अंतर था। परिणामस्वरूप, निर्धारिती के लेखों में दर्शाई गई ₹ 21.81 करोड़ की अतिरेक राशि को अधिनिमय की धारा 68 के तहत अस्पष्ट जमा के रूप में माना जाना चाहिए और निर्धारिती की आय में पुनः जोड़ा जाना चाहिए था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 7.07 करोड़ के कर प्रभाव को सम्मिलित करते हुए ₹ 21.81 करोड़ आय का कम निर्धारण हुआ।

(घ) प्रभार: पीसीआईटी-1, भुवनेश्वर

निर्धारण: मै. एन. के. मीडिया वेंचर्स (प्रा.) लि.

निर्धारण वर्ष: 2012-13 और 2014-15

संवीक्षा निर्धारण क्रमशः ₹ 5.68 करोड़ और ₹ 6.15 करोड़ की हानि का निर्धारण करते हुए मार्च 2015 और दिसंबर 2016 में पूरे किये गए थे। लेखापरीक्षा में देखा गया कि ₹ 2.80 करोड़ और ₹ 3.35 करोड़ की शेयर आवेदन राशि और ₹ 3.74 करोड़ और ₹ 4.75 करोड़ के असुरक्षित ऋण क्रमशः 31 मार्च 2012 और 31 मार्च 2014 तक तुलन-पत्र में दर्शायी गयी थी। हालांकि, न तो निर्धारिती द्वारा शेयर आवेदन राशि/असुरक्षित ऋण के समर्थन में कोई भी प्रलेखी साक्ष्य प्रस्तुत किए और न ही संवीक्षा निर्धारण के दौरान एओ द्वारा इनकी मांग की गई। उपरोक्त के सत्यापन नहीं होने के कारण, ₹ 6.15 करोड़ (₹ 2.80 करोड़ + ₹ 3.35 करोड़) की शेयर आवेदन राशि और ₹ 8.30 करोड़ (₹ 3.74 करोड़ + ₹ 4.56 करोड़) के असुरक्षित ऋण को अस्पष्ट नकद जमा के रूप में पुनः जोड़ा जाना आवश्यक था। चूक के परिणामस्वरूप ब्याज को सम्मिलित करते हुए ₹ 4.98 करोड़ के कुल कर प्रभाव सहित ₹ 14.45 करोड़ (₹ 6.15 करोड़ + ₹ 8.30 करोड़) की सीमा तक अस्पष्ट नकद जमा की गलत अनुमति दी गई थी।

4.3.2 कर के लिए आय प्रस्तुत नहीं की गई

14 राज्यों⁴⁷ में 65 निर्धारण मामलों में ₹ 338.08 करोड़, के कर प्रभाव सहित, हमने पाया कि आयकर विभाग ने राशि को कर के रूप में शामिल नहीं किया था जो कि अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत निर्धारिती की आय के रूप में साधित की गई थी। चार मामलों के उदाहरण नीचे दिये गए हैं (बॉक्स 4.3 देखें)।

बॉक्स 4.3: मामलों के उदाहरण जहां कर के लिए आय प्रस्तुत नहीं की गई

(क) प्रभार: पीसीआईटी (सेन्ट्रल)-3, मुम्बई

निर्धारिती: मै. द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (बीसीसीआई)

निर्धारण वर्ष: 2010-11 से 2014-15

आय कर नियमावली के नियम 115 के अनुसार, विदेशी मुद्रा में निर्धारिती के लिए उपार्जित अथवा उत्पन्न किसी भी आय की रूपयों में मूल्य की संगणना करने के लिए विनिमय की दर ऐसी मुद्रा की टेलीग्राफिक ट्रांसफर (टीटी) खरीद दर होनी चाहिए जिस तिथि पर कर की कटौती आवश्यक थी।

नि.व. 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए निर्धारिती के संवीक्षा निर्धारणों को क्रमशः ₹ 874.18 करोड़, ₹ 856.83 करोड़, ₹ 1304.57 करोड़, ₹ 1371.65 करोड़ और ₹ 1131.09 करोड़ की निर्धारित आय पर फरवरी 2013, दिसंबर 2013, दिसंबर 2013, मार्च 2016 और दिसंबर 2016 में पूर्ण किया गया था। आईपीएल फ्रेंचाइजी की निलामी के लिए 'निविदा के लिए आमंत्रण' खण्ड के अनुसार, बीसीसीआई ने भुगतान के समय एसबीआई द्वारा प्रकाशित टीटी विक्रय विनिमय दर पर भारतीय मुद्रा में परिवर्तित फ्रेंचाइजी फीस की किस्त प्राप्त की थी। लेखापरीक्षा में देखा गया कि फ्रेंचाइजियों⁴⁸ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए 1 यूएसडी=40 आईएनआर की समान विनिमय दर का प्रयोग कर (फ्रेंचाइजी के साथ समझौते की तिथि पर विनिमय दर के अनुसार) भारतीय मुद्रा में किस्तों के भुगतान किये गए थे। हालांकि, बीसीसीआई द्वारा वर्तमान प्रचलित विनिमय

47 आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना, असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश

48 मै. इंडियाविन स्पोर्ट्स प्रा.लि. (आईएसपीएल), मै. नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स प्रा.लि. (केआरएसपीएल) और मै. जयपुर आईपीएल क्रिकेट प्रा.लि. (जेआईसीपीएल)

दर के अनुसार फीस की वसूली नहीं की गई। उसी प्रकार, आयकर विभाग ने भी धारा 115 के प्रावधानों को ध्यान में रखकर आय का निर्धारण नहीं किया था। इस तरह, वि.व. 2009-10 से 2013-14 की फ्रेंचाइजी फीस से बीसीसीआई को ₹ 325.78 करोड़ कम आय प्राप्त हुई, परिणामस्वरूप ₹ 100.67 करोड़ कर का कम उदग्रहण हुआ।

(ख) प्रभार: पीसीआईटी-2, बेंगलुरु

निर्धारण: मै. कस्तुरी मीडियास प्रा. लि.

निर्धारण वर्ष: 2014-15

अधिनियम की धारा 50सी के अनुसार, यदि स्टैम्प मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा तय मूल्य से कम पर संपत्ति का विक्रय किया जाता है, तब इन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मूल्य पूंजी लाभ की संगणना के उद्देश्य के लिए प्रतिफल का मूल्य माना जाना चाहिए।

निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण ₹ 7.41 करोड़ की हानि पर दिसंबर 2016 में पूरा किया गया था। निर्धारिती ने, पूंजी लाभ की संगणना के समय, स्टैम्प मूल्यांकन प्राधिकरण के अनुसार ₹ 4.52 करोड़⁴⁹ के उचित बाजार मूल्य के संबंध में व्यावसायिक संपत्ति के विक्रय पर ₹ 1.50 करोड़ के प्रतिफल को स्वीकार किया और एओ द्वारा इसकी अनुमति भी दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 58.60 लाख के कर प्रभाव के फलस्वरूप ₹ 2.59 करोड़ (₹ 1.93 करोड़ के अधिग्रहण की अनुक्रमित लागत का निवल) के पूंजी लाभ का कम निर्धारण हुआ।

(ग) प्रभार: सीआईटी (छूट), चंडीगढ़

निर्धारिती: मै. हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ

निर्धारण वर्ष: 2014-15

संवीक्षा निर्धारण ₹ 12.30 करोड़ की आय पर दिसंबर 2016 में पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि वर्ष के दौरान, निर्धारिती ने बीसीसीआई से ₹ 11.24 करोड़ की प्रतिफल राशि प्राप्त की थी जिसको आय के रूप प्रस्तुत नहीं किया गया था और अपने खातों में अग्रिम के रूप में

49 प्रतिलोभ तंत्र के अनुसार निर्धारित मूल्य के एक प्रतिशत की दर पर क्रेता द्वारा भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क की बाह्य गणना द्वारा की गई संगणना।

मान लिया था। जबकि निर्धारिती द्वारा उपरोक्त राशि पर ₹ 22.47 लाख के टीडीएस का दावा किया गया था और कर की संगणना करते समय आयकर विभाग द्वारा अनुमत किया गया था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 5.08 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 11.24 करोड़ की आय निर्धारण से बच गई थी।

(घ) प्रभार: पीसीआईटी-1, लखनऊ
निर्धारिती: गंगा दत्ता उपाध्याय
निर्धारण वर्ष: 2012-13

संवीक्षा निर्धारण ₹ 26.92 लाख की आय पर मार्च 2015 में पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि निर्धारिती को जैसा उसके अपने 26एस में दिखाया गया उसे ₹ 10.90 करोड़ की कुल आय प्राप्त हुई थी। हालांकि, लाभ और हानि खाते में इसे केवल ₹ 7.93 करोड़ लेखांकित किया गया और उस पर कटौती किए गए ₹ 15.63 लाख के सम्पूर्ण टीडीएस का दावा किया गया। एओ ने ₹ 2.97 करोड़ की शेष राशि को पुनः निर्धारिती की आय में नहीं जोड़ा था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.24 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 2.97 करोड़ आय का कम निर्धारण हुआ।

4.4 खर्चों और कटौतियों की गलत/अनियमित अनुमति

अधिनियम के प्रावधान निर्धारिती को विशेष निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर विभिन्न खर्चों और कटौतियों का दावा करने की अनुमति देते हैं। यदि इन शर्तों को पूरा नहीं किया गया था, तो निर्धारण अधिकारी द्वारा संबंधित खर्च/कटौतियों को अस्वीकृत करना आवश्यक था। हमने ₹ 826.75 करोड़ के कर प्रभाव को शामिल करते हुए 179 मामले देखे जहां आयकर विभाग द्वारा खर्चों और कटौतियों की गलत/अनियमित अनुमति दी गई थी।

4.4.1 कटौती न होना/कम होना अथवा टीडीएस जमा न होना

अधिनियम की धारा 40(ए) (आईए) के अनुसार, 'कारोबार अथवा व्यवसाय के लाभ और अर्जन' शीर्ष के तहत प्रभार्य आय की संगणना करने में किसी भी व्यय की कटौती की अनुमति नहीं है जिस पर कर स्रोत पर कटौती योग्य है और इस कर की कटौती नहीं की गई है अथवा, कटौती के बाद, धारा 139(1) में निर्दिष्ट देय तिथि पर या उससे पहले भुगतान नहीं किया गया है।

हमने 14 राज्यों⁵⁰ में ₹ 591.25 करोड़ के कर प्रभाव को शामिल करते हुए 50 निर्धारण मामले देखे जिसमें निर्धारितियों ने खर्चों का दावा किया था यद्यपि उस पर लागू टीडीएस की कटौती नहीं की गई थी अथवा कटौती के बाद, निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सरकारी खाते में जमा नहीं किया था हालांकि, आयकर विभाग ने इन खर्चों को अस्वीकृत नहीं किये थे। पाँच मामलों नीचे निदर्शित किये गए हैं (बॉक्स 4.4 देखें)।

बॉक्स 4.4: कटौती न होना/कम होना अथवा टीडीएस जमा नहीं करने के दृष्टांत

(क) प्रभार: पीसीआईटी-4, चैन्नई

निर्धारित: मै. न्यू जनरेशन मीडिया कॉर्पोरेशन प्रा. लि.

निर्धारण वर्ष: 2014-15

निर्धारित का संवीक्षा निर्धारण ₹ 43.66 लाख की हानि पर दिसंबर 2016 में पूरा किया गया था। निर्धारित ने 'डिजाइन व विकास और सेवा प्रभारों' के प्रति ₹ 8.36 करोड़ और 'उपकरण किराया शुल्क' के प्रति ₹ 11.25 करोड़ के खर्चों का दावा किया था जिस पर टीडीएस की कटौती नहीं की गई थी और संबंधित निर्धारितियों के फॉर्म 26क्यू के साथ-साथ 26एस से इसकी पुष्टि की गई थी। यद्यपि, अधिनियम की धारा 40ए (आईए) के तहत व्यय की अस्वीकृत नहीं की गई थी। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 19.61 करोड़ का कम निर्धारण और ब्याज को शामिल करते हुए ₹ 8.86 करोड़ कर का कम उदग्रहण हुआ।

(ख) प्रभार: पीसीआईटी-1, हैदराबाद

निर्धारित: सेलीब्रिटी क्रिकेट लीग

निर्धारण वर्ष: 2012-13 और 2014-15

निर्धारित के नि.व. 2012-13 और नि.व. 2014-15 के लिए संवीक्षा निर्धारण ₹ 24.86 करोड़ की हानि और शून्य आय पर क्रमशः मार्च 2015 और सितंबर 2016 में पूरे किये गए थे। लेखापरीक्षा में फॉर्म 26क्यू के साथ-साथ निर्धारित के खाता-बही में देखा गया कि निर्धारित द्वारा क्रमशः

50 आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, एनईआर, ओडिसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और प. बंगाल

नि.व. 2012-13 और नि.व. 2014-15 में ₹ 5.77 करोड़ और ₹ 5.49 करोड़ राशि की 'व्यवसायिक अथवा तकनीकी सेवाओं' का दावा किया था जिस पर टीडीएस की कटौती नहीं की गई थी। तथापि अधिनियम की धारा 40ए(आईए) के तहत ये व्यय अस्वीकृत नहीं किये गए थे। चूक के परिणामस्वरूप क्रमशः ₹ 5.77 करोड़ और ₹ 5.49 करोड़ का कम निर्धारण हुआ फलस्वरूप नि.व. 2012-13 और नि.व. 2014-15 के लिए ₹ 1.78 करोड़ और ₹ 1.70 करोड़ (₹ 3.48 करोड़ के कुल कर प्रभाव) के कर का कम उदग्रहण हुआ।

(ग) प्रभार: पीसीआईटी (सेन्ट्रल), बेंगलुरु

निर्धारिती: के. मंजू

निर्धारण वर्ष: 2007-08 से 2012-13

नि.व. 2007-08 से 2012-13 के लिए संवीक्षा निर्धारण क्रमशः ₹ 1.10 करोड़, ₹ 1.14 करोड़, ₹ 1.57 करोड़, ₹ 0.76 करोड़, ₹ 3.64 करोड़ और ₹ 1.26 करोड़ की आय पर मार्च 2014 में पूरे किये गए थे। निर्धारण आदेश पर विचार विमर्श करते समय लेखापरीक्षा में देखा गया कि एओ ने नि.व. 2008-09 से 2012-13 से ₹ 6.83 करोड़ का व्यय अस्वीकृत किया था, जिस पर स्रोत पर कोई कटौती नहीं की गई थी। यद्यपि, कर योग्य आय की संगणना करते समय, इसको निर्धारिती की आय में पुनः जोड़ा नहीं गया था। इसके अतिरिक्त, एओ ने ₹ 6.84 करोड़ के स्थान पर ₹ 2.23 करोड़ पर निर्धारिती की अघोषित आय को स्वीकार किया था, परिणामस्वरूप ₹ 4.62 करोड़ का कम निर्धारण हुआ। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 6.09 करोड़ के कर प्रभाव को शामिल करते हुए ₹ 11.45 करोड़ आय का कम निर्धारण हुआ।

(घ) प्रभार: पीसीआईटी, पणजी

निर्धारिती: गोवा क्रिकेट संघ

निर्धारण वर्ष: 2009-10, 2010-11 और 2011-12

नि.व. 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए निर्धारण संवीक्षा धारा 147⁵¹ के तहत पुनः खोले गए थे जिसमें धर्माथ ट्रस्ट के रूप में धारा 11 के तहत छूट का दावा किया गया था और निर्धारिती का पंजीकरण न करने के

51 मार्च 2014 (नि.व. 2010-11 और 2011-12) और मार्च 2016 (नि.व. 2009-10)

आधार पर धारा 12ए के प्रावधानों के अनुसार छूट अस्वीकृत किया गया था। उपरोक्त नि.व. के लिए कार्यवाही पुनः शुरू करने के परिणाम से पहले, टीडीएस अधिकारी ने सूचित किया (दिसंबर 2012) कि, अधिनियम की धारा 194-सी, 194-जे और 194-आई के तहत टीडीएस की कटौती में निर्धारिती चूककर्ता था। समय पर सूचित किये जाने के बावजूद, एओ ने ₹ 17.03 करोड़⁵² के कुल संबंधित व्यय को अस्वीकृत करने के लिए प्राप्त सूचना के अनुसार कार्यवाही नहीं की थी। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 9.19 करोड़ के कुल कर के कम उदग्रहण को शामिल करते हुए समान राशि की आय की कम संगणना हुई।

(इ) प्रभार: पीसीआईटी-1, कोलकाता

निर्धारिती: आर.पी. टेकविजन (इंडिया) प्रा.लि.

निर्धारण वर्ष: 2013-14

लेखापरीक्षा ने कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में पाया कि कमीशन, ठेकेदारो, व्यवसायिक और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस और किराये के लिए भुगतान करते समय निर्धारिती द्वारा ₹ 21.05 करोड़ का कुल कर काटा गया था परन्तु इसे सरकारी खाते में जमा नहीं किया गया था। आगे देखा गया कि ₹ 21.05 करोड़ में से, मार्च 2016 में पूरी की गई निर्धारण संवीक्षा के दौरान केवल ₹ 59.01 लाख⁵³ को अस्वीकृत किया गया था। इस प्रकार शेष ₹ 20.46 करोड़ की राशि को सरकारी खाते में टीडीएस जमा नहीं करने के कारण पुनः जोडा जाना आवश्यक था। ₹ 20.46 करोड़ के व्यय की अनियमित स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 6.64 करोड़ कर के कम उदग्रहण को सम्मिलित करते हुए ₹ 20.46 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ।

4.4.2 निर्धारित शर्तों को पूरा किये बिना कटौतियों की स्वीकृति

लेखापरीक्षा ने 10 राज्यों⁵⁴ में 48 निर्धारण मामलों में पाया कि निर्धारिती को अतिरिक्त कटौती दी गई थी परिणामस्वरूप ₹ 68.10 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। चार मामलों के उदाहरण नीचे दिये हैं (बॉक्स 4.5 देखें)।

52 नि.व. 2009-10: ₹ 5.96 करोड़; 2010-11: ₹ 6.37 करोड़; नि.व. 2011-12: ₹ 4.70 करोड़

53 ₹ 33.26 लाख विज्ञापन के लिए और ₹ 25.75 लाख कारोबार संवर्धन के लिए

54 आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और प. बंगाल

बॉक्स 4.5: निर्धारित शर्तों को पूरा किये बिना कटौती की अनुमति देने के दृष्टांत

(क) प्रभार: पीसीआईटी (छूट), कोलकाता

निर्धारिती: मै. बंगाल क्रिकेट संघ

निर्धारण वर्ष: 2012-13 से 2014-15

अधिनियम की धारा 2(15) के प्रावधान के साथ पठित धारा 13(8) के तहत, सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की किसी भी अन्य वस्तु में वृद्धि एक धर्माथ उद्देश्य नहीं होगा यदि किसी भी निर्धारण वर्ष में व्यापार, वाणिज्य या कारोबार के स्वरूप में किसी भी गतिविधियों का किया जाना सम्मिलित है, अधिनियम की धारा 11 के तहत उस निर्धारण वर्ष के लिए छूट की अनुमति नहीं है।

निर्धारिती के नि.व. 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए संवीक्षा निर्धारण अधिनियम की धारा 11 के तहत छूट की अनुमति दिये जाने के बाद ₹ शून्य आय पर क्रमशः नवंबर 2014, जनवरी 2016 और दिसंबर 2016 में पूरे किये गए थे। निर्धारिती ने नि.व. 2012-13 से नि.व. 2014-15 से अधिनियम की धारा 11 के तहत ₹ 34.75 करोड़ का दावा किया गया और उसे छूट की अनुमति दी गई थी यद्यपि उसने बीसीसीआई से ₹ 98.02 करोड़ की सब्सिडी प्राप्त की थी जो कि वाणिज्यिक प्रकृति की थी, अतः एओ को निर्धारित द्वारा दावा की गई छूट को अस्वीकृत किया जाना चाहिए था और इसे कर के अन्तर्गत लिया जाना चाहिए था। बीसीसीआई और अन्य आठ राज्य क्रिकेट संघों⁵⁵ के मामले में यह कहना प्रासंगिक है कि, एओ ने इंडियन प्रमियर लीग (आईपीएल) की मेजबानी के बाद वाणिज्यिक के रूप में उनकी गतिविधियों को माना था और वाणिज्यिक प्राप्तियों के रूप में बीसीसीआई से छूट और करों के रूप में प्राप्त सब्सिडियों को अस्वीकृत दी थी। तथापि, इस मामले में, बावजूद इसके कि संव्यवहार वाणिज्यिक प्रकृति के हैं, एओ ने निर्धारिती अर्थात् मै. बंगाल क्रिकेट संघ को छूट की अनुमति दी थी। चूक के परिणामस्वरूप

55 (1) मुंबई क्रिकेट संघ (महाराष्ट्र) (2) राजस्थान क्रिकेट संघ (राजस्थान) (3) पंजाब क्रिकेट संघ (पंजाब) (4) तमिलनाडु क्रिकेट संघ (तमिलनाडु) (5) केरल क्रिकेट संघ (केरल) (6) गुजरात क्रिकेट संघ (गुजरात) (7) उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ (उत्तर प्रदेश) और (8) झारखंड क्रिकेट संघ (झारखंड)

नि.व. 2012-13 से नि.व. 2014-15 के लिए ₹ 34.75 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ फलस्वरूप ब्याज सहित ₹ 13.71 करोड़ कर का कम उदग्रहण हुआ।

आयकर विभाग ने अपने उत्तर में (मार्च 2018) बताया कि निर्धारिती-संस्था राष्ट्रीय निकाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल फोर क्रिकेट इन इंडिया (बीसीसीआई) का एक सदस्य है, जो भारत में क्रिकेट के खेल को विनियमित और प्रोत्साहित करती है और निर्धारिती संस्था का मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य में क्रिकेट के खेल को प्रोत्साहित करना है। निर्धारिती, एक राज्य क्रिकेट संघ होने के नाते, अन्तर्राष्ट्रीय मैचों को आयोजित कराते समय टिकटों, विज्ञापन, संविदात्मक आय आदि के विक्रय पर राजस्व प्राप्त करने का हकदार है। वह सभी स्टेडियम में सभी प्रायोजनों, विज्ञापनों और पेय पदार्थ राजस्व, आदि के लिए हकदार है। वह निम्नलिखित शीर्ष से आय अर्जित करता है-

- (1) सदस्यों से अंशदान
- (2) टिकटों का विक्रय
- (3) विज्ञापनों से राजस्व
- (4) बीसीसीआई से प्राप्तियां
- (5) बैंक जमाओं से ब्याज
- (6) संविदात्मक भुगतानों जैसे पेय पदार्थ से राजस्व।

यह इस आय का पं. बंगाल राज्य के क्रिकेट के खेल को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग करता है। निर्धारिती-संस्था, बीसीसीआई का एक सदस्य होने के नाते, बीसीसीआई द्वारा आयोजित मैचों की मेजबानी करते हैं और क्रिकेट दर्शकों को टिकटों का विक्रय करते हैं। निर्धारिती की भूमिका केवल आयोजित मैचों के लिए स्टेडियम उपलब्ध कराना है। इसके अलावा, अन्तर्राष्ट्रीय मैचों और इंडियन प्रमियर लीग मैचों को आयोजित करने में इसकी कोई भूमिका नहीं है। निर्धारिती-संस्था की अन्य गतिविधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अंतर-विश्वविद्यालय, अंतर-विद्यालय और अंतर-संघ मैचों और पं. बंगाल राज्य में जिला स्तर पर कॉलेज के छात्रों के लिए अनुशिक्षण कक्षाएं प्रदान करना है। इन गतिविधियों पर शामिल व्यय निर्धारिती संस्था के पास बचे हुए अधिशेष निधि से पूरे किये गए थे। मेजबान होने के नाते इन व्ययों को पूरा करने के लिए बीसीसीआई से भी इनको निधियां प्राप्त होती है तदनुसार, यह नहीं कहा जा सकता कि निर्धारिती किसी व्यापारिक गतिविधि का आयोजन करता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम की धारा 2(15) के प्रावधान

लागू नहीं किये गए हैं और निर्धारिती प्रतिफल के तहत सभी निर्धारण वर्षों के लिए अधिनियम की धारा 11 के तहत छूट के लिए हकदार हैं।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभाग ने स्वयं बताया कि निर्धारिती ने एक दिवसीय मैचों, टी-20 मैचों और इंडियन प्रमियर लीग मैचों के लिए व्यय वहन करने के लिए विभिन्न कॉर्पोरेट को वाणिज्यिक अधिकार विज्ञापन का विक्रय किया था। क्योंकि निर्धारिती ने विभिन्न कॉर्पोरेट को अपने विज्ञापन अधिकार और वाणिज्यिक अधिकार का विक्रय किया था, इस प्रकार के विज्ञापन अधिकार और वाणिज्यिक अधिकार के विक्रय से प्राप्त आय को वाणिज्यिक आय के रूप में माना जाना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, बीसीसीआई के द्वारा धारा 194सी के तहत टीडीएस की कटौती से पता चलता है कि निर्धारिती को बीसीसीआई द्वारा किया गया भुगतान पूर्ण रूप से संवीदात्मक आधार पर था। इसलिए, बीसीसीआई से प्राप्तियों को निर्धारिती की वाणिज्यिक आय के रूप में मानना आवश्यक था। अतः आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 2(15) के प्रावधानों के अनुसार, निर्धारिती कर की छूट का हकदार नहीं था।

(ख) प्रभार: सीआईटी-6, हैदराबाद

निर्धारिती: मै. श्री वंकेंतशवरा सिने चित्रा प्रा.लि.

निर्धारण वर्ष: 2013-14

निर्धारिती की संवीक्षा निर्धारण शून्य आय पर मार्च 2016 में पूर्ण की गई थी। निर्धारिती ने ₹ 13.86 करोड़ की आय घोषित की थी और चलचित्र 'ऑनगोल गीता' जो 1 फरवरी 2013 को प्रदर्शित हुई थी के प्रति ₹ 15.70 करोड़ की निर्माण लागत का दावा किया था। क्योंकि फिल्म वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पहले 90 दिनों के अंदर प्रदर्शित नहीं हुई थी, निर्धारिती नियम 9ए के प्रावधानों के अनुसार केवल ₹ 13.86 करोड़ की सीमा तक की निर्माण लागत का दावा करने का हकदार था। फिर भी, एओ ने निर्धारिती को निर्माण लागत पर ₹ 15.70 करोड़ का सम्पूर्ण व्यय अनुमत किया था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 59.74 लाख के कम कर उदग्रहण के साथ ₹ 1.84 करोड़ की अतिरेक व्यय की अनुमति दी गई थी।

आयकर विभाग ने आंशिक रूप से लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (जनवरी 2018) को स्वीकार करते हुए बताया कि निर्माण लागत में सम्मिलित ₹ 87.65 लाख के प्रचार और अंतिम प्रिंट खर्च अधिनियम की धारा 37 के तहत अन्यथा स्वीकार्य थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं है। नियम 9ए के अनुसार, निर्माण न की लागत निर्धारिती द्वारा वसूली गई आय की सीमा तक सीमित होनी चाहिए।

(ग) प्रभार: पीसीआईटी-3, मुम्बई

निर्धारिती: मै. सिनेपोलिस इंडिया प्रा. लि.

निर्धारण वर्ष: 2014-15

निर्धारण संवीक्षा ₹ 15.16 करोड़ की हानि पर दिसंबर 2016 में पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश की सरकार ने मनोरंजन कर के संग्रहण से निर्धारित को छूट दी थी जिसके कारण निर्धारिती ने ₹ 13.08 करोड़ के मनोरंजन कर के संग्रहण को पूंजीगत प्राप्त के रूप में प्रस्तुत किया था और उस पर छूट का दावा किया था। उपरोक्त छूट का दावा एओ के द्वारा भी अनुमत किया गया था। तथापि, निर्धारिती और राज्यों के बीच हुए 'मनोरंजन कर छूट समझौते' में देखा गया कि उक्त छूट मल्टीप्लेक्स परियोजना से संबंधित थी, लाभ कमाने के लिए बड़ी पूंजी और लम्बी निर्माण अवधि आवश्यक थी। परिणामस्वरूप, मनोरंजन कर के आधार पर निर्धारिती द्वारा प्राप्त की गई छूट की राशि आईटी अधिनियम की 43(1) के स्पष्टीकरण 10 के प्रावधान के तहत मल्टीप्लेक्स की परिसंपत्तियों के खंड के प्रति समायोजित की जानी आवश्यकता थी। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 4.44 करोड़ के प्रासंगिक कर प्रभाव के फलस्वरूप ₹ 13.08 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ है।

(घ) प्रभार: पीसीआईटी-2, बेंगलुरु

निर्धारिती: मै. बिग एनीमेशन इंडिया प्रा. लि.

निर्धारण वर्ष: 2013-14 और 2014-15

नि.व. 2013-14 और नि.व. 2014-15 के लिए संवीक्षा निर्धारण क्रमशः ₹ 20.54 करोड़ और ₹ 24.06 करोड़ की हानि पर फरवरी 2016 और जुलाई 2016 में पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि नि.व. 2014-15 के दौरान, निर्धारिती ने ₹ 23.96 करोड़ के परिचालन खर्च लाभ और हानि

खाते में डेबिट किये जिसमें फिल्मों के परिशोधन लागत के प्रति ₹ 19.33 करोड़ सम्मिलित थे। उपरोक्त लागत में से, ₹ 15.34 करोड़ एनीमेशन फिल्म शीर्षक 'कृष्णा और कंस' की परिशोधन लागत के 50 प्रतिशत से संबंधित थे। हालांकि, निर्धारिती की लेखांकन नीति से पता चला कि 10 वर्षों की अवधि में प्रदर्शित फिल्मों और धारावाहिकों की माल-सूची लागत का परिशोधन स्ट्रेट लाइन पद्धति से उस वर्ष से शुरू किया गया जिसमें इसे प्रसारण के लिए लाइसेंस प्राप्त था। तथापि, फिल्म 'कृष्णा और कंस' के लिए लागत दो वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित थी अर्थात् ₹ 15.34 करोड़ कुल लागत का 50 प्रतिशत होने के नाते प्रत्येक दो निर्धारण वर्षों (नि.व. 2013-14 और 2014-15) में परिशोधित किया गया था जो अनियमित था, क्योंकि 10 वर्षों की अवधि के लिए परिशोधन किया जाना आवश्यक था। ऐसा करने में चूक के परिणामस्वरूप दोनों निर्धारण वर्षों में ₹ 8.16 करोड़ के संचित कर प्रभाव को सम्मिलित करते हुए ₹ 24.54 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ।

4.4.3 अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत व्यय स्वीकार्य नहीं है

15 राज्यों⁵⁶ के 81 निर्धारण मामलों की लेखापरीक्षा में देखा गया कि यद्यपि अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत निर्धारिती के व्यय स्वीकार्य नहीं थे, आयकर विभाग द्वारा अनुमत व्ययों के परिणामस्वरूप ₹ 167.41 करोड़ की कम मांग हुई। चार मामलों नीचे दिये गए हैं (बॉक्स 4.6 देखें)।

बॉक्स 4.6: अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत अनुमत नहीं किये गए व्ययों के दृष्टांत

(क) प्रभार: पीसीआईटी-2, अहमदाबाद

निर्धारिती: मै. फ्यूज प्लस मीडिया प्रा. लि.

निर्धारण वर्ष: 2011-12

निर्धारिती के संवीक्षा निर्धारण ₹ 6.59 करोड़ की आय पर जनवरी 2014 में पूरा किया गया था। निर्धारिती ने 'उत्पाद विकास व्यय' के संबंध में ₹ 2.26 करोड़ की राशि डेबिट की थी जो पूंजीगत प्रकृति की थी क्योंकि निर्धारिती ने

56 आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना, असम, बिहार, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश

इससे स्थाई लाभ प्राप्त किया था। अतः, इसको पूंजीगत करने की आवश्यकता थी। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.70 करोड़ की आय (अमूर्त परिसंपत्ति होने के नाते 25 प्रतिशत दर पर मूल्यहास का लाभ देने के बाद) का कम निधारण हुआ, फलस्वरूप ₹ 75.49 लाख के कर का कम उदग्रहण हुआ।

(ख) प्रभार: सीआईटी-4, हैदराबाद

निर्धारिती: मै. प्रकाश आर्ट्स प्रा. लि.

निर्धारण वर्ष: 2013-14 से 2014-15

निर्धारिती के संवीक्षा निर्धारण क्रमशः ₹ 3.92 करोड़ और ₹ 4.06 करोड़ की आय पर मार्च 2016 और नवंबर 2016 में पूरे किये गए थे। निर्धारिती ने ₹ 16.12 करोड़ का व्यय वहन किया (विज्ञापन पट निर्माण और अनुरक्षण हेतु ₹ 12.95 करोड़ और बस आश्रय निर्माण और अनुरक्षण हेतु ₹ 3.17 करोड़)। क्योंकि उपरोक्त व्यय पूंजी व्यय प्रकृति के थे इनको पूंजीगत किये जाना आवश्यक था।

चूक के परिणामस्वरूप ₹ 13.70 करोड़ का अतिरेक व्यय हुआ (संयंत्र और मशीनरी होने के नाते 15 प्रतिशत की दर पर मूल्यहास का लाभ देने के बाद) फलस्वरूप ₹ 3.96 करोड़ की कम मांग हुई।

(ग) प्रभार: सीआईटी-2, दिल्ली

निर्धारिती: मै. भारती टेलीमीडिया लि.

निर्धारण वर्ष: 2013-14

लेखापरीक्षा में देखा गया कि निर्धारिती ने नि.व. 2013-14 के दौरान लाभ और हानि खाते में 'वित्त लागत' शीर्ष के तहत ₹ 43.20 करोड़ का ब्याज व्यय डेबिट किया था। उपरोक्त व्यय में विवादित मनोरंजन कर पर ब्याज के प्रॉवधान हेतु ₹ 16.40 करोड़ और विवादित लाइसेंस फीस पर ब्याज के प्रॉवधान हेतु ₹ 26.80 करोड़ शामिल थे। इस प्रकार, अनिश्चित देयताओं वाले खर्चों को अस्वीकृत करना चाहिए और निर्धारिती की आय में पुनः जोड़ा जाना चाहिए था। ऐसा न करने में चूक के परिणामस्वरूप ₹ 14.02 करोड़ के प्रासंगिक कर प्रभाव को सम्मिलित करते हुए ₹ 43.20 करोड़ की मूल्यराशि की हानि को अधिक बताया गया था। आयकर विभाग ने अपने उत्तर

(अक्टूबर 2017) में कहा था कि प्रावधान तब स्वीकृत किये गए थे जब कंपनी के पास पूर्व कार्यक्रम के परिणाम के रूप में वर्तमान दायित्व थे और तुलन-पत्र तिथि पर दायित्वों का समाधान करने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम आंकलनो पर निर्धारित किया था। मै. भारती एयरटेल सर्विसिस लि. के मामले में माननीय आईटीएटी के निर्णय को भी उद्धृत किया गया था।

उत्तर स्वीकार योग्य नहीं था। लाभ और हानि खाते की टिप्पणियों के अनुसार तैयार किए गए ब्याज खर्चे वर्ष के दौरान आकस्मिक प्रकृति के प्रावधान थे और इसलिए यह स्वीकार्य नहीं था। आईटीडी द्वारा उद्धृत निर्णय स्टॉक के मूल्य में हास के संबंध में निर्धारिती द्वारा किए गए प्रावधान से संबंधित था और इस कारण यह तत्काल मामले में प्रासंगिक नहीं था।

(घ) प्रभार: पीसीआईटी-16, मुम्बई

निर्धारिती: मै. यूटीवी सॉफ्टवेयर कम्प्यूनिकेशन लि.

निर्धारण वर्ष: 2012-13

संविक्षा निर्धारण शून्य आय पर मार्च 2016 में पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि निर्धारिती ने ₹ 113.76 करोड़ का अल्प अवधि ऋण लिया था और ₹ 88.84 करोड़ के ब्याज खर्च का दावा किया था। नि.व. 2011-12 के नकदी प्रभाव विवरण के अनुसार, निर्धारिती के पास लेख बही में ₹ 34.72 करोड़ (अर्थात लगभग 57.81 प्रतिशत के पूंजीकृत ब्याज) थे और राजस्व व्यय के रूप में ₹ 25.33 करोड़ के शेष ब्याज खर्चों का दावा किया था। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि निर्धारिती के पास नि.व. 2012-13 में (पिछले वर्ष ₹ 555.70 करोड़) ₹ 402.24 करोड़ की अर्थात पूंजीगत चालू कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) की माल सूची थी और चालू वर्ष के दौरान लेखांकन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। अतः सीडब्ल्यूआईपी के संबंध में ₹ 50.63 करोड़ के अनुपातिक ब्याज (₹ 88.84 करोड़ के कुल ब्याज का 57 प्रतिशत) को नि.व. 2012-13 के दौरान भी पूंजीकृत किया जाना चाहिए था। चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 22.34 करोड़ के कर के कम उदग्रहण को शामिल करते हुए ₹ 50.63 करोड़ आय का कम निर्धारण हुआ।

4.5 हानियों का अनियमित समंजन/अग्रेषण

₹ 80.81 करोड़ के कर प्रभाव सहित 31 मामलों में हमने पाया कि हानियों के अनियमित समंजन/अग्रेषण आईटीडी द्वारा अनुमत किये गए थे। मामले को आगामी पैराग्राफों में वर्णित किया गया है।

4.5.1 अधिनियम की धारा 68 और 69 के तहत की गई वृद्धि के प्रति समायोजित हानियां

अधिनियम की धारा 115बीबीई के अनुसार जहां निर्धारिती की कुल आय धारा 68, धारा 69 धारा 69ए, धारा 69बी, धारा 69सी अथवा धारा 69डी में निर्दिष्ट किसी भी आय में शामिल है तो कुल देय आय कर होगा (क) उपरोक्त धाराओं में निर्दिष्ट आय पर संगणित आय कर की राशि 30 प्रतिशत की दर पर; और (ख) आय कर की राशि जिसके साथ निर्धारिती पर प्रभार्य होगा जिसकी कुल आय खंड (क) में निर्दिष्ट आय की राशि से कम कर दी गई हो। यह भी अनुबंधित करता है कि यद्यपि इस अधिनियम में होने के बावजूद भी किसी भी व्यय अथवा स्वीकृति के संबंध में उप धारा (1) के खंड में निर्दिष्ट उसकी आय की संगणना में इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत निर्धारिती को किसी भी कटौती की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

दिल्ली और महाराष्ट्र राज्यों के सात मामलों की लेखापरीक्षा में देखा गया कि एओ द्वारा की गई वृद्धियों का हानियों के प्रति समंजन किया गया था जो अधिनियम की धारा 115बीबीई का उल्लंघन था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 24.31 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। तीन मामले नीचे दिये गए हैं (बॉक्स 4.7 देखें)।

बॉक्स 4.7: अधिनियम की धारा 68 और 69 के तहत की गई वृद्धि के प्रति समायोजित हानियों के दृष्टांत

(क) प्रभार: पीसीआईटी (सेन्ट्रल)-1, नई दिल्ली

निर्धारिती: मै. इन्टरनेशनल रीक्रीएशन एण्ड एम्यूजमेंट लि.

निर्धारण वर्ष: 2015-16

निर्धारिती के संवीक्षा निर्धारण ₹ 2.50 करोड़ की आय पर दिसंबर 2016 में पूरा किया गया था। एओ ने अधिनियम की धारा 68 के तहत 'बेहिसाबी नकद प्राप्तियों' के खाते में निर्धारिती की आय में ₹ 34.53 करोड़ की वृद्धि की थी जो अधिनियम की धारा 115 बीबीई की उप धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार 30 प्रतिशत की दर कर लगाया जाना आवश्यक था। तथापि, उपरोक्त वृद्धियों के संबंध में ₹ 32.03 करोड़ की वर्तमान वर्ष की हानि का समंजन किया था। चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 13.17 करोड़ के कर के कम उदग्रहण को सम्मिलित करते हुए ₹ 32.03 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी ने उत्तर दिया (मार्च 2018) कि उक्त प्रावधान केवल नि.व. 2017-18 के संबंध में लागू होते हैं और नि.व. 2015-16 के लिए यह मामला निर्धारित किया गया।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि किसी भी व्यय की कटौती अथवा अनुमति के संबंध में पहले से ही धारा 115बीबीई में दिया गया है जब वित्तीय अधिनियम 2012 द्वारा इसको शुरू किया गया था। चालू वर्ष में हानियां कारोबार व्यय की अनुमति देने के बाद सामने आई हैं। अतः चालू वर्ष की हानियों को अधिनियम की धारा 68 के तहत निर्धारित की गई आय के प्रति समंजन नहीं की जा सकता। इसके अतिरिक्त, आयकर विभाग से समान मामले को स्वीकार्य पाया तथा मै. आईएनएक्स प्रा.लि. के संबंध में धारा 148 के तहत मामले को पुनः खोला गया जिसकी नीचे व्याख्या की गई है।

(ख) प्रभार: पीसीआईटी-3, दिल्ली

निर्धारिती: मै. आईएनएक्स न्यूज प्राईवेट लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2013-14

संविक्षा निर्धारण ₹ 36.85 करोड़ की अग्रेनीत हानियों के समंजन के बाद शून्य आय पर मार्च 2016 में पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि एओ ने धन को फर्जी अंतरण मानते हुए धारा 68 के अन्तर्गत 'शेयर आवेदन राशि' के वजह से निर्धारिती की आय में ₹ 12.20 करोड़ की राशि की वृद्धि की गई थी। तथापि एओ ने धारा 68 के अन्तर्गत उपरोक्त हुई वृद्धियों के प्रति अग्रेनीत हानियों के समंजन को अनुमत किया। चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 5.38 करोड़ की कम उगाही को शामिल करते हुए ₹ 12.20 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी ने मार्च 2018 में अधिनियम की धारा 148 के अन्तर्गत उपचारात्मक कार्रवाई प्रारम्भ की थी।

(ग) प्रभार: पीसीआईटी-16, मुम्बई

निर्धारिती: मै. नौरंग गोदावरी इंटरटेनमेंट लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2013-14

निर्धारिती का संविक्षा निर्धारण ₹ 7.84 करोड़ की आय पर मार्च 2016 में पूरा किया गया था। एओ ने अधिनियम की धारा 68 के अन्तर्गत ₹ 13.56 करोड़ और अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत ₹ 1.70 करोड़ की वृद्धि की थी। तथापि, ₹ 7.42 करोड़ का कारोबार हानि जिसे ₹ 1.70 करोड़ की वृद्धि के प्रति समंजित किये जाने की आवश्यकता थी, कुल वृद्धि के प्रति समंजित हुआ था, इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 2.52 करोड़ के कर की कम उगाही के फलस्वरूप ₹ 5.72 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ।

4.5.2 हानियों का अत्यधिक समंजन

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 72 के अन्तर्गत जहाँ 'कारोबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ' शीर्ष के अन्तर्गत संगणना का निवल परिणाम निर्धारिती को हानि है और इस प्रकार की हानि को संबंधित वर्ष के किसी अन्य शीर्ष के अन्तर्गत आय के प्रति पूर्णतया समंजन नहीं किया जा सकता क्योंकि हानि का समंजन नहीं किया गया था जितना की आगामी निर्धारण वर्ष/वर्षों में अग्रेनीत किया गया जाएगा, जिसे उन वर्षों के कारोबार या वृत्ति

से लाभ और अभिलाभ के प्रति समंजित किया जाना है। लेखापरीक्षा ने छः राज्यों⁵⁷ में 13 निर्धारण मामलों में देखा कि हानियाँ के अत्याधिक समंजन को अनुमत किया गया या जिसके परिणामस्वरूप ₹ 24.21 करोड़ के कर/ब्याज का कम मांग हुआ। ऐसे तीन मामलों को नीचे दर्शाया गया है (बॉक्स 4.8 देखें)।

बॉक्स 4.8: अनियमित दावे/समंजन/ अग्रेणीत हानियों के दृष्टांत

(क) प्रभार: पीसीआईटी-16, मुम्बई

निर्धारिती: मै. स्टार इंटरटेनमेंट मीडिया लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2013-14

संविक्षा निर्धारण को ₹ 40.52 करोड़ की आय पर मार्च 2016 में पूरा किया गया था जिसे अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत मई 2016 में ₹ 27.66 करोड़ की आय पर संशोधित किया गया था। एओ ने ₹ 18.64 करोड़ की उपलब्ध हानियों की तुलना में ₹ 49.63 करोड़ की अग्रेणीत हानियों के समंजन को अनुमत किया था। इस प्रकार, ₹ 30.99 करोड़ की हानियों में अत्यधिक समंजन था जिसमें ब्याज ₹ 13.02 करोड़ के कर की कम उगाही शामिल था।

(ख) प्रभार: सीआईटी-1, कोची

निर्धारिती: मै. इंडो एशियन न्यूज चैनल प्रा. लि.

निर्धारण वर्ष: 2014-15

संविक्षा निर्धारण को ₹ 75.17 लाख को निर्धारण वर्ष 2011-12 और ₹ 3.97 करोड़ के नि. वर्ष 2012-13 से संबंधित हानियों को समंजित करने के बाद शून्य आय पर नवम्बर 2016 में पूर्ण किया गया था। तथापि, नि.व. 2012-13 के निर्धारण आदेश के अनुसार ₹ 5.50 करोड़ आय निर्धारित हुई थी, अतः वर्तमान वार्षिक आय के प्रति नि. वर्ष 2012-13 से संबंधित हानियों का समंजन अनियमित था। चुक के परिणामस्वरूप ₹ 3.65 करोड़ (₹ 75.17 लाख के नि वर्ष 2011-12 और ₹ 31.03 लाख का

57 आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना, केरल, म.प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और प.बंगाल

निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए अनुमत करने के बाद) की हानियां अधिक अनुमत थी जिसमें ब्याज सहित ₹ 1.58 करोड़ के कर की कम उगाही शामिल थी।

आईटीडी ने अपने उत्तर (जनवरी 2018) में बताया कि नि.व. 2012-13 में, वृद्धि अधिनियम की धारा 68 के अन्तर्गत रक्षात्मक आधार पर हुई थी, इसलिए नि.वर्ष 2012-13 से संबंधित हानि का समंजन तदानुसार था। आईटीडी का उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि आगामी वर्षों में अग्रेणीत होने के लिए नि.व. 2012-13 के लिए कोई हानि नहीं थी।

(ग) प्रभार: पीसीआईटी-16, मुम्बई
निर्धारिती: मै. क्रेस्ट एनिमेशन स्टूडियो लि.
निर्धारण वर्ष: 2011-12

संविक्षा निर्धारण को ₹ 113.79 करोड़ की आय पर मई 2015 में पूर्ण किया गया था। लेखा परीक्षा में देखा गया कि एओ ने ₹ 8.99 करोड़ की उपलब्ध हानियों के प्रति ₹ 19.22 करोड़ के व्यापार घाटे के समंजन को अनुमत किया था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 4.65 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 10.23 करोड़ की कम निर्धारण हुआ था।

4.5.3 अग्रेणीत हानियों का अनियमित अनुमत

लेखापरीक्षा ने आठ राज्यों⁵⁸ के ग्यारह निर्धारण मामलों में देखा कि अत्यधिक हानियां को भावी समंजन के लिए अग्रेणीत हेतु अनुमत किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 32.29 करोड़ के राजस्व की संभावित हानि हुई थी। तीन मामलों को नीचे दर्शाया गया है (बॉक्स 4.9 देखें)।

58 आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना, असम, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और प. बंगाल

बॉक्स 4.9: अग्रेणीत हानियों के अनियमित अनुमत के दृष्टांत

(क) प्रभार: पीसीआईटी-3, कोलकाता

निर्धारिती: मै. बांग्ला इन्टरटेनमेंट प्रा. लि.

निर्धारण वर्ष: 2011-12

निर्धारिती के संविक्षा निर्धारण को ₹ 5.80 करोड़ की हानि पर मार्च 2014 में पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि निर्धारिती ने नि.वर्ष 2011-12 के लिए धारा 139(1) के अन्तर्गत निर्धारित समय सीमा के बाद आय का विवरणी भरी थी। अतः धारा 80 के प्रावधान के अन्तर्गत अग्रेणीत हानि अनुमत योग्य नहीं थी। तथापि, निर्धारिती को अग्रेणीत हानि अनुमत की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.79 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 5.80 करोड़ की अग्रेणीत हानि करने हेतु अनियमित अनुमत दी गई थी। आईटीडी ने आपत्ति को स्वीकार किया (जनवरी 2016) और अधिनियम की धारा 263 के अन्तर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की।

(ख) प्रभार: पीसीआईटी, त्रिवेन्द्रम

निर्धारिती: मै. ऐशियानेट सैटलाईट कम्यूनिकेशन लि.

निर्धारण वर्ष: 2014-15

संविक्षा निर्धारण को शून्य आय पर दिसम्बर 2016 में पूरा किया गया था। लेखा परीक्षा ने देखा कि एओ ने आगामी वर्षों में अग्रेणीत करने के लिए ₹ 120.46 करोड़ के उपलब्ध अनवशोषित मूल्यहास के प्रति ₹ 178.72 करोड़ के अनवशोषित मूल्यहास को अनुमत किया था। उसी प्रकार, इसमें ₹ 18.96 करोड़ के संभावित कर की कम उगाही सहित ₹ 58.26 करोड़ का अनवशोषित मूल्यहास अधिक अग्रेणीत था। आईटीडी ने अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत चूक को संशोधित किया (जनवरी 2018)।

(ग) प्रभार: पीसीआईटी-13, मुम्बई

निर्धारिती: मै. सुपर फाईट प्रमोशन प्रा. लि.

निर्धारण वर्ष: 2014-15

संविक्षा निर्धारण को ₹ 2.73 करोड़ की हानि पर नवंबर 2016 में पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती कंपनी के शेयर धारण स्वरूप में

बदलाव था जिसके कारण यह आयकर अधिनियम की धारा 79 के अन्तर्गत आगामी वर्षों के लिए उपलब्ध हानियां अग्रणीत करने योग्य नहीं थी। तथापि, निर्धारिती ने दावा किया था और एओ ने ₹ 10.10 करोड़ की अग्रणीत हानि को अनुमत किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.12 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 10.10 करोड़ का आय का कम निर्धारण हुआ।

4.6 धारा 115जेबी के अन्तर्गत लाभ बहियों की संगणना और अधिनियम की धारा 115ए अन्तर्गत मैट जमा में चूक

अधिनियम की धारा 115जेबी उन मामलों में लाभ बहियों की संगणना की पद्धति को निर्दिष्ट करता है जहां कर सामान्य प्रावधान के अन्तर्गत मैट प्रावधान से कम है। इसके अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 115जेएए(1ए) के अनुसार किसी निर्धारिती द्वारा जहां कोई कर की राशि धारा 115जेबी(1) अथवा न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी), के अन्तर्गत भुगतान किया गया है, तो कर के संबंध में जमा को इस धारा के प्रावधानों के अनुसार अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा, अग्रणीत कर क्रेडिट के संबंध में संमजन उनकी कुल आय पर कर के बीच अंतर की सीमा तक किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए अनुमत करेगा और कर धारा 115जेबी के प्रावधान के अन्तर्गत देय होगा।

4.6.1. लाभ बहियों का कम निर्धारण

लेखापरीक्षा ने गुजरात, कर्नाटका और महाराष्ट्र राज्यों के 21 मामलों में देखा कि धारा 115जेबी के अन्तर्गत आय की गणना में चूक थी जिसके फलस्वरूप कम आय का निर्धारण हुआ और परिणामस्वरूप ₹ 87.30 करोड़ के ब्याज/कर की माँग कम हुई। ऐसे तीन मामलों को नीचे दिखाया गया है। (बॉक्स 4.10 देखें)।

बॉक्स 4.10: लाभ बहियों के कम निर्धारण के उदाहरण

(क) प्रभार: पीसीआईटी-3, बेंगलुरु

निर्धारिती: मै. आईडीजी मीडिया प्रा. लि.

निर्धारण वर्ष: 2013-14 और 2014-15

संविक्षा निर्धारण दोनों वर्षों के लिए शून्य आय पर दिसंबर 2015 और मार्च 2016 में पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि निर्धारिती ने नि. वर्ष 2012-13 के लाभ बही के प्रति ₹ 1.64 करोड़ के अनवशोषित मूल्यहास को समायोजित किया था, उसने पुनः नि. वर्ष 2014-14 और 2014-15 के लिए बही लाभों की गणना करते समय अनवशोषित मूल्यहास का दावा किया था। इसे एओ द्वारा अनुमत भी किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 69.75 लाख के कर प्रभाव सहित ₹ 3.28 करोड़ तक के कुल बही लाभ का कम निर्धारण हुआ था।

(ख) प्रभार: पीसीआईटी-16, मुम्बई

निर्धारिती: मै. बेंग बेंग फिल्मस प्रा. लि.

निर्धारण वर्ष: 2014-15

निर्धारिती का संविक्षा निर्धारण ₹ 1.52 करोड़ की हानि पर अक्टूबर 2016 में पूर्ण किया गया था। लेखा परीक्षा ने देखा कि लाभ और हानि के माध्यम से मंदी बिक्री के आधार पर व्यापार के हस्तांतरण पर ₹ 22.28 करोड़ नहीं दिखाया था लेकिन हानि को समायोजित करने के लिए आय की संगणना में इसे सीधे दिखाया गया था। इस प्रकार लाभ और हानि खाते, कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूचि के भाग II और III के प्रावधानों के अनुसार तैयार नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 4.85 करोड़ के कम कर की उगाही के परिणाम में ₹ 17.62 करोड़ (₹ 22.27 करोड़ - ₹ 4.66 करोड़ अर्थात् लाभ एवं हानि लेखा के अनुसार हानि) तक के बही लाभों का कम निर्धारण हुआ था।

(ग) प्रभार: पीसीआईटी-11, मुम्बई
निर्धारिती: मै. स्कोड 18 नेटवर्किंग प्रा. लि.
निर्धारण वर्ष: 2014-15

संविक्षा निर्धारण ₹ 10.44 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2016 में पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा ने नि.वर्ष 2014-15 में देखा कि निर्धारिती ने सेट टाप बॉक्स (एसटीबी) के उपचार से संबंधित अपनी लेखकरण नीति को बदल दिया था जिसके कारण निर्धारिती ने अधिशेष से ₹ 21.85 करोड़ की राशि समायोजित की थी। इसके अलावा, लेखाकरण मानकों (एएस)-06 के अनुसार, किसी परिवर्तन से परिणामी अधिशेष अथवा मूल्यहास विधि में परिवर्तन के कारण पूर्व वर्षों में घाटों को लाभ और हानि लेखाओं में प्रभारित किया जाना चाहिए था जो कि नहीं किया गया था ऐसी चूक करने के परिणामस्वरूप ₹ 4.58 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 21.85 करोड़ की कम आय का निर्धारण हुआ था।

4.6.2 धारा 115 जेए के अन्तर्गत मैट जमा को अनियमित अनुमत

हमने गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों के चार मामलों में देखा कि निर्धारिती ने ₹ 4.08 करोड़ के मैट जमा के अतिरिक्त समंजन को स्वीकृत किया था। एक मामले पर नीचे चर्चा की गई है (बॉक्स 4.11 देखें)।

बॉक्स 4.11: धारा 115 जेए के अन्तर्गत मैट जमा को अनियमित अनुमत के दृष्टांत

प्रभार: सीआईटी-10, चेन्नई
निर्धारिती: मै. मेविस सेटकॉम लि.
निर्धारण वर्ष: 2012-13

एओ ने नि.व. 2012-13 से संबंधित ₹ 2.11 करोड़ के मैट जमा को स्वीकृत किया था हालांकि निर्धारिती ने उस वर्ष में सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत कर का भुगतान किया था और कोई मैट जमा समंजन के लिए उपलब्ध नहीं था। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 2.87 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

4.7 कर की संगणना में चूक

हमने कर की संगणना और 66 मुद्दों के मामलों में चूकों को देखा जिनमें ₹ 280.60 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है जैसा कि हमने आगामी पैराग्राफों में चर्चा की है।

4.7.1 कर की उगाही/अधिभार/ब्याज में चूक

लेखापरीक्षा ने ग्यारह राज्यों⁵⁹ में 29 निर्धारणों में देखा कि कर/ब्याज की संगणना में चूक हुई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 144.76 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। सात मामले नीचे दिखाए गये हैं (बॉक्स 4.12 देखें)।

बॉक्स 4.12: कर की उगाही/अधिभार/ब्याज में चूक के दृष्टांत

(क) प्रभार: पीसीआईटी-16, मुम्बई

निर्धारिती: मै. स्टार इंडिया प्रा. लि.

निर्धारण वर्ष: 2012-13

निर्धारिती का संविक्षा निर्धारण ₹ 898.78 करोड़ की आय पर जनवरी 2017 में पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि एओ ने ₹ 59.93 करोड़ के स्थान पर, अधिनियम की धारा 234बी के अन्तर्गत ₹ 2.52 करोड़ का ब्याज उद्ग्रहित किया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 57.41 करोड़ के ब्याज की कम उगाही हुई।

(ख) प्रभार: पीसीआईटी (सेन्ट्रल)-3, मुम्बई

निर्धारिती: मै. दी बोर्ड आफ कन्ट्रोल फार क्रिकेट इन इंडिया (बीसीसीआई)

निर्धारण वर्ष: 2014-15

निर्धारिती के संविक्षा निर्धारण को ₹ 1131.09 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2016 में पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि निर्धारिती की आय एक करोड़ रुपये से अधिक थी, फिर भी अधिभार @ 10 प्रतिशत पर उद्ग्रहित नहीं किया गया था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 34.95 करोड़ के राजस्व की हानि हुई थी।

59 आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश

(ग) प्रभार: पीसीआईटी (छूट), अहमदाबाद
निर्धारिती: मै. गुजरात क्रिकेट एसोशियेशन
निर्धारण वर्ष: 2014-15

संविक्षा निर्धारण को ₹ 83.56 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2016 में पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि आय एक करोड़ से अधिक थी, एओ ने अधिभार उदग्रहीत नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.78 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। आईटीडी ने सितम्बर 2017 में अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की थी।

(घ) प्रभार: सीआईटी (छूट), चंडीगढ़
निर्धारिती: मै. हरियाणा क्रिकेट एसोशियेशन
निर्धारण वर्ष: 2012-13

संविक्षा निर्धारण को ₹ 27.29 करोड़ की आय पर मार्च 2015 में पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि अधिभार नहीं वसूला गया था जिसके कारण ₹ 57.34 लाख की कम माँग हुई।

(ङ.) प्रभार: पीसीआईटी, हैदराबाद
निर्धारिती: मै. ओडिसा क्रिकेट असोशियेशन
निर्धारण वर्ष: 2012-13

संविक्षा निर्धारण को ₹ 25.94 करोड़ की आय पर मार्च 2015 में पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 10.88 करोड़ का कर उगाही योग्य था। हालांकि, आईटीडी ने ₹ 10.23 करोड़ का कर उदग्रहीत किया जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 64.29 लाख के कर की कम उगाही हुई।

(च) प्रभार: पीसीआईटी-16, मुम्बई
निर्धारिती: मै. जी इंटरटेनमेंट इन्टरप्राइजेज लि.
निर्धारण वर्ष: 2011-12

संविक्षा निर्धारण को ₹ 835.96 करोड़ की आय पर फरवरी 2016 में पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारण को संविक्षा निर्धारण के दौरान अनुमत मैट जमा को अस्वीकार करने के द्वारा धारा 154 के तहत संशोधित किया गया था। संशोधित आदेश में कर माँग की संगणना करते

समय, एओ ने गलती से ₹ 173.95 करोड़ की वास्तविक कर देयता के स्थान पर ₹ 138.44 करोड़ की संगणना की थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 35.51 करोड़ की कम उगाही हुई। इसके अलावा, पहले जारी धन वापसी पर धारा 234डी के अन्तर्गत ₹ 70.48 लाख के ब्याज की कम उगाही की थी। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 36.21 करोड़ का कुल कर प्रभाव पड़ा।

(ख) प्रभार: पीसीआईटी (सेन्ट्रल)-3, दिल्ली

निर्धारिती: मै. पर्स ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन लि.

निर्धारण वर्ष: 2011-12

निर्धारिती के खण्ड निर्धारण को ₹ 83.11 करोड़ की आय पर मार्च 2016 में पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि एओ ने धारा 234बी(3) के अंतर्गत ब्याज की कम उगाही और धारा 234ए(3) के अंतर्गत ब्याज की गैर उगाही के कारण ₹ 44.72 करोड़ की सही राशि के स्थान पर ₹ 38.37 करोड़ के कर की कुल माँग के उठाया था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 6.35 करोड़ की माँग की कम उगाही हुई। आईटीडी ने आपत्ति को स्वीकार किया और सितम्बर 2017 में अधिनियम की धारा 154 की अन्तर्गत चूक को संशोधित किया।

4.7.2 धारा 90/91 के अन्तर्गत टीडीएस जमा/राहत का असंगत अनुदान

लेखापरीक्षा ने कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र राज्यों के सात मामलों में देखा कि एओ ने धारा 90/91 के अन्तर्गत टीडीएस जमा/राहत को असंगत रूप से अनुमत किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 23.51 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। ऐसे एक मामले की व्याख्या नीचे दी गई है (बॉक्स 4.13 देखें)।

बॉक्स 4.13: धारा 90/91 के अन्तर्गत टीडीएस क्रेडिट/राहत के असंगत अनुदान के दृष्टांत

प्रभार: पीसीआईटी (सेन्ट्रल)-2, मुम्बई

निर्धारिती: मै. सोनी पिक्चर नेटवर्क इण्डिया प्रा. लि.

निर्धारण वर्ष: 2012-13

संविदा निर्धारण को ₹ 434.21 करोड़ की आय पर जनवरी 2017 में पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती ने दावा किया था और मल्टी स्क्रीन मिडिया सिंगापुर (एमएसएमएस) से प्राप्त ₹ 324 करोड़ की रायल्टी आय पर अधिनियम को धारा 90 के अन्तर्गत ₹ 21.52 करोड़ की विदेशी कर जमा राहत को अनुमत किया था जिस पर एमएसएमएस द्वारा सिंगापुर में कोई कर नहीं काटा गया था। तथापि, लाभ एवं हानि लेखा के साथ-साथ 3सीईबी रिपोर्ट⁶⁰ से यह देखा गया था कि निर्धारण वर्ष के दौरान मल्टी स्क्रीन मिडिया सिंगापुर (एमएसएमएस) से निर्धारिती द्वारा कोई रायल्टी आय प्राप्त नहीं हुई थी। चूंकि सिंगापुर प्रोत्साहन योजना में शून्य रोकथाम कर के लिए केवल रायल्टी भुगतान शामिल था जबकि सिंगापुर सत्व किये गये अन्य भुगतानों की कर रोकथाम आवश्यक थी जिसके लिए भारत में जमा की अनुमति थी। इस प्रकार निर्धारिती द्वारा दावित कर जमा अस्वीकृत किया जाना चाहिए था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 21.52 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

4.7.3 गलत आकड़ों को अपनाने के कारण संगणना में चूक

लेखापरीक्षा ने आठ राज्यों⁶¹ के 30 मामलों में देखा कि एओ ने निर्धारण में गलत आकड़ों को अपनाया था जिसके कारण ₹ 112.33 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। सात ऐसे मामलों की व्याख्या नीचे दी गई है (बॉक्स 4.14 देखें)।

60 अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहार से संबंधित रिपोर्ट लेखाकार द्वारा भेजी गई

61 आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, म. प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और प. बंगाल

बॉक्स 4.14: गलत आकड़ों को अपनाने के कारण संगणना में चूक के दृष्टांत

(क) प्रभार: पीसीआईटी-16, मुम्बई

निर्धारिती: मै. क्रेस्ट एनीमेशन स्टूडियो लि.

निर्धारण वर्ष: 2011-12

संविक्षा निर्धारण को ₹ 113.79 करोड़ की आय पर मई 2015 में पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि एओ ने निर्धारण पूर्ण करते समय निर्धारिती की आय में ₹ 111.97 करोड़ की वृद्धि की थी। अन्य बातों के साथ-साथ, वृद्धि ₹ 89.16 करोड़ की राशि को शामिल करती है (₹ 178.32 करोड़ के अन्य व्ययों का 50 प्रतिशत होते हुए) जिसके प्रति निर्धारिती ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। लेखापरीक्षा ने आगे निर्धारिती की आयकर विवरणी (आईटीआर) से देखा कि उसने अपनी आय में ₹ 170.06 करोड़ की राशि को पहले की वापिस जोड़ लिया था जिसमें ₹ 178.32 करोड़ के अन्य व्यय शामिल थे। इस प्रकार, एओ को ₹ 8.26 करोड़ (₹ 178.32 करोड़ - ₹ 170.06 करोड़) का 50 प्रतिशत अर्थात् ₹ 4.13 करोड़ अस्वीकृत करना चाहिए था। तथापि, एओ ने, ₹ 4.13 करोड़ की बजाय ₹ 89.16 करोड़ को अस्वीकृत कर दिया। इस चुक के परिणामस्वरूप ब्याज और शास्ति सहित ₹ 70.61 करोड़ के कर की अतिरिक्त उगाही को शामिल करते हुए ₹ 85.03 करोड़ (₹ 89.16 करोड़ - ₹ 4.13 करोड़) की आय का अधिक निर्धारण हुआ।

(ख) प्रभार: पीसीआईटी-1, बडौदा

निर्धारिती: मै. डिवाइन मल्टीमिडिया (इन्डिया) लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2013-14

संविदा निर्धारण को ₹ 2.41 करोड़ की आय पर मार्च 2016 में पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि एओ ने सात पार्टियों के संबंध में ₹ 7.48 करोड़ के संदिग्ध संव्यवहार को निर्धारण आदेश में उल्लेखित किया था जिसे निर्धारिती की आय में जोड़ा जाना था। तथापि, कर योग्य आय की संगणना करते समय एओ ने ₹ 7.48 करोड़ के स्थान पर ₹ 2.13 करोड़ की संदिग्ध राशि को अपनाया, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 2.36 करोड़ के कर की कम उगाही के फलस्वरूप ₹ 5.35 करोड़ की कम आय का

निर्धारण हुआ। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और अप्रैल 2018 में अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत उपचारात्मक कार्रवाई आरंभ की।

(ग) प्रभार: पीसीआईटी-2, बंगलुरु

निर्धारिती: मै. सिद्धारामन्ना शैलेन्द्र बाबू

निर्धारण वर्ष: 2012-13

निर्धारिती का संविदा निर्धारण ₹ 5.74 करोड़ की हानि पर मार्च 2015 में पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि एओ ने ₹ 1.15 करोड़ की वास्तविक हानि की अपेक्षा ₹ 11.52 करोड़ पर रिटर्न हानि के आकड़ों को अपनाया था और ₹ 5.78 करोड़ की वृद्धि करने के पश्चात एओ ने ₹ 4.63 करोड़ के स्थान पर ₹ 5.74 करोड़ पर हानि को माना था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 3.70 करोड़ के कुल कर प्रभाव के फलस्वरूप ₹ 5.74 करोड़ की गलत अग्रणीत हानि को स्वीकृत करने के साथ-साथ ₹ 4.63 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ था।

(घ) प्रभार: पीसीआईटी-10, चेन्नई

निर्धारिती: मै. तिरुपति ब्रादस फिल्म मिडिया प्रा. लि.

निर्धारण वर्ष: 2012-13

निर्धारिती के संविदा निर्धारण को ₹ 3.93 करोड़ की आय पर मार्च 2015 में पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा गया कि निर्धारिती ने ₹ 1.92 करोड़ आय की मूल विवरणी की अपेक्षा ₹ 3.93 करोड़ पर आय की संशोधित विवरणी भरी थी। तथापि, निर्धारण आदेश में आय को ₹ 3.93 करोड़ की मुख्य संशोधित आय की अपेक्षा ₹ 1.93 करोड़ पर लिया गया था। चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 88.25 लाख के कुल कर प्रभाव के फलस्वरूप ₹ 2 करोड़ की आय की राशि तक का कम निर्धारण हुआ था। आईटीडी ने अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत चूक को संशोधित किया (अक्टूबर 2017)।

(इ) प्रभार: पीसीआईटी (केन्द्रीय)-3, मुम्बई
निर्धारिती: मै. दी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया
(बीसीसीआई)
निर्धारण वर्ष: 2014-15

संविक्षा निर्धारण को ₹ 1,131.09 करोड़ की आय पर मार्च 2016 में पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि निर्धारिती ने 'मिडिया अधिकार से आय' के प्रति ₹ 108.02 करोड़ जमा किये गये थे जो कि ₹ 59.32 करोड़ के टीवी और अन्य निर्माण लागत का निवल था। हालांकि, आय की संगणना करते समय, निर्धारिती ने व्यय के रूप में ₹ 59.32 करोड़ की निर्माण लागत का पुनः दावा किया था और उसे एओ द्वारा अनुमत किया गया था। इस चूक के परिणामस्वरूप 20.16 की कम उगाही सहित ₹ 59.32 करोड़ की कम आय का निर्धारण हुआ था।

(च) प्रभार: सीआईटी-10, चेन्नई
निर्धारिती: मै. मैक्सि सेटकॉम लि.
निर्धारण वर्ष: 2012-13

संविक्षा निर्धारण ₹ 5.64 करोड़ की आय पर मार्च 2015 में पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि एओ ने कर योग्य आय की गणना करते समय ₹ 8.59 करोड़ की आय की संशोधित विवरणी के स्थान पर आय की मूल विवरणी के अनुसार ₹ 2.26 करोड़ की आय को अपनाया था। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 2.79 करोड़ के कम कर की उगाही को शामिल करते हुए ₹ 6.33 करोड़ की कम आय का निर्धारण हुआ था।

(छ) प्रभार: पीसीआईटी-3, दिल्ली
निर्धारिती: मै. डिजिविजन इन्टरटेनमेंट प्रा. लि.
निर्धारण वर्ष: 2014-15

निर्धारिती के संविक्षा निर्धारण को ₹ 7.76 करोड़ की हानि पर दिसम्बर 2016 में पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि निर्धारिती ने पूर्व नि.वर्ष की ₹ 7.76 करोड़ की अग्रनित हानियों के समंजन के पश्चात 'शून्य' पर आय की अपनी विवरणी भरी थी। इस प्रकार, आय ₹ 7.76 करोड़ की हानि को स्वीकार करने के प्रति शून्य आय पर निर्धारित की जानी चाहिए

थी। इस चूक के परिणाम स्वरूप ₹ 2.64 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 7.76 करोड़ की हानि अग्रेशन की अनियमित स्वीकृति हुई थी। आईटीडी ने मार्च 2018 में अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत उपचारात्मक कार्रवाई आरंभ की थी।

4.8 निष्कर्ष

- निर्धारण अधिकारी ने 5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक की अलग-अलग प्रतिशतों को अपनाकर निर्धारित की आय में तदर्थ वृद्धियाँ की थी, इस प्रकार आय में व्यक्तिपरक और मनमाने ढंग से वृद्धियाँ की गई। इसका कोई और औचित्य नहीं दिया गया था अथवा दिया गया औचित्य अपर्याप्त था।
- लेखापरीक्षा ने ₹ 1,922.93 करोड़ कर प्रभाव के 384 मामलों में देखा जहाँ निर्धारण अधिकारियों ने कटौतियों/व्ययों/समंजन और अग्रणीत हानि/मैट, कर की संगणना में चूकों और ब्याजों आदि को अनुमत करने के संबंध में अधिनियम में निर्दिष्ट प्रावधानों का पालन नहीं किया, जिसने निर्धारण की गुणवत्ता को प्रभावित किया।

4.9 सिफारिशें

लेखापरीक्षा सिफारिश करता है कि:


- क. सीबीडीटी यह सुनिश्चित करे कि निर्धारण आदेश तदर्थ वृद्धियों के बारे में स्वतः स्पष्ट (सशब्द आदेश) है, और इस प्रकार एक ही तरह के मामलों में तदर्थ वृद्धियों में असमानता से बचे।
 - ख. सीबीडीटी यह सुनिश्चित करे कि कटौती/व्ययों/समंजन और अग्रणीत हानि /एमएटी आदि की अनुमति के संबंध में आयकर अधिनियम में निर्दिष्ट प्रावधानों/शर्तों का निर्धारण की गुणवत्ता में सुधार के लिए निर्धारण अधिकारियों द्वारा उचित रूप से पालन किया जाता है।
- सीबीडीटी ने निकास सम्मेलन (जून 2018) के दौरान लेखापरीक्षा सिफारिशों से सहमत होते समय बताया कि आयकर व्यापार एप्लीकेशन (आईटीबीए) के कार्यान्वयन के बाद, निर्धारण अधिकारी

द्वारा कर योग्य आय की गणना के लिए वृद्धियों/अस्वीकृतियों को करते समय अधिक विस्तृत और व्याख्यात्मक दृष्टिकोण का पालन करना आवश्यक है।

ग. सीबीडीटी निर्धारण मोड्यूल के माध्यम से कर माँग को स्वतः उत्पन्न करने और कर एवं ब्याज की संगणना में पुनरावर्ती और अपरिहार्य चुकों का सत्यापन करने के लिए निर्धारण के सभी स्तरों पर इसे निर्धारण अधिकारियों के लिए अनिवार्य करे ताकि आय और ब्याज गणना में चुको की पुनरावृत्ति को टाला जा सके।

सीबीडीटी ने निकास सम्मेलन (जून 2018) के दौरान लेखापरीक्षा सिफारिशों पर सहमत होते हुए बताया कि आईटीबीए के माध्यम से निर्धारण आदेशों को पारित करने के लिए एओ के लिए अनिवार्य कर दिया गया है जिसमें कर और ब्याज की संगणना में अंक गणितीय चूक से बचने के लिए स्वतः जाँच और सत्यापन है।

नई दिल्ली
दिनांक: 05 फरवरी 2019


(नीलेश कुमार साह)
प्रधान निदेशक (प्रत्यक्ष कर-II)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 06 फरवरी 2019


(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1
(संदर्भ पैरा 1.5)
कानूनी ढाँचा

प्रासंगिक धाराएं/ आयकर अधिनियम के नियम/मनोरंजन उद्योग को शासित करने वाले नियम

धारा/नियम	विषय वस्तु
नियम 6एफ के साथ पठित धारा 44एए(3)	फिल्मी कलाकारों द्वारा लेखा बहियों का अनुरक्षण।
धारा 44एबी	चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सत्यापित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण।
नियम 18बीडी ⁶² के साथ पठित धारा 80 (आईबी) (7ए)	प्रारंभिक निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले लगातार 5 वर्षों की अवधि के लिए मल्टीप्लेक्स थियेटर के लिए कटौती।
नियम 29ए ⁶³ के साथ पठित धारा 80 आरआर	भारत में निवासी होते हुए लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतकार और अभिनेता के मामले में विदेशी स्रोतों से पेशेवर आय के संबंध में आय की कटौती।
धारा 194सी	निर्माण अनुबंधों के अनुपालन में किसी कार्य के लिए किसी निवासी को किसी राशि के भुगतान के लिए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) है। स्पष्टीकरण III के अनुसार 'निर्माण' में क) विज्ञापन ख) ऐसे संचार एवं प्रसारण आदि के कार्यक्रम के प्रोडक्शन सहित संचार और प्रसारण शामिल होंगे।
धारा 194जे	पेशेवर सेवाओं अथवा तकनीकी की सेवाओं और रायल्टी भुगतान के लिए शुल्क के माध्यम द्वारा भुगतान के संबंध में टीडीएस। रायल्टी बिक्री, वितरण और छायाकन फिल्मों की प्रदर्शनी पर विचार शामिल नहीं करता है।
नियम 121ए के साथ पठित धारा 285बी	प्रोड्यूसर किसी विशेष फिल्म के संबंध में फिल्म प्रोड्यूसर द्वारा ₹ 50,000 से अधिक के सभी भुगतान के विशेष समाहित व्यय (अर्थात् प्रपत्र 52ए) के विवरणों का प्रस्तुतीकरण
धारा 272ए	निर्धारित समय के भीतर प्रपत्र 52ए को न भरने पर शासित
नियम 9ए और नियम 9बी	क्रमशः फीचर फिल्म के प्रोडक्शन की लागत और फीचर फिल्म के वितरण अधिकारों के अधिग्रहण की लागत पर कटौती।

62 1.4.2002 और 31.3.2005 के बीच पूर्णता/अधिभोग प्रमाण पत्र होने पर कटौती उपलब्ध है।

63 नि. वर्ष 2005-06 से प्रभावी कोई कटौती उपलब्ध नहीं है।

सीबीडीटी के परिपत्र

परिपत्र सं. और दिनांक	विषय
675 दिनांक 03-01-1994	सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि एक कथानक लेखक को "नाटककार" के रूप में माना जा सकता है और उसी प्रकार अधिनियम की धारा 80आरआर के प्रयोजनों के लिए 'निदेशक' के 'कलाकार' माना जा सकता है। तथापि, कोई निर्माता अधिनियम की धारा 80आरआर के अन्तर्गत कटौती का हकदार नहीं होगा, क्योंकि वह कथित धारा में उल्लिखित किसी श्रेणी में नहीं आता है।
715 दिनांक 08-08-1995	सीबीडीटी ने वित्त अधिनियम 1995 के माध्यम से किये गये परिवर्तनों के संबंध में स्रोत पर कर कटौती से संबंधित विभिन्न प्रावधानों पर स्पष्टीकरण दिया है। विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापन पट अनुबंध, आदि इस परिपत्र के अन्तर्गत शामिल हैं।
742 दिनांक 02-05-1996	सीबीडीटी ने यह स्पष्ट किया है कि विदेशी प्रसारण कंपनी (एफटीसी) के मामले में आय, जिनके पास भारत में कोई शाखा कार्यालय अथवा स्थाई प्रतिष्ठान नहीं है अथवा देश-वार खातों को नहीं बनाया है, विदेश में प्रेषण के लिए सकल रशीदों या ऐसी कंपनियों द्वारा लौटाई गई आय के 10 प्रतिशत की अनुमानित लाभ दर को अपनाने के द्वारा संगणना की जाएगी, जो भी अधिक हो और निर्धारित दर पर समान हो, अर्थात् वर्तमान में 55 प्रतिशत।
2001 का 06 दिनांक 05-03-2001	सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि अनुमानित आधार पर अब तक संगणित विज्ञापनों से एफटीसी की आय निर्धारण वर्ष 2002-03 और बाद के निर्धारण वर्षों के संबंध में आयकर अधिनियम 1961 के अन्य प्रावधानों के अनुसार मानी जाएगी। भारतीय परिचालनों के लिए खाते उपलब्ध न होने के मामले में आयकर नियमों 1962 के नियमों के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है। जहाँ कोई एफटीसी किसी देश का निवासी है। जिसके पास दोहरा कराधान परिहार समझौता (डीटीएए) है, उसकी व्यवसायिक आय पर केवल (विज्ञापनों से प्राप्त सहित) भारत में स्थाई स्थापना होने पर ही कर लगाया जा सकता है। एफटीसी का कराधान जो किसी देश के निवासी है जिनका भारत के साथ कोई डीटीएए नहीं है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 के प्रावधानों द्वारा शासित किया जाएगा। यह फिर से कहा गया है कि परिपत्र संख्या 742 और 765 में एफटीसी के लाभों की संगणना के लिए दिशानिर्देश, विज्ञापनों से आय के स्रोत पर लागू होते थे। अन्य प्रकार की आय जैसे भुगतान चैनल के संबंध में केवल आपरेटरों से प्राप्त अभिदान

	शुल्क और बिक्री अथवा डिकोडर के पट्टे आदि से आय, उपरोक्त 2 पैराग्राफों के अनुसार कर लगाना जारी रहेगा।
2002 का 05 दिनांक 30-07-2002	सीबीडीटी ने आगे वित्त अधिनियम 1995 के माध्यम से प्रस्तुत किए गये परिवर्तनों के संबंध में स्रोत पर कर कटौती से संबंधित विभिन्न प्रावधानों पर स्पष्टीकरण दिया है। विज्ञापन संस्था, विज्ञापन पट अनुबंध, आदि इस परिपत्र के अन्तर्गत शामिल है।
2016 का 04 दिनांक 29-02-2016	सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि विषयवस्तु निर्माण के लिए अनुबंध पर टीडीएस के प्रासंगिक प्रावधान को लागू करते समय, (i) विषयवस्तु के निर्माण के लिए भुगतान/प्रासारणकर्ता/टेलीकास्टर के विनिर्देशों के अनुसार कार्यक्रम और (ii) निर्माण हाऊस द्वारा पहले से ही प्रसारित विषय वस्तु के टेलीकास्टिंग अधिकारों की माँग के लिए भुगतान के मध्य अन्तर किया जाना आवश्यक है। पहली शर्त धारा 194 सी के प्रावधान के अन्तर्गत शामिल की जाएगी जबकि दूसरी भुगतान अधिनियम के अध्याय XVIIबी के अन्य टीडीएस प्रावधानों की प्रकृति के अन्तर्गत आएगा।
2016 का 05 दिनांक 29-02-2016	सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि कोई टीडीएस विज्ञापनों हेतु बुकिंग अथवा खरीद अथवा प्रचार के लिए विज्ञापन एजेंसी को टेलीविजन चैनल/समाचार पत्र कंपनियों द्वारा किए गये भुगतान पर आकृष्ट नहीं किया है। इसके अलावा, 'आयोग' दिनांक 8.8.1995 की परिपत्र संख्या 715 के प्रश्न संख्या 27 से संदर्भित विज्ञापनों की बुकिंग के लिए विज्ञापन एजेंसियों को मिडिया कंपनियों द्वारा भुगतानों को सन्दर्भ नहीं करता है। लेकिन माडलों, कलाकारों, फोटोग्राफर, खिलाड़ियों आदि को भुगतान करता है और इसलिए यह टीडीएस के मुद्दे से संबंधित नहीं है।

प्रासंगिक न्यायिक निर्णय:

मामले का विवरण	निर्णय का उद्धरण	सार
फिरोज नाडियाडवाला बनाम अतिरिक्त सीआईटी-11(1), मुम्बई	आईटीए सं. 7977/मुम/2011 (आईटीएटी मुम्बई बेंच 'एफ')	यह माना गया था कि कोई फिल्म जो वर्ष के दौरान प्रदर्शित नहीं हुई थी के निर्माण के लिए विशेष रूप से लिए गये ऋण पर ब्याज स्वीकार्य नहीं था, और नियम 9ए के अनुसार निर्माण की लागत के रूप में आगामी वर्ष में अग्रणीत किया जाना चाहिए।
सागर सरधादी बनाम आईटीओ, वार्ड 11(1)(4), मुम्बई	आईटीए संख्या 5525/मुम/2010 आईटीए मुम्बई बेन्च 'ई'	यह माना गया था कि फिल्म के निर्माण की लागत कटौती के रूप में केवल तथी अनुमत की जा सकती है जब नियम 9ए के अन्तर्गत विशिष्ट शर्तें पूरी हो और ऐसी

		कटौती फिल्म के मूल्य को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि अपनाने के द्वारा अनुमत नहीं की जा सकते।
मलयाल मनोरमा कॉ. लि. बनाम एसीआईटी सर्किल - 1, कोट्टायम	2010 की आईटीए सं. 429 एवं 481	यह माना गया था कि एफएम रेडियो प्रसारण सेवाएं आरंभ करने के लिए खरीदे गये उपकरण सुसंगत वित्त वर्ष के अन्त तक उपयोग नहीं किये जा सकेंगे क्योंकि मंत्रालय से लाईसेंस प्राप्त नहीं किया जा सका इसलिए उन पर मूल्यहास अनुमत नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, जहां निर्धारित फिल्मों से वर्ष को दौरान कोई आय उत्पन्न नहीं कर सका जिनके संबंध में इसने टेलीविजन अधिकार प्राप्त किये वहां उनकी खरीद की लागत की कटौती अनुमत नहीं की जा सकेगी।
डीसीआईटी, सेन्ट्रल सर्किल-24, मुम्बई बनाम सलमान खान	आईटीए सं. 2836 एवं 2837/मुम/2008	यह माना गया था कि यहां निर्धारित के खिलाफ कुछ व्यक्तिगत शिकायते दायर की गई थी। जिसने अपने व्यावसायिक कार्यकलाप से कुछ प्राप्त नहीं किया था। वहां उन आरोपों के प्रति बचाव करने में किया गया खर्च निश्चित रूप से व्यक्तिगत प्रकृति का था और ऐसा व्यय कारोबार एवं वृत्ति से आय के प्रति अनुमत नहीं किया जा सकेगा।
जालन डिस्ट्रीब्यूटर्स (पी) लि. बनाम सीआईटी कोलकाता	भारत का उच्चतम न्यायालय (2016)	न्यायधिकरण ने धारा 36(i)(iii) के अन्तर्गत ब्याज व्यय के निर्धारित के दावे को स्वीकृत किया है जहां इसने किराए पर कारोबार परिसर लेने के लिए भूस्वामी को दिये गये बयाना के प्रति भुगतान किया था तथापि निर्धारित यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका कि कथित परिसर अपने कारोबार परिसर के लिए उपयोग किया गया था। उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के आदेश का समर्थन किया और इसके प्रति दायर एसएलपी को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था।
सलीम अख्तर बनाम एसीआईटी-11(1), मुम्बई	आईटीए सं. 907/मुम/2012; आईटीएटी मुम्बई बेंच 'ई'	यह माना गया था कि जहाँ निर्धारित ने निम्नतम गारंटी आधार पर काफी अधिक मूल्य पर सहयोगी प्रतिष्ठान से फिल्म का वितरण अधिकार खरीदा है। कमीशन आधार

		पर फिल्म के प्रदर्शन के लिए उच्च सहयोगी प्रतिष्ठान के साथ अनुबंध करता है। वहां राजस्व अधिकारियों के साथ वैध आधार था कि प्रश्नगत लेने-देने की विधि थी और इस प्रकार हानि अन्य फिल्म के प्रोडक्सन से अर्जित निर्धारिती की कर योग्य आय कम करने के उद्देश्य से स्व प्रेरित थी और इसलिए हानि के समंजन का गलत दावा करने के लिए पारित शस्ति आदेश वैध था।
विशेष एंटरटेनमेंट लि. बनाम एसीआईटी, सर्किल - 11(1), मुम्बई	आईटीए सं. 305/मुम/2009 आईटीएटी, मुम्बई बेंच 'एफ'	न्यायधिकरण ने माना कि व्यक्ति जो प्रमुख शेयर धारक का पुत्र था अपने कारोबार के लाभ के लिए विदेश प्रक्षीण के लिए भेजने का अपने दावे को सिद्ध करने में निर्धारिती विफल हुआ और प्रशिक्षण पर किया गया व्यय अधिकारियों द्वारा उचित प्रकार अस्वीकृत किया गया था।
एसीआईटी बनाम सेवन आर्ट फिल्मस	आईटीए सं. 1291/एमडीएस/2013। आईटीएटी चेन्नई खंडपीठ	यह माना गया कि निर्धारिती, एक फिल्म निर्माता, की जिन फिल्मों ने थियेटर्स में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया उसके जिसके परिणामस्वरूप उसने प्रदर्शकों की क्षतिपूर्ति की, ऐसा भुगतान जो किसी कानूनी बाध्यता के बिना केवल निर्धारिती की साख बचाने के लिए किया गया हो, पूंजीगत व्यय के रूप में उपचारित किया जाएगा।
डीसीआईटी-8(3)(1), मुम्बई बनाम युनाइटेड होम एंटरटेनमेंट (प्रा.) लि.	आईटीए सं 1977/मुम्बई/2015 आईटीएटी मुम्बई पीठ 'एफ'	यह माना गया कि जहाँ कार्यक्रम (परिसंपत्ति) डबिंग लागत के बिना, राजस्व अर्जित करने के लिये प्रयोग नहीं किये जा सकते, वहाँ सभी किये गये व्यय पूंजीगत व्यय में शामिल होंगे तथा लाईसेंस के अंतर्गत अभिग्रहण लागत के भाग का निर्माण करेंगे तथा लाईसेंस की लागत के साथ परिशोधित किये जाने चाहिए।

परिशिष्ट-2
(संदर्भ पैरा 1.6)
नमूना आकार

राज्य का नाम	चयनित पीसीआईटी/ सीएसआईटी की संख्या	निर्धारण इकाइयों की कुल संख्या	चयनित इकाइयां
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	12	123	30
बिहार	3	81	24
छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	शून्य
दिल्ली	19	365	94
गुजरात	15	289	42
हरियाणा	6	116	23
हिमाचल प्रदेश	1	21	3
जम्मू और कश्मीर	1	18	3
झारखंड	3	81	13
कर्नाटक और गोवा	12	194	73
केरल	6	131	36
मध्य प्रदेश	3	47	47
महाराष्ट्र	23	282	88
उत्तर पूर्व क्षेत्र	3	22	14
ओडिशा	5	54	14
पंजाब	11	236	29
राजस्थान	9	98	29
तमिलनाडु	18	284	80
उत्तर प्रदेश	11	328	43
उत्तराखंड	1	48	21
पश्चिम बंगाल	14	150	60
कुल	176	2,968	766

चयन का आधार : डीजीआईटी (सिस्टम) द्वारा एओ प्रभार के संबंध में कुल डाटा प्रदान किया गया था। सौ फीसदी कौर्पोरेट सर्कल, न्यूनतम 25 फीसदी सेंट्रल सर्कल/गैर-कौर्पोरेट सर्कल/मिश्रित सर्कल और न्यूनतम पाँच फीसदी वार्डों को ऑडिट⁶⁴ के लिए चुना गया। समर्पित फिल्म सर्कल/वार्ड⁶⁵ को ऑडिट के लिए अनिवार्य रूप से चुना गया था। सभी जांच, अपील और सुधार के मामलों को वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2016-17 के लिए चयनित इकाइयों से ऑडिट किया गया था।

64 महाराष्ट्र में चयन का पैरामीटर था - न्यूनतम 50 फीसदी कौर्पोरेट सर्कल, न्यूनतम 25 फीसदी सेंट्रल सर्कल, न्यूनतम 10 फीसदी गैर कौर्पोरेट /मिश्रित सर्कल और न्यूनतम 5 फीसदी वार्ड

65 महाराष्ट्र के लिए न्यूनतम 50 फीसदी फिल्म वार्डों

परिशिष्ट-3
(संदर्भ पैरा 1.7)
अभिलेखों का गैर प्रस्तुतिकरण

राज्य	पीसीआईटी/सीआईटी प्रभार	पहचाने गए और अपेक्षित मांगपत्र मामलों की संख्या	प्रस्तुत मामलों की संख्या	प्रस्तुत नहीं किए गए मामलों की संख्या का नहीं
कर्नाटक	पीसीआईटी-1, बेंगलुरु	46	34	12
	पीसीआईटी-2, बेंगलुरु	167	151	16
	पीसीआईटी-3, बेंगलुरु	17	14	3
	पीसीआईटी-4, बेंगलुरु	33	28	5
	पीसीआईटी-5, बेंगलुरु	32	30	2
	पीसीआईटी-7, बेंगलुरु	17	13	4
हरियाणा	पीसीआईटी, गुडगांव	46	45	1
तमिलनाडु	पीसीआईटी-10, चेन्नई	855	760	95
केरल	पीसीआईटी-1, कोच्चि	47	46	1
	पीसीआईटी, कोट्टायम	57	56	1
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	पीसीआईटी/सीआईटी-6, हैदराबाद	282	270	12
ओडिशा	पीसीआईटी-1, भुवनेश्वर	40	39	1
उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड	पीसीआईटी-2, लखनऊ	43	41	2
महाराष्ट्र	पीसीआईटी (सी)-2, मुम्बई	132	128	4
	पीसीआईटी-13, मुम्बई	64	61	3
	पीसीआईटी-14, मुम्बई	76	74	2
	पीसीआईटी-16, मुम्बई	1,904	1,901	3
	पीसीआईटी-3, मुम्बई	27	24	3
	पीसीआईटी-7, मुम्बई	91	88	3
पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी-2, कोलकाता	13	12	1
	पीसीआईटी-11, कोलकाता	16	15	1
कुल		4,005	3,830	175

परिशिष्ट-4

(संदर्भ पैरा 3.8)

डीजीआईटी (प्रणाली) और निर्धारण प्रभार डाटा द्वारा प्रदान किए गए डाटा में बेमेल

डीसीआईटी		वि.व. 2013-14	वि.व. 2014-15	वि.व. 2015-16	वि.व. 2016-17
सर्कल 14(1), हैदराबाद	डीजीआईटी प्रणाली के अनुसार मनोरंजन क्षेत्र क्षेत्र के संवीक्षा निर्धारण की संख्या	0	43	51	44
	डी एंड सीआर रजिस्टर के अनुसार मनोरंजन क्षेत्र के संवीक्षा निर्धारण की संख्या	0	53	76	69
	मामलों की संख्या में भिन्नता	0	10	25	25
वाई 14(5), हैदराबाद	डीजीआईटी प्रणाली के अनुसार मनोरंजन क्षेत्र क्षेत्र के संवीक्षा निर्धारण की संख्या	0	34	50	34
	डी एंड सीआर रजिस्टर के अनुसार मनोरंजन क्षेत्र के संवीक्षा निर्धारण की संख्या	0	80	66	56
	मामलों की संख्या में भिन्नता	0	46	16	22
सर्कल 2(3)(1), बेंगलुरु	डीजीआईटी प्रणाली के अनुसार मनोरंजन क्षेत्र क्षेत्र के संवीक्षा निर्धारण की संख्या	10	8	15	20
	डी एंड सीआर रजिस्टर के अनुसार मनोरंजन क्षेत्र के संवीक्षा निर्धारण की संख्या	12	11	30	28
	मामलों की संख्या में भिन्नता	2	3	15	8

वार्ड 2(3)(5), बेंगलुरु	डीजीआईटी प्रणाली के अनुसार मनोरंजन क्षेत्र क्षेत्र के संवीक्षा निर्धारण की संख्या	5	13	14	15
	डी एंड सीआर रजिस्टर के अनुसार मनोरंजन क्षेत्र के संवीक्षा निर्धारण की संख्या	4	17	19	24
	मामलों की संख्या में भिन्नता	-1	4	5	9
सर्कल 16(1), मुम्बई	डीजीआईटी प्रणाली के अनुसार मनोरंजन क्षेत्र क्षेत्र के संवीक्षा निर्धारण की संख्या	162	231	275	282
	डी एंड सीआर रजिस्टर के अनुसार मनोरंजन क्षेत्र के संवीक्षा निर्धारण की संख्या	293	238	416	376
	मामलों की संख्या में भिन्नता	131	7	141	94
सर्कल 20(1), चेन्नई	डीजीआईटी प्रणाली के अनुसार मनोरंजन क्षेत्र क्षेत्र के संवीक्षा निर्धारण की संख्या	96	93	111	98
	डी एंड सीआर रजिस्टर के अनुसार मनोरंजन क्षेत्र के संवीक्षा निर्धारण की संख्या	152	212	187	131
	मामलों की संख्या में भिन्नता	56	119	76	33
वार्ड 20(5), चेन्नई	डीजीआईटी प्रणाली के अनुसार मनोरंजन क्षेत्र क्षेत्र के संवीक्षा निर्धारण की संख्या	22	24	22	33
	डी एंड सीआर रजिस्टर के अनुसार मनोरंजन क्षेत्र के संवीक्षा निर्धारण की संख्या	37	45	31	60
	मामलों की संख्या में भिन्नता	15	21	9	27

शब्दावली

एसीआईटी	सहायक आयुक्त आयकर
एडिशनल सीआईटी	अतिरिक्त आयुक्त आयकर
एओ	निर्धारण अधिकारी
एवाई	निर्धारण वर्ष
सीबीडीटी	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
सीबीईसी	उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क केन्द्रीय बोर्ड
सीसीआईटी	मुख्य आयुक्त आयकर
सीआईटी	आयुक्त आयकर
सीआईटी (ए)	आयुक्त आयकर (अपील)
डीसी (सीसी)	उपायुक्त (केन्द्रीय सर्कल)
डीसीआईटी	उपायुक्त आयकर
डीजीआईटी	महानिदेशक आयकर
एफवाई	वित्त वर्ष
आईटीएटी	आयकर अपीलीय अधिकरण
आईटीबीए	आयकर व्यापार आवेदन
आईटीडी	आयकर विभाग
आईटीओ	आयकर अधिकारी
एमएटी	न्यूनतम वैकल्पिक कर
पीए	निष्पादन लेखापरीक्षा
पीएएन	स्थाई खाता संख्या
पीसीसीआईटी	प्रधान मुख्य आयुक्त आयकर
पीसीआईटी	प्रधान आयुक्त आयकर
पीसीआईटी (ई)	प्रधान उपायुक्त आयकर (छूट)
टीडीएस	स्रोत पर कर कटौती

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in